प्रधान कार्यालय

अस्पताल रोड, आगरा-३

शाखाएँ

खजूरी बाजार, इन्दौर • चौडा रास्ता, जयपुर

प्रथम सस्करण 1965

द्वितीय सस्करण 1966

मूल्य दो रुपये

भूमिका

यह पुस्तक बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एज्यूकेशन राजस्थान के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार नागरिक शास्त्र के कक्षा 9 तथा 10 के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। यह प्रयास किया गया है कि विषय-सामग्री सरल तथा रोचक ढंग से उदाहरणों की सहायता से इस प्रकार विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाय कि वे प्रमुख सिद्धान्तों को समझें और सच्चे नागरिक बनकर अपने देश की सेवा में रत हो जायें।

लेखक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ है इसका निर्णय अध्यापकों तथा पाठकों पर ही है।

लेखक उन सब विद्वानों का आभारी है जिनके चिन्तन से उसे इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है।

लेखक

Syllabus of Civics

CLASSES IX & X

There shall be one paper of 2½ hours duration carrying 90 marks. It shall have two sections

Section B — Indian Administration and Citizenship

1. Introduction—An outline, study of the constitution of India—Birth of Indian National Congress—A brief history of the National Movement from 1920—1947.
2. Administrative set-up of Rajasthan down to the village.
3. Local Self Government in Rajasthan—Municipalities, Village Panchayats, Panchayat Samities and Zila Parishads—their composition and functions
4. Development Blocks in Rural Areas—their machinery and functions, Popular participation and growth of Co-operative Movement
5. Factors leading to the National Integration of India.
6. An outline study of the Third Five Year Plan in Rajasthan.

विषय-सूची

अध्याय | पृष्ठ

भाग I

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं एकीकरण की समस्या

अध्याय 1

राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास

प्रायः कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रतिपादन अंग्रेजों ने किया। परन्तु जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि यह वास्तविकता नहीं थी। पहली बात तो यह है कि यह बात तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि जब अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने आये थे तो यह कैसे हो सकता है कि वे राष्ट्रीयता का प्रसार करते। दूसरी बात यह है कि इतिहास कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि अंग्रेजों ने कभी भी यह चाहा हो कि भारतीय राष्ट्रीयता की उन्नति हो। इसके बिल्कुल विपरीत हम यह देखते हैं कि अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सदा ही भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने की ही कोशिश की। कभी भी राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित नहीं किया। परन्तु जब राष्ट्रीयता जागृत हो गई तो उसे नष्ट करने की कोशिश की, परन्तु जब ऐसा करने में उन्हें सफलता न मिली तो उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हम (अंग्रेज) भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाता हैं और इसके पुजारी हैं। कई ऐसे कारण हैं जिनसे राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। इन कारणों को हम निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटेंगे।

(1)

राष्ट्रीय चेतना के कारण तथा कांग्रेस की स्थापना

1) भारत का गौरवशाली अतीत—भारत का अतीत बड़ा ही [illegible]

अतीत ने भारतीयो को हमेशा उठने के लिए ही प्रेरित किया। यद्यपि भारत अँग्रेजो के अधीन था परन्तु भारतीयो को सदा ही अपने उन्नतिशील अतीत से प्रेरणा मिलती रही जिससे पुन वे उन्ही आदर्शो तक पहुँच सके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, शान्तिदूत बुद्ध तथा महान् राजनीति के ज्ञाता कौटिल्य के देश मे यह सम्भव नही था कि अंग्रेज राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त कर देते। अत यह उदय हुई और अँग्रेजो के नष्ट करने पर, इसका और विकास हुआ।

(2) सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार—19वी शताब्दी मे जो सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार हुआ उससे भी राष्ट्रीय चेतना के विकास को बडा प्रोत्साहन मिला। राजा राममोहन राय ने समाज-सुधार आन्दोलन किया और भारतीयो को अन्धविश्वास छोडने के लिए सचेत किया। स्वामी दयानन्द ने भारतीयो को यह बताया कि '*भारत भारतीयो के लिए है, भारत माता को स्वतन्त्र करना भारतीयो का धर्म है*। इस प्रकार स्वतन्त्र चिंतन की भावना का उदय हुआ, और लोगो ने उस समय प्रचलित दोषो को समझा और उन्हे दूर करने का प्रयत्न करने लगे। शिक्षा का प्रचार करना, स्त्रियो की दशा मे सुधार करना, बाल-विवाह का बहिष्कार करना, विधवा विवाह का प्रचार करना आदि राष्ट्रीय आन्दोलन के परिणाम थे। धार्मिक सहिष्णुता ने सब धर्मो के अनुयायियो को एक सूत्र मे बांधा और इस प्रकार सबके हृदय मे देश-प्रेम की भावना जाग्रत हुई।

(3) समाचार-पत्र तथा साहित्य—प्रत्येक देश के वातावरण को बनाने मे समाचार-पत्रो और साहित्य का बडा हाथ रहता है। भारतीय समाचार-पत्र तथा साहित्य भी इस बात मे पीछे नही रहे। अँग्रेजी पत्रो की तरह भारतीय भाषाओ मे भी समाचार-पत्र छपने लगे। इन पत्रो मे प्रथम तो देश के कोने-कोने मे राष्ट्रीय नेताओ के भाषण पहुँचे और उनसे राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ। द्वितीय, इन पत्रो ने अँग्रेजो के कारनामो की कडी आलोचना करके उनसे भारतीयो को अवगत कराया। इस प्रकार से इन

पत्रों ने भारतीयों में निर्भीकता पैदा की और राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने का योग प्रदान किया।

(4) आन्तरिक शान्ति—जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय अनेक छोटे-छोटे राजाओं और नवाबों में फूट रहती थी, परन्तु जब अंग्रेजी साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ तो आन्तरिक शान्ति और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के कारण देश में ऐसा वातावरण पैदा हुआ जिससे लोगों का ध्यान समाज-सुधार और राष्ट्रीयता की भावनाओं की ओर गया।

(5) बाह्य सम्पर्क व यातायात के साधन—भारत का सम्पर्क हमेशा से विदेशों से रहा है। बीच में कुछ आपसी झगड़ों के कारण यह सम्पर्क कम हो गया था। परन्तु जब भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ तो फिर भारतीयों का सम्बन्ध विदेशों से स्थापित हो गया। यातायात के साधन भी बढ़े इस कारण यह सम्बन्ध और भी बढ़ा और जो राष्ट्रीय आन्दोलन अन्य देशों में चल रहे थे वे भी भारत में आन्दोलित हो गये। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के उदय में सहायता मिली।

(6) समस्त भारत में शासन की एकता—अंग्रेजी शासन की स्थापना से सारे सम्पूर्ण भारत में एक सी शासन-व्यवस्था हो गई। इस प्रकार भारत में राजनीतिक एकता आई। इस प्रकार भारतीयों ने एक प्रकार के शासन में रहते हुए एकता की भावना का उदय हुआ जिससे राष्ट्रीय चेतना जागी।

(7) सम्पूर्ण देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन—चूँकि अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा हो गई। इस बीच में भारत के पढ़े-लिखे समाज ने इसे सीख लिया और भारत में विभिन्न विचारों का आदान-प्रदान होने लगा। इसका फल यह हुआ कि इस के जरिये भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पूर्ण रूप से समस्त देश में फैल गई।

(8) पश्चिमी शिक्षा—अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप अंग्रेजी भाषा

भारत मे आई जिसमे भारतीय पश्चिमी साहित्य और सभ्यता के सम्पर्क मे आने लगे, और भारतवासियो का स्वातन्त्र्य-प्रेम और देश-प्रेम जाग्रत हुआ, जो राष्ट्रीयता के उदय मे सहायक हुआ।

(9) आर्थिक शोषण—भारत सोने की चिडिया कहलाता था। अँग्रेज व्यवसायी बनकर उसी को लूटने आये और उन्होने भारतीयो का शोषण किया। अँग्रेजो ने भारत से कच्चा माल सस्ते दामो पर लेने की और अपने देश के बने माल को अधिक दामो मे बेचने की नीति अपनाई। परिणामस्वरूप भारतीयो का व्यवसाय नष्ट होने लगा और अँग्रेजो का व्यवसाय उन्नति करने लगा। इस प्रकार व्यवसायी, किसान आदि बहुत दुखी हुये। पढा-लिखा समाज भी कम दुखी न था क्योकि उनके लिए बडी नौकरियो के द्वार बन्द थे। इस प्रकार की व्यवस्था से भारतीयो का जीवन दूभर हो गया था और उस अवस्था के विरोध की सृष्टि के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुआ।

(10) जातीय भेदभाव—सन् 1857 के बाद अँग्रेजो और भारतीयो मे जातीय भेदभाव उत्पन्न हो गया जिसका राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारणो मे मुख्य स्थान है। विद्रोह से पहले भारतीयो का अँग्रेजो से अच्छा सम्बन्ध था। अब अंग्रेजो की यह धारणा बन गई थी कि एक अँग्रेज का जीवन कई भारतीयो के बराबर है, अत मनमाने ढग से उस पर शासन किया जा सकता है। बडे से बडा भारतीय छोटे से छोटे साहब द्वारा अपमानित किया जाता था। ललनाओ का सतीत्व लूटा जाता था। इन्ही सब परिणामो से भारतीयो का रक्त भडका और इसी से राष्ट्रीय चेतना के विकास मे बहुत प्रोत्साहन मिला।

(11) लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीति—लार्ड लिटन की नीति से भी राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन मिला। सन् 1877 मे लार्ड लिटन द्वारा महारानी विक्टोरिया के साम्राज्ञी होने पर दिल्ली मे पैसा पानी की तरह बहाया गया, जब कि दक्षिणी भारत मे भीषण अकाल

पड़ता था। अतः पीड़ित भारतीय अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए [illegible] उठे। जनता की आर्थिक दशा बुरी [illegible] थी। इसी [illegible] टर्की पर आक्रमण कर दिया और सेना बढ़ाने के लिए अधिक धन नष्ट किया। इस स्थिति के विरोध में भारतीयों में राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई।

(12) इलबर्ट बिल सम्बन्धी विवाद—इलबर्ट बिल ने अंग्रेजों [illegible] भी उस समय भारत की स्थिति में राष्ट्रीय चेतना के उदय में योग दिया। सन् 1883 में सर [illegible] इलबर्ट ने भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह बिल रखा कि [illegible] अंग्रेजों [illegible] भारतीय न्यायाधीश [illegible] अधिकार प्राप्त होना चाहिए। [illegible] भारत [illegible] इसे सहन न कर सके। उन्होंने इसका विरोध किया। अंग्रेजी सरकार [illegible] बिल [illegible]। इस प्रकार भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजी सरकार [illegible] भारतीयों [illegible]। अत: [illegible] भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागी और सन् 1885 में इण्डियन नेशनल [illegible] का जन्म हुआ।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना

[illegible] 1885 [illegible] सन् 18[illegible] [illegible] 1885 [illegible] राष्ट्रीय [illegible] राष्ट्रीय [illegible] लिए [illegible]

कार्यक्रम निश्चित कर सके। नवम्बर, सन् 1885 मे श्री ह्यूम इंगलैण्ड मे वापस आये और बहुमत से नवीन सम्मेलन का नाम 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया।

कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य

कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे

(1) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागो मे देश के हित के लिए जो लगन से काम करते हैं उनके पारस्परिक सम्बन्धो को बढाना।

(2) समस्त देश-प्रेमियो के सम्पर्क मे विभिन्न जाति, धर्म और प्रान्तगत विचारो को समाप्त करना।

(3) जो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न है उन पर शिक्षित लोगो की अच्छी प्रकार राय लेकर उनका सग्रह करना, तथा

(4) उन ढगो के विषय मे निर्णय करना जिनमे भारतीय राजनीतिज्ञ देश के हित के लिए काम कर सके।

इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ।

(2)

राष्ट्रीय आन्दोलन का उदारवादी युग (1885-1905 ई० तक)

राष्ट्रीय आन्दोलन का पहला चरण जो कि 1885 से 1905 ई० तक माना जाता है, राष्ट्रीय आन्दोलन का उदार युग कहलाता है। इस काल मे भारतीयो के विचार अंग्रेजो के प्रति उदार थे। उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज न्याय-प्रेमी है। अगर उनसे प्रार्थनाओ द्वारा अपना अधिकार मांगा जायगा तो वे उसे जरूर देंगे। इस समय राष्ट्रीय आन्दोलन का सचालन प्रमुखत कांग्रेस ही कर रही थी।

इस काल के भारतीय नेता अंग्रेजी शिक्षा मे पले होने के कारण अंग्रेजो के प्रशसक थे और जो अंग्रेजो ने भारत का किया था उसके लिए

थे अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ थे। उनका यह विचार था कि अंग्रेज प्रजातन्त्र के मानने वाले हैं। अतः वे भारत में भी प्रजातन्त्र पर आधारित शासन स्थापित करेंगे और यदि अंग्रेजों को भारतीय समस्या समझाई जाय तो वे उनको सुलझायेंगे।

इस युग में कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था परन्तु उसका अधिकांश समय सामाजिक और शासन सम्बन्धी सुधारों में जाता था। उदारवादी अंग्रेजों से पृथक स्वशासन नहीं चाहते थे। वरन् वे अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य चाहते थे। उदारवादी अपना कार्य पूरा करने के लिए वैधानिक आन्दोलन का सहारा लेते थे तथा वे विचार, प्रस्ताव, स्मरण-पत्र आदि को प्रयोग में लाते थे। इनका सर्वोत्तम हथियार प्रस्ताव, प्रार्थना-पत्र और प्रचार इन तीन शब्दों के अन्दर ही था। अंग्रेजी सरकार के कार्यों की आलोचना करके उन्हें [illegible] कराया जाता था। शासन सुधार के सम्बन्ध में कांग्रेस ने कई मांगें रखीं। सामाजिक और आर्थिक सुधार के भी कांग्रेस ने प्रस्ताव किए। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी भारतीयों के हितों की रक्षा के लिये कांग्रेस प्रयत्नशील रही। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का भी कांग्रेस ने सदा विरोध किया।

कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय आन्दोलन में उदार राष्ट्रीयता का काल व्यर्थ का था। क्योंकि इस दल के कार्यों में उस दृढ़ता का अभाव था जो राष्ट्रीय आन्दोलन में होनी चाहिये। इन नेताओं ने [illegible] का प्रयोग [illegible] किया था। यही कारण है कि [illegible]। [illegible] के अनुसार इस आन्दोलन से राष्ट्रीय आन्दोलन को [illegible] मिली है। [illegible] राष्ट्रीयता [illegible] [illegible]। [illegible]।"

परन्तु इस समय के राष्ट्रीय आन्दोलन ने जिस [illegible]

काल के नेताओं का अपमान करना है। वस्तुतः जिस समय यह आन्दोलन चला उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर उसकी ऐसी आलोचना करना उचित नहीं है। वैधानिक उपायों से भी कांग्रेस सफलता की ओर ही अग्रसर हुई। उदार राष्ट्रीयता-काल में भी कांग्रेस समय तथा परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्ति भर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य करती रही और देशवासियों में वह उस भावना को भरने में सफल हुई जो स्वतन्त्रता के पथ पर आगे बढ सकने के लिये आवश्यक थी।

(3)

राष्ट्रीय आन्दोलन के उग्र तथा क्रान्तिकारी युग का शैशव

(सन् 1906 से 1920 तक)

जब प्रार्थना-पत्रों और प्रस्तावों की नीति सफल नहीं हुई और अँग्रेजी सरकार भारतीयों के विरुद्ध मनमाने कार्य करती ही गई तो वैधानिक उपायों में से भारतीयों का विश्वास उठने लगा। तिलक जैसे विचारकों ने कहा कि जिस प्रकार रोटी मांगने से नहीं मिलती उसी प्रकार स्वतन्त्रता भी नहीं मिल जाती। अतः अब स्वतन्त्रता दबाव से लेनी पड़ेगी। बारीन्द्र घोष जैसे विचारकों ने तो यहां तक कहा कि हमें हिंसात्मक उपायों से स्वतन्त्रता लेनी चाहिए। इस प्रकार से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। पहले, वे जो उग्र नीति को मानते थे जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा राष्ट्रीय शासन की व्यवस्था आदि। दूसरे, वे जो क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाते थे, जैसे बम, पिस्तौल द्वारा आतंक फैलाना। उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारधाराओं के उदय के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित थे

(1) **अंग्रेजी सरकार के मनमाने और अनीतिपूर्ण कार्य**— उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन अनीति की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था।

जिससे उग्र और क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता का उदय हुआ। लार्ड लिटन के शासन-काल में भारतीयों [illegible] के द्वार बन्द कर दिये गये थे। भारत में इंगलैण्ड की बनी मिल का माल सस्ता बिके इसके लिए उसका आयात-कर कम कर दिया गया था। [illegible] भारत में भी [illegible] हो रहा था। इन सब बातों के कारण भारतीयों को उग्र और क्रान्तिकारी नीति को अपनाना पड़ा।

(2) आर्थिक असंतोष—उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में सभी वर्ग आर्थिक दृष्टि से पीड़ित थे। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए ऊंची नौकरियों के द्वार बन्द थे। [illegible] के सस्ता होने से व्यवसायी वर्ग की दशा [illegible] था। [illegible] धन को [illegible] के रूप में देखा जाता था। सरकार उनके सुधार के लिए कुछ नहीं कर रही थी। अतः इस आर्थिक असंतोष के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन उग्र और क्रान्तिकारी पथ पर चलने लगा।

(3) भारतीयों का अपमान—अंग्रेज [illegible] भारतीयों [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिया।

(4) [illegible] और सामाजिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

का प्रादुर्भाव हुआ और अँग्रेजो से जल्दी छुटकारा पाने के लिए उन्होने उग्र और क्रान्तिकारी साधनो को अपनाया ।

(5) **प्रकृति का प्रकोप**—सन् 1896-97 मे दक्षिण मे बहुत बडा अकाल पडा, जिसमे 40 लाख मनुष्य पीडित हुए । सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नही किया । भारतीय मक्खियो की भाँति मरे । सरकार फौजी आक्रमण मे लगी रही । सन् 1898 मे महामारी के प्रकोप मे 17 लाख 30 हजार व्यक्ति मरे । पूना मे बीमारी का उपचार फौजी सिपाहियो को सौंपा गया । उन्होने घरो मे जाकर स्त्रियो की जाँच की । यह भारतीयो को पसन्द नही था । अत असन्तोष फैला, और भारतीय उग्र तथा क्रान्तिकारी पथ पर चल पडे ।

(6) **बाहरी घटनाओं का प्रभाव**—इटली अबीसीनिया मे पराजित हुआ और जापान ने रूस को हराया । इस पर भारतीयो को यह विश्वास हो गया कि अंगेजी फौज अजेय नही है । अब देश-प्रेम और बलिदान के लिए भारतीय कमर बाँधकर तैयार हो गये । मध्य यूरोप और मध्य पूर्व देशो मे जो जनप्रिय शासन के लिए आन्दोलन हुए उनका भी प्रभाव भारतीयो पर पडा । फलत भारतवासी भी उन्ही की भाँति उग्र और क्रान्तिकारी पथ पर बढे ।

(7) **उदारवादी नीति की असफलता**—जब उदारवादी असफल रहे तो उग्रवादियो का रोष बढा । उन्होने सोचा कि अब तक कांग्रेस जिस मार्ग पर चल रही है उससे राष्ट्रीयता की भावना नष्ट हो जायगी । अत उन्होने निश्चय किया कि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उग्र और क्रान्तिकारी मार्ग का अपनाना आवश्यक है ।

उग्रवादी तथा क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता के उदय के कारणो को जानने के पश्चात् यह जानना भी जरूरी है कि उग्रवादी आन्दोलन की प्रगति कैसे हुई ? सबसे पहले महाराष्ट्र मे बाल गंगाधर तिलक ने मराठी पत्र 'केसरी' और अंग्रेजी पत्र 'मराठा' निकाला जिनसे एक नवीन राष्ट्रीय

वातावरण की सृष्टि हुई। महाराष्ट्र में तिलक ने अनेक गोवध-विरोधी समाज, अखाड़ों और लाठी क्लबों की स्थापना की। इन सब बातों का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि अब भारतीय देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो गये।

तिलक का उद्देश्य था कि स्वराज्य की प्राप्ति की जाय, परन्तु उदारवादी नीति में उनका विश्वास न था। वे सक्रिय विरोध से ऐसा करना चाहते थे।

इस प्रकार हमने देखा कि उग्रवादी आन्दोलन ने भारतीय राजनीतिक जीवन में नवीनता का संचार किया। देश ने यह सीखा कि शक्ति के प्रदर्शन द्वारा ही कुशासन से बचा जा सकता है।

इसी बीच में राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा क्रान्तिकारी मार्ग की ओर भी बढ़ी। सबसे पहले बंगाल में क्रान्तिपूर्ण कार्य शुरू हुए। अरविन्द घोष ने अपनी कृतियों से देशवासियों को ललकारा। दूसरा क्रान्ति का क्षेत्र पंजाब था। वहाँ नहर उपनिवेश सम्बन्धी कानून का विरोध करने के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन हुआ। महाराष्ट्र क्रान्तिकारियों का तीसरा क्षेत्र था। वहाँ पर प्लेग के अधिकारी श्री रैण्ड के काल में असन्तुष्ट होकर भारतीयों ने उन्हें मार दिया था। मद्रास चौथा क्षेत्र था जहाँ क्रान्तिकारी कार्य हुए। विपिनचन्द्र पाल ने क्रान्तिकारी जोश से वहाँ के युवकों को उत्साहित किया। सरकारी सम्पत्ति नष्ट की गई, अधिकारियों पर आक्रमण किये गये। क्रान्तिकारियों का पाँचवाँ क्षेत्र लन्दन था। वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। कहा जाता है कि श्री [illegible] की हत्या में इनका कुछ हाथ था। इसी [illegible] के लिये [illegible]। वहाँ उन्होंने "इण्डियन होम रूल सोसायटी" की स्थापना की और वहीं भारतीय भावनाओं का प्रचार प्रसार किया।

क्रान्तिकारियों का यह विश्वास था कि हिंसा द्वारा अंग्रेजों को [illegible] [illegible]। इसी कारण शिक्षित लोगों के मन में

दासता के प्रति घृणा का सचार करते थे। इस प्रकार हमने देखा कि क्रान्तिकारियो ने आतकपूर्ण ढग से राष्ट्रीय आन्दोलन मे योग दिया।

साम्प्रदायिक प्रवृत्तियो का सूत्रपात व मुस्लिम लीग का जन्म

इस प्रकार के उग्र और क्रान्तिकारी आन्दोलनो को बढता हुआ देखकर अँग्रेजो ने सोचा कि अब हिन्दुओ और मुसलमानो को आपस मे लडा दिया जाय। अत उन्होने विभाजन और शासन की नीति अपनाई जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग का जन्म हुआ।

मुसलमानो की इस सस्था का जन्म 30 सितम्बर, 1906 ई० को हुआ जिसका नाम 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' रखा गया। पर अपने इस रूप मे लीग को सभी पढे-लिखे मुसलमानो का समर्थन प्राप्त नही हो सका। श्री मोहम्मदअली जिन्ना, सैयद मोहम्मद, मोहम्मदअली आदि ने इसका विरोध भी किया और 'कामरेड', 'हमदर्द' आदि पत्रो मे उन्होने इस सस्था की आलोचना भी की। प्रगतिशील नेताओ ने लीग को काग्रेस के साथ मिलाने की इच्छा से उसके विधान मे परिवर्तन किया। कुछ परिवर्तन हो जाने से लीग काग्रेस के समीप आने लगी। जब प्रथम महायुद्ध मे सब राजनीतिक दलो ने सरकार की सहायता का निश्चय किया तो सन् 1916 मे काग्रेस तथा लीग ने भी एक शासन-सुधार की सयुक्त योजना बनाई। अब लीग और काग्रेस मे एक समझौता हुआ। जो काग्रेस अभी तक पृथक् निर्वाचन का विरोध कर रही थी उसने लीग की यह माग स्वीकार कर ली। काग्रेस की यह एक ऐसी भूल थी जिसका मूल्य उसे देश के विभाजन के रूप मे देना पडा।

युद्धकालीन राष्ट्रवाद

सन 1912 मे कुछ मुसलमान नवयुवको के हृदय मे राष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होने अन्य मुसलमानो को राष्ट्रीयता की ओर मोडा। इन नेताओ ने लीग के स्वरूप को बदला। यह सस्था

मुसलमानो का हित करती थी, परन्तु स्वराज्य के सम्बन्ध मे उसने काग्रेस की ओर भी ध्यान दिया। मुसलमानो मे इस राष्ट्रीयता के उदय का पहला कारण प्रथम महायुद्ध के शुरु होने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति थी। इङ्गलैण्ड और रूस की नीति टर्की के विरुद्ध थी जिसका मुसलमानो पर खराब असर पड़ा और भारतीय मुसलमान इङ्गलैण्ड के विरुद्ध हो गये। यह विरोध टर्की के इङ्गलैण्ड पर आक्रमण करने मे और बढा। सन् 1911-13 के बाल्कन युद्ध के कारण टर्की मे सभी सहानुभूति दिखाने लगे थे। इङ्गलैण्ड इस्लाम का शत्रु बन गया। अब भारत पर इङ्गलैण्ड का अधिकार राष्ट्रवादी मुसलमानो को खलने लगा। बगाल का विभाजन करते समय अँग्रेजो ने मुसलमानो की राय न ली, इसने मुसलमानो को और भी राष्ट्रवादी बना दिया। 'अलहिलाल' नामक पत्र से आजाद ने मुसलमानो को निराशा के गर्त से निकाला। मोहम्मदअली ने भी 'हमदर्द' और 'कामरेड' से राष्ट्रीयता का प्रचार किया। अली को बगाल के विभाजन के बाद अँग्रेजो से घृणा हो गई। जिन्ना ने लीग और काग्रेस को बाँधने और मुसलमानो मे राष्ट्रीयता का प्रचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सन् 1915 ई० मे आगा खाँ ने लीग का सभापतित्व छोडा जिसे जिन्ना ने ग्रहण किया। भविष्य के लिये यह तय हुआ कि काँग्रेस और लीग साथ-साथ काम करेगी। जिन्ना के सभापति होने से इनके कार्य मे और अधिक सरलता हुई। लीग के अधिवेशन मे काँग्रेस नेताओ ने भी भाग लिया। काँग्रेस के सहयोग से भारत के लिये राजनीतिक सुधारो की एक नई योजना बनाई गई।

लखनऊ पैक्ट

काँग्रेस और लीग के सहयोग से सन् 1916 मे लखनऊ पैक्ट नामक समझौता हुआ जिसका समर्थन दोनो ने किया। इस पैक्ट द्वारा एकता पर बल दिया गया और स्वराज्य प्राप्ति की योजना बनी। दोनो सस्थाओं ने एक होकर भारत के मुक्त होने की माँग की।

गृह-शासन आन्दोलन

जब उग्र और क्रान्तिकारी रूपों के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन ने गृह-शासन (Home Rule) आन्दोलन का रूप धारण किया, सन् 1914 मे जेल से आकर तिलक ने 'होम रूल लीग' की स्थापना की। ऐनी बीसेन्ट ने भी मद्रास मे सन् 1916 मे 'होम रूल लीग' स्थापित की। दोनो ने बड़े सहयोग से काम किया। काग्रेस और लीग के मेल होने से दिसम्बर 1916 ई० मे काग्रेस तथा लीग ने सुधारो की एक सामान्य योजना को स्वीकार किया और कॉग्रेस ने होम रूल लीगो द्वारा उस योजना का प्रचार करने का निश्चय किया।

होम रूल आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था। पर इसके कार्य-कर्ता उदारवादियो की तरह याचना नही करते थे वरन् उनकी मॉग अधिकारपूर्ण होती थी। इनके अनुसार स्वशासन भारत का अधिकार था। बड़े ही उत्साह से इनके सचालको ने इसमे कार्य किया। 1917 ई० मे आन्दोलन उच्च शिखर पर पहुच गया था। सरकार इसे सह न सकी, और सरकारी दमन-चक्र चला। सरकार ने तिलक से जमानत मागी, परन्तु हाईकोर्ट ने उस आज्ञा को समाप्त कर दिया। आन्दोलन बढ़ा और सरकार ने यह आज्ञा दी कि विद्यार्थी आन्दोलन से अलग रहे। नेताओ को नजरबन्द किया गया। इससे देश मे रोष बढ़ा। वे राष्ट्रवादी नेता जो अब तक अलग थे, इसी मे मिल गये।

इसी बीच मे युद्ध की स्थिति गम्भीर हो गई और इगलैण्ड को जब भारत की सहायता की जरूरत हुई तो उसने भारत को स्वराज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया। भारत-मन्त्री ने कहा कि परामर्श और जाच के लिये तुरन्त ही एक मिशन भारत आयगा। नरम दल के राष्ट्रवादी प्रसन्न हुए और उन्होने नजरबन्द नेताओ को छोड़ने की माग की और यह निश्चय किया कि भारत-मन्त्री जब भारत

आये तो उनके साथ सहयोग किया जाय । परन्तु उग्र दल के लोगो ने कहा कि यह सब अँग्रेजो की कूटनीति है, और इसलिये आन्दोलन जारी रखा जाना चाहिये ।

मौन्टेग्यू मिशन भारत आया और उसने मौन्टफोर्ड रिपोर्ट भारत के शासन सुधार के सम्बन्ध मे दी । इसी के आधार पर 1919 ई० का भारतीय शासन का अधिनियम बना । उग्रवादियो ने यह योजना अस्वीकार की । उनका सरकारी विरोध चलता रहा जिसने आगे चलकर असहयोग आन्दोलन का रूप धारण किया ।

(4)

राष्ट्रीय आन्दोलन का असहयोग युग (1920 से 1926 ई० तक)

युद्ध मे भारत से सहायता पाने के लिये अँग्रेजी सरकार ने जो आश्वासन दिये थे उन्ही के आधार पर भारत ने धन-जन से उसकी सहायता की थी । परन्तु मौन्टफोर्ड के सुधारो के रूप मे भारत को जो मिला उससे भारतीय सन्तुष्ट नही हुए । युद्ध के बाद भारत की आर्थिक दशा और खराब हो गई थी । महामारी व अकाल से धन-जन की अपार हानि हुई ।

1915 ई० मे गोखले और फिरोजशाह मेहता की मृत्यु हो गई । तिलक की मृत्यु के बाद 1920 मे राष्ट्रीय आन्दोलन की बागडोर महात्मा गाधी के हाथ मे आई । वे जन-आन्दोलन की कला अच्छी प्रकार जानते थे । अत उनके नेतृत्व मे असहयोग आन्दोलन सफल हुआ । युद्ध के समय महात्मा गाधी ने देखा था कि अँग्रेज न्याय से नही वरन् शक्ति के आधार पर मनमानी करते है । अत उन्होने यह घोषणा की कि भारतीयो के विरोध के बावजूद भी रॉलेट विधेयक पास होने पर वे सत्याग्रह करेगे । 30 अप्रैल, 1919 ई० को सत्याग्रह दिवस मनाने का निश्चय हुआ । सब जगह वह शान्तिपूर्वक मनाया गया, परन्तु दिल्ली व अमृतसर मे दगे हुए ।

इस समय दिल्ली मे जो आतक फैला उसे शान्त करने के लिये गाधीजी दिल्ली जाने लगे, तो उन्हे गिरफ्तार करके वापस भेज दिया गया, इससे अमृतसर मे आतक फैला। वहाँ दो अग्रेजो को मार डाला गया। सरकार की आज्ञा से डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया ओर मीटिगो की मनाही कर दी गई। परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नही पहुँची और जलियावाला बाग मे बैसाखी त्योहार के सम्बन्ध मे मीटिग हुई। उसे भग करने के लिए गोली चलाई गई, जिससे 879 व्यक्ति मरे और 1200 घायल हुए।

गाधीजी इससे बहुत दुखी हुए ओर उन्होने वाइसराय की वापसी की माग की। गाँधीजी ने कहा कि जिन्होने यह किया है उन्हे उचित दण्ड मिलना चाहिए। परन्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिससे विरोध की लहर दौडी और असहयोग आन्दोलन शुरु हुआ।

युद्ध मे भारतीय मुसलमानो ने अग्रेजो की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे टर्की को कोई हानि नही पहुचायेगे। परन्तु युद्ध के बाद अँग्रेज अपने कहने पर न रहे और टर्की के विभाजन की योजना बनाने लगे। मुसलमानो ने टर्की के खलीफा के समर्थन मे खिलाफत आन्दोलन चलाया। खिलाफत कमेटी ने असहयोग आन्दोलन मे मिलने का निश्चय किया और इसे देश मे फैलाने मे सहायता की।

असहयोग आन्दोलन को गाधीजी ने 1 अगस्त, 1920 ई० को प्रारम्भ किया। यह तीव्रता से फैलने लगा। भारतीय जनता ने बडे उत्साह से इसमे भाग लिया। सैकडो मजिस्ट्रेटो ने त्यागपत्र दिये, वकीलो ने अदालत छोडी, विद्यार्थियो ने शिक्षा-सस्थान छोडे। गाधीजी ने और मौलाना शौकत अली ने सब जगह दौरा किया और सर्वत्र उनका बडा स्वागत किया गया। विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार और मद्य-निषेध किया गया। राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ स्थापित किया गया। सरकार इसे छोटी बात समझ रही थी, परन्तु शीघ्र ही इसने भयकर रूप धारण कर लिया। इसके फलस्वरूप सरकार ने अपना दमनचक्र चलाया जिसमे कई

हिंसात्मक घटनाएँ हुई । 1921 ई० मे दमन अधिक वढा और भारतीय जेलो मे ठूँम दिये गये ।

8 जुलाई, 1921 ई० मे करांची मे हुए अखिल भारतीय खिलाफत मम्मेलन ने सेना की भरती का वहिष्कार करने का निश्चय किया और सरकार को यह धमकी दी कि वह गणतन्त्र स्थापित करेंगे और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलायेंगे। इमी बीच मोपला मे, जहाँ खिलाफत आन्दोलन जोरो पर था, उत्पात हो गया। सरकार ने अली भाइयो को गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा देदी । इससे देश मे हलचल और वढी ।

17 नवम्वर को जव युवराज वेल्स के वम्वई आने पर दगा हुआ तो गाधीजी ने असहयोग आन्दोलन को रोक दिया। गाधीजी ने 9 फरवरी, 1922 ई० को वाइसराय को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार 7 दिन मे अपनी नीति नही वदलती तो वे **सविनय अवज्ञा** वारदोली नामक स्थान मे प्रारम्भ करेंगे। परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी मे हिंसा-काट हुआ जिसमे 22 पुलिस के सिपाही मारे गये। गाधीजी इससे दुखित हुए और उन्होने 11 फरवरी, 1922 ई० को वारदोली की काग्रेस कार्यकारिणी की वैटक मे इस आन्दोलन को रोकने का प्रस्ताव रखा। कार्यकारिणी ने **सविनय अवज्ञा** को भी रोक दिया। गाधीजी ने सम्पूर्ण देश मे अहिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ।

असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष मे विना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये ही समाप्त हो गया क्योकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और सयम की जरूरत थी, वह भारतीयो मे न था। परन्तु इससे यह कभी नही सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास मे इस आन्दोलन का कोई स्थान नही । असहयोग आन्दोलन ने अँग्रेजो को यह दिखाया कि भारतीय भी अपने देश के लिए वलिदान करना जानते हैं। इस आन्दोलन ने भारतीयो को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता मिलने मे वहुत सहायता मिली। यद्यपि इतने से काल मे असहयोग

इस समय दिल्ली मे जो आतक फैला उसे शान्त करने के लिये गाधीजी दिल्ली जाने लगे, तो उन्हे गिरफ्तार करके वापस भेज दिया गया, इससे अमृतसर मे आतक फैला। वहाँ दो अंग्रेजो को मार डाला गया। सरकार की आज्ञा से डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया और मीटिंगो की मनाही कर दी गई। परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नही पहुँची और जलियावाला बाग मे बैसाखी त्यौहार के सम्बन्ध मे मीटिंग हुई। उसे भग करने के लिए गोली चलाई गई, जिसमे 879 व्यक्ति मरे और 1200 घायल हुए।

गाधीजी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होने वाइसराय की वापसी की माँग की। गाँधीजी ने कहा कि जिन्होने यह किया है उन्हे उचित दण्ड मिलना चाहिए। परन्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिससे विरोध की लहर दौडी और असहयोग आन्दोलन शुरु हुआ।

युद्ध मे भारतीय मुसलमानो ने अंग्रेजो की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे टर्की को कोई हानि नही पहुँचायेगे। परन्तु युद्ध के बाद अंग्रेज अपने कहने पर न रहे और टर्की के विभाजन की योजना बनाने लगे। मुसलमानो ने टर्की के खलीफा के समर्थन मे खिलाफत आन्दोलन चलाया। खिलाफत कमेटी ने असहयोग आन्दोलन मे मिलने का निश्चय किया और इसे देश मे फैलाने मे सहायता की।

असहयोग आन्दोलन को गाधीजी ने 1 अगस्त, 1920 ई० को प्रारम्भ किया। यह तीव्रता से फैलने लगा। भारतीय जनता ने बडे उत्साह से इसमे भाग लिया। सैकडो मजिस्ट्रेटो ने त्यागपत्र दिये, वकीलो ने अदालत छोडी, विद्यार्थियो ने शिक्षा-संस्थान छोडे। गाधीजी ने और मौलाना शौकत अली ने सब जगह दौरा किया और सर्वत्र उनका बडा स्वागत किया गया। विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार और मद्य-निषेध किया गया। राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ स्थापित किया गया। सरकार इसे छोटी बात समझ रही थी, परन्तु शीघ्र ही इसने भयकर रूप धारण कर लिया। इसके फलस्वरूप सरकार ने अपना दमनचक्र चलाया जिसमे कई

हिंसात्मक घटनाएँ हुई । 1921 ई० मे दमन अधिक बढा और भारतीय जेलो मे ठूँस दिये गये ।

8 जुलाई, 1921 ई० मे कराँची मे हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने सेना की भरती का बहिष्कार करने का निश्चय किया और सरकार को यह धमकी दी कि वह गणतन्त्र स्थापित करेंगे और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलायेंगे । इसी बीच मोपला मे, जहाँ खिलाफत आन्दोलन जोरो पर था, उत्पात हो गया । सरकार ने अली भाइयो को गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा देदी । इसमे देश मे हलचल और बढी ।

17 नवम्बर को जब युवराज वेल्स के बम्बई आने पर दगा हुआ तो गाधीजी ने असहयोग आन्दोलन को रोक दिया । गाधीजी ने 9 फरवरी, 1922 ई० को वाइसराय को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार 7 दिन मे अपनी नीति नही बदलती तो वे **सविनय अवज्ञा बारदोली** नामक स्थान मे प्रारम्भ करेंगे । परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी मे हिंसा-काड हुआ जिसमे 22 पुलिस के सिपाही मारे गये । गाधीजी इससे दुखित हुए और उन्होंने 11 फरवरी, 1922 ई० को बारदोली की काग्रेस कार्यकारिणी की बैठक मे इस आन्दोलन को रोकने का प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने **सविनय अवज्ञा** को भी रोक दिया । गाधीजी ने सम्पूर्ण देश मे अहिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ।

असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष मे बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये ही समाप्त हो गया क्योंकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और सयम की जरूरत थी, वह भारतीयो मे न था । परन्तु इससे यह कभी नही सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास मे इस आन्दोलन का कोई स्थान नही । असहयोग आन्दोलन ने अँग्रेजो को यह दिखाया कि भारतीय भी अपने देश के लिए बलिदान करना जानते है । इस आन्दोलन ने भारतीयो को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता मिलने मे बहुत सहायता मिली । यद्यपि इतने से काल मे असहयोग

आन्दोलन भारत को स्वतन्त्र न कर सका परन्तु इससे ऐसी जनशक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य हुआ जिसकी प्रत्येक आन्दोलन के लिये आवश्यकता होती है।

सन् 1922 मे जब गाधीजी जेल चले गये तो भी असहयोग आन्दोलन का कार्य तीन माह तक चलता रहा। फिर एक सत्याग्रह समिति नियुक्त की गई। उसने अनेक सिफारिशें की जिसमे यह सिफारिश भी की गई कि सामूहिक सत्याग्रह बद हो। छोटे रूप मे सत्याग्रह किया जाय तथा काउन्सिलो मे प्रवेश किया जाय। काउन्सिल प्रवेश के प्रश्न पर काग्रेस से अलग एक स्वराज्य दल की स्थापना हुई। सन् 1923 मे इलाहाबाद मे प्रथम स्वराज्य दलीय सम्मेलन हुआ। स्वराज्य दल का काम था कि वह सरकार को यह जता दे कि उसकी माँगे अस्वीकृत होने पर वह अड गा नीति अपनायेगा। सन् 1924 मे मोतीलाल नेहरू ने 1919 ई० के एक्ट मे सशोधन की माँग की। 1925 मे देशबन्धु की मृत्यु के बाद स्वराज्य दल का भार मोतीलाल पर आ गया। सन् 1926 मे महात्मा गाधी ने साबरमती पैक्ट द्वारा फिर काग्रेस व स्वराज्य दल मे एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

(5)

राष्ट्रीय आन्दोलन का पूर्ण स्वतन्त्रता का युग
(1926 से 1947 ई० तक)

महात्मा गाधी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप देश मे दिन प्रतिदिन राष्ट्रीयता की भावना बढ रही थी। स्वराज्यवादी दल के कार्यो ने यह बता दिया था कि मॉन्टफोर्ड जैसी योजनाओ से भारतीय सतुष्ट नही हो सकते। इगलैण्ड की सरकार ने इस कारण साइमन कमीशन की नियुक्ति की कि वह देखे कि किस प्रकार भारतीयो को स्वराज्य दिया जाय। परन्तु भारतीयो ने इसका विरोध किया। अग्रेजो ने यह कहा कि भारतीय सम्मिलित रूप मे अपना सविधान नहीं बना सकते। इसके उत्तर मे दिल्ली मे एक सर्वदलीय सम्मे-

लन हुआ, जिसमे यह तय हुआ कि औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर भारत का सविधान बनाया जाय। लीग के सिवा सबने इसे स्वीकार किया। काग्रेस ने सम्मेलन की रिपोर्ट इस शर्त पर मानी कि 31 दिसम्बर 1931 ई० तक अँगरेजी ससद उसे कानून का रूप दे दे, नही तो सरकार के साथ असहयोग किया जायेगा। परन्तु इन सब बातो से कुछ लाभ न होने पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अग्रलिखित कदम उठाये गये।

पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग

सन् 1929 की लाहौर काग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की। काग्रेस के आदेश से 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया। फरवरी, 1930 मे गाधीजी ने पुन सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय किया और 12 मार्च, 1930 ई० को अपने 79 समर्थकों के साथ वे सौ मील की यात्रा के बाद डाडी पहुँचे। वहाँ उन्होने नमक कानून तोडा। काग्रेस समिति ने यह कहा कि सब देशवासी नमक बनायें, नशे की दुकानो पर धरना दें और सरकारी स्कूलो से त्यागपत्र दें। गाधीजी जेल चले गये।

12 नवम्बर, 1930 ई० को प्रथम गोलमेज परिषद् इगलैण्ड मे बुलाई गई जिसमे यह कहा गया कि भारत मे (एक) सघीय योजना को लागू किया जायगा जिसके अन्तर्गत प्रान्तो मे उत्तरदायी सरकार तथा केन्द्र मे आंशिक उत्तरदायी सरकार और गवर्नरो को विशेष अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु काग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज्य था। अत उसने इस घोषणा को स्वीकार नही किया। इस पर बिना शर्त के गाधीजी जेल से छोड दिये गये और गाधी-इरविन समझौता हुआ। एक वर्ष के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन रुका रहा। परन्तु जब द्वितीय गोलमेज परिषद् के लिये गाधीजी इगलैण्ड जाने लगे तो उसी समय समझौते से हुए सद्भाव समाप्त हो गये और गाधीजी वहाँ यह कहकर वापिस आये कि 'अब हमे अलग-अलग रास्तो पर चलना होगा।'

गाधीजी के इगलैण्ड से वापिस आने पर स्थिति और गम्भीर हो गई। गाधीजी ने इस सम्बन्ध मे वाइसराय से मिलना चाहा, परन्तु वाइसराय

ने मिलने से इनकार कर दिया। गाधीजी और पटेल गिरफ्तार हुए। आन्दोलन पुन जोर पकडने लगा। इसी बीच अँग्रेजी सरकार ने अछूतो को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। इसका अर्थ हिन्दू समाज मे साम्प्रदायिकता की जड जमाना था। इस पर गाधीजी ने आमरण अनशन किया जिसके कारण पूना मे अछूतो व सवर्ण हिन्दुओ का पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ। काग्रेस ने यह स्वीकार किया कि अछूतो को 10 वर्षो के लिए विशेष सरक्षण प्रदान किया जाय, पृथक् निर्वाचन नही। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया तथा गाधीजी का उपवास टूटा। नवम्बर 1932 मे तीसरी गोलमेज परिषद् मे 1935 के अधिनियम के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था स्वीकार हुई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो गया। काग्रेस छोडकर गाधीजी ने हरिजन उद्धार का कार्य अपनाया।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

सन् 1935 मे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट पास हुआ जिसके अन्तर्गत हुए चुनावो मे बगाल और पजाब के अलावा सभी प्रान्तो मे काग्रेस जीती। जुलाई, 1937 ई० मे काग्रेस ने नवीन विधान के अन्तर्गत 8 प्रान्तो मे अपने मन्त्रिमण्डल बनाये। 3 सितम्बर, 1939 ई० को जर्मनी के विरोध मे इगलैण्ड ने युद्ध की घोषणा की। वाइसराय ने भारत से सहायता माँगी और इसके बदले मे यह कहा कि '1935 ई० के एक्ट मे ऐसे सुधार किये जायेगे जो भारत के लिए उपयुक्त होगे।' उसी समय कुछ करने की बात कहने पर वाइसराय ने टालमटोल की। इस पर काग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने त्याग-पत्र दे दिया। इसी बीच 1940 ई० मे लाहौर के अधिवेशन मे लीग की ओर से पाकिस्तान की माँग की गई। सितम्बर 1940 मे काग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का निश्चय किया। गाधीजी ने उसका नेतृत्व किया जिसके परिणाम-स्वरूप वे जेल गये।

क्रिप्स मिशन

जून, 1941 ई० को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। अप्रैल, 1942 ई० मे क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने भारतीय नेताओ की सलाह मे एक योजना बनाई। योजना की शर्ते सभी दलो ने अस्वीकृत की और 11 अप्रैल, 1942 ई० को योजना वापस ले ली गई। अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि अब भारत को युद्ध का आधार बनाया जायेगा। इस पर गाधीजी के नेतृत्व मे **भारत छोडो** आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। अनेक नेता गिरफ्तार हुए। सारे देश मे **कर मिटो या मर मिटो** का आह्वान किया गया। यद्यपि आन्दोलन अहिंसा पर आधारित था परन्तु कई जगह हिंसा भी हुई। 2 वर्ष तक आन्दोलन चला। अनेक लोगो ने गुप्त रूप से रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि जलाकर आन्दोलन मे भाग लिया। इस पर जनता का दमन किया गया। इसी समय बगाल मे भीषण अकाल पडा। युद्ध के समय भारत को बडा कष्ट उठाना पडा। सब नेताओ और गाधीजी को जेल मे डाल दिया गया। 1944–45 मे वे सब छोड दिये गये।

वैवल योजना व शिमला सम्मेलन

14 जून, 1945 ई० को लार्ड वैवल के कहने पर इगलैण्ड सरकार ने भारत के लिए एक योजना बनायी। जिसके अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अधिकाश सदस्य भारतीय होने थे। पर हिन्दू व मुसलमानो के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के कारण शिमला सम्मेलन मे वह योजना नेताओ द्वारा अस्वीकृत कर दी गई।

कैबिनिट मिशन योजना

जुलाई, सन् 1945 ई० मे इगलैण्ड मे मजदूर दल की सरकार आई। सन् 1947 मे नौ-सेना के विद्रोह से अँग्रेजो को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना पर बहुत दिनो तक विश्वास नही किया जा सकता। मजदूर दल ने 19 फरवरी, 1946 ई० को एक कैबिनिट मिशन भारत भेजा, जिसका काम भारत के शासन के आगामी

स्वरूप की योजना वनाना था। इस मिशन ने पहले भारत आकर यह कोशिश की कि काग्रेस और लीग के समझौते के आधार पर योजना वनाई जाय, परन्तु सफलता न मिलने पर उसने स्वय एक योजना वनाई। यह योजना सभी दलो को अस्वीकार्य रही, यद्यपि काग्रेस ने अन्तरिम सरकार अवश्य वनाई। इसके वाद इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री ने काग्रेस और लीग के नेताओ को वुलाकर किसी समझौते पर पहुँचने की कोशिश की परन्तु उसमे भी उन्हे सफलता नही मिली।

सत्ता हस्तान्तरण व विभाजन

लीग और काग्रेस के आपसी मतभेद के कारण अव तक सभी योजनाये वेकार सिद्ध हुई थी। पर अव अन्तर्राष्ट्रीय व भारतीय परिस्थितियो के कारण इङ्गलैण्ड की सरकार को सत्ता का हस्तान्तरण करना पडा। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग कर रही थी। काग्रेस उसका विरोध कर रही थी। अत 20 फरवरी, सन् 1947 को इङ्गलैण्ड के प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने घोषणा की कि जून 48 तक भारत को सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया जायेगा। योजना को कार्यान्वित करने के लिये लार्ड माउण्टवैटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होने भारतीय नेताओ से सलाह करके निश्चय किया कि कैविनिट मिशन की योजना को लागू न किया जाय तथा देश को साम्प्रदायिकता से वचाने के लिए उसका विभाजन कर दिया जाय। मुस्लिम लीग की तो यह इच्छा थी ही कि विभाजन हो। काग्रेस ने भी परिस्थितियो से वाध्य होकर विभाजन स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त, 1947 ई० को स्वतन्त्रता सग्राम के परिणामस्वरूप भारत मे अँग्रेजी राज्य समाप्त हो गया, तथा भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ-साथ भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

(6)

महात्मा गांधी की देन

जिस समय भारत को स्वतन्त्रता मिली उस समय गाधीजी यद्यपि

काग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य भी नही थे , फिर भी इसमे सदेह नही कि भारत की स्वतन्त्रता महात्मा गाधी के प्रयत्नो का ही फल थी। महात्मा गाधी स्वतन्त्रता सग्राम के ऐसे सचालक थे जिन्होने जनता की भाँति ही अपने को बना लिया था। महात्मा गाधी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए ही आन्दोलन नही किया, वरन् उनका लक्ष्य यह भी था कि भारतीय आन्तरिक दृष्टि से ही सबल बनें और ससार के राष्ट्रो के बीच भारत को उचित सम्मान प्राप्त हो। काग्रेस के सम्पर्क मे आने से लेकर अन्त समय तक वे उसके सचालन का काम करते रहे। जब अन्तिम समय वे उससे अलग भी हो गये तो भी उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रीय एकता के पुजारी थे। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये उन्होने अपना जीवन बलिदान कर दिया और अन्त मे इसी कारण उन्हे गोली का शिकार होना पडा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राष्ट्रीय चेतना के कारणो का सक्षिप्त उल्लेख करिये।
2. काग्रेस की स्थापना कब और क्यो हुई ? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था ?
3. राष्ट्रीय आन्दोलन मे उदारवादी युग के बारे मे आप क्या जानते हैं ? सक्षेप मे लिखिये।
4 राष्ट्रीय आन्दोलन मे उग्रवादी तथा क्रातिकारी प्रवृत्तियो का उल्लेख करते हुए उसके कारणो पर प्रकाश डालिये।
5. मुस्लिम लीग पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखिये।
6. युद्धकालीन राष्ट्रवाद क्या है ? सक्षेप मे लिखो।
7 गृह-शासन आन्दोलन के प्रारम्भ होने के क्या कारण थे ? इसकी कार्य-प्रणाली और प्रगति के सम्बन्ध मे सक्षेप मे लिखिए।
8. असहयोग आन्दोलन को किसने प्रारम्भ किया ? वह कहाँ तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सका ?
9. हमे स्वतन्त्रता किन-किन कठिनाइयो तथा प्रयत्नो के बाद प्राप्त हुई ? सक्षेप मे वर्णन करिए।
10 स्वतन्त्रता सग्राम मे महात्मा गाधी ने क्या योग प्रदान किया ?

अध्याय 2

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या

राजनैतिक भारत की सीमा समय-समय पर वदलती रही है। आज का भारत वह नही है जो कि अशोक के समय मे या मुगल साम्राज्य के काल मे था या जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काल मे था। वैसे भौगोलिक दृष्टि से तो यह सारा क्षेत्र एक कहा जा सकता है, पर राजनैतिक दृष्टि से यह बहुत कम समय पर एक रहा है। शक्तिशाली सम्राट और सेनापति उत्तर भारत से साम्राज्य विस्तार की इच्छा लेकर विजय यात्रा के लिये जाते थे और अपनी विजय का डका वजाते हुए फिर वापस आ जाते थे। समुद्रगुप्त के काल मे यही हुआ, अकवर ने यही किया, औरगजेब ने यही करना चाहा, अलाउद्दीन के वीर सेनापति मलिक काफूर ने भी यही किया। पर ये विजय यात्रायें दीर्घजीवी नही होती थी। सेनापतियो के पीठ फेरते ही ये सामन्त पुन स्वतन्त्र हो जाते थे। यदि दुर्भाग्यवश केन्द्र मे कोई कमजोर शासक हुआ, तो इन सामन्तो की शक्ति और भी वढ जाती थी।

ऐसा कहा जाता है कि कई वार अग्रेज साम्राज्यवादियो ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि भारत एक राष्ट्र नही है। यह सावित करने की चेष्टा करना कि अकवर के काल मे भारत एक राष्ट्र था या समुद्रगुप्त के काल मे भारत एक राष्ट्र था, व्यर्थ है, क्योकि राष्ट्र का जो मतलव आज हमारे सामने है, वह उस काल मे नही था। राष्ट्र की आधुनिक कल्पना तो 19वी सदी मे उत्पन्न हुई है और इसने उसके वाद जोर पकडा है। उससे पहले राज्य होते थे या साम्राज्य होते थे

और इन राज्यो या साम्राज्यो की सीमाये सैनिको, सेनापतियो और सम्राटो के वाहुवल के अनुसार वढती या सिमटती रहती थी। एक साम्राज्य के अग होने के नाते हम मे एकात्मकता की कुछ भावना उत्पन्न भले ही हो जाय, पर साम्राज्य की तुलना राष्ट्र से करना न्यायोचित नही दीख पडता।

भारत के वर्तमान स्वरूप के निर्माण मे अँग्रेजो का काफी हाथ रहा है। अँग्रेजो के आने के पहले न तो आवागमन के साधन इतने विकसित थे और न भाषा की एकता थी। इसलिए विचारो का आदान-प्रदान सुविधापूर्वक नही हो सकता था। यह तो नही कहा जा सकता कि यदि अँग्रेज भारत मे न होते, तो रेल, तार या वायु-यातायान की सुविधाओ का विकास हुआ ही न होता, पर एक ऐसी भाषा जिससे कि सारे भारतीय एक-दूसरे से विचारो का आदान-प्रदान कर सके शायद सम्भव न होती। आज अँग्रेजी के माध्यम से हम उत्तर, दक्षिण और पूर्व व पश्चिम सभी ओर के लोगो के विचारो से अवगत हो सकते है और उन्हे अपने विचारो से अवगत करा सकते हैं।

भारत मे अनेक धर्मो के अनुयायी रहते है, अनेक भाषाएं वोलने वाले लोग रहते है, उनकी विभिन्न सास्कृतिक पृष्ठभूमि है। इन सवो को एक सूत्र मे वाँधने का श्रेय अँग्रेजी भाषा को है।

भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई कहा जा सकता है। भौगोलिक एकता सदैव ही राजनैतिक एकता का प्रतीक नही होती। यद्यपि भौगोलिक एकता राजनैतिक एकता को लाने मे सहायक हो सकती है, परन्तु भौगोलिक एकता को राजनैतिक एकता का टकसाली प्रमाण नही माना जा सकता। ब्रिटिश शासन काल मे वर्तमान सीलोन, वर्मा पाकिस्तान आदि सभी एक ही शासन मे थे। पहले लका, अलग किया गया, वाद मे वर्मा अलग किया गया और फिर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। धार्मिक दृष्टि से भारत एक रहा है। हिन्दुओ के तीर्थ स्थान भारत के चारो कोनो मे है। वद्रीनाथ, रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी

भारत के चारो कोनो मे है। धार्मिक मन्त्रो मे उत्तर भारत की नदियों के साथ दक्षिण भारत की नदियो का भी नाम लिया जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश अथवा शकराचार्य के वेदान्त-उपदेश देश के चारो कोनो मे ही फैले हुए हैं।

परन्तु धार्मिक एकता राजनैतिक एकता का प्रतीक नही होती। अधिकाश यूरोपियन क्रिश्चियन धर्मानुयायी हैं, पर सारा यूरोप एक राष्ट्र नही है। नैपाल के निवासी भी हिन्दू हैं, परन्तु नैपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र है। पाकिस्तान के अलावा और भी दूसरे मुस्लिम देश हैं, पर वे सब मिलकर एक राष्ट्र नही हो सकते।

राष्ट्रीय एकीकरण

इन सब उपरोक्त कारणो के कारण भारत मे राष्ट्रीय एकता की भावना उस सीमा तक विकसित नही हुई है जिस सीमा तक योरोपीय देशो मे यह पाई जाती है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि अँग्रेज शासको की 'विभाजन कर शासन करने की नीति' के कारण भारत मे राष्ट्रीय एकता का विकास नही हो सका, क्योकि अँग्रेज शासक सदैव ही पृथक्करण के तत्वो को सहारा देते रहे। इन बातो मे विश्वास करना हमारी देश-भक्ति का प्रमाण हो सकता है, पर इसे इतिहास की दृष्टि से प्रमाणित करना शायद सदैव सम्भव नही है। आज स्वतन्त्रता के सोलह वर्षो के बाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के प्रोग्राम की आवश्यकता पडी है। चीनी हमले ने हमे जरूर एकता के सूत्र मे बांधा, पर उस खतरे के हटने के बाद फिर हम पुरानी रफ्तार मे चलने लगे हैं। आज भी दक्षिण मे द्रविड मुनेत्र कडघम स्वतन्त्र दक्षिणावृत्त (द्रवडिस्तान) के लिये प्रयत्नशील है। भाषावाद के दगे, पजाबी सूबे का आन्दोलन, साम्प्रदायिक दगे आदि इस बात के प्रमाण है कि हममे राष्ट्रीयता की भावना की कमी है। तत्कालीन शासको की नीति चाहे जो रही हो, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शासको की नीति तो बदली है, परन्तु फिर भी जब ये

पृथक्करण की नीतियाँ सिर उठाती है तो इसके लिए केवल अँग्रेज-शासकों को ही दोषी ठहराना उचित नही कहा जा सकता ।

राष्ट्रीय एकता मे बाधक तत्व

राष्टीय एकता मे निम्नलिखित तत्व बाधा डालते है —

(1) **साम्प्रदायिकता**—भारत मे अनेक धर्मो के लोग रहते है । यदि धर्म केवल व्यक्तिगत विषय हो और लोग केवल अपनी मानसिक शान्ति के लिए धर्म का पालन करे तो अच्छी ही बात है, परन्तु धर्म यदि आपस मे फूट पैदा करे और विभिन्न धर्मो के अनुयायी आपस मे एक दूसरे से वैर रखे तो यह अनुचित है । आमतौर से इस प्रकार की शिकायतें होती ही रहती है कि हिन्दू अधिकारी हिन्दू-धर्मावलम्बियो के साथ पक्षपात करते हैं । इसी प्रकार मुस्लिम अधिकारी अपने धर्मावलिम्बयो के साथ पक्षपात करते है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है । परन्तु सविधान की इस घोषणा का कोई खास मतलब नही निकल सकता, जब तक कि लोगो मे भी धर्म-निरपेक्षता की भावना का प्रचार नही होता । कोई भी कानून, सविधान या साधारण विधेयक निरर्थक है, यदि लोग उसका सही ढग से पालन न करे ।

(2) **जातिवाद**—दूसरी कठिनाई जातिवाद की है । जाति भारतीय समाज की एक विशेषता है । अन्य देशो मे यह इस रूप मे नही है । आज भी हमारे देश मे मत जाति के आधार पर ही दिये जाते है । सभी दलो के प्रचारक, चाहे वे जातिवाद को कितना भी गलत बतलावे, अपने दल के उम्मीदवारो के लिए जातिवाद का उपयोग करने मे नही हिचकते । अभी भी अधिकारियो मे यह प्रवृत्ति देखने मे आती है कि वे अपनी जाति वालो को प्राथमिकता देते हैं ।

(3) **प्रान्तीयतावाद**—आज भारत मे लोग अपने को भारतीय नागरिक न समझ कर बगाली, बिहारी, गुजराती, मद्रासी, राजस्थानी, पजाबी आदि समझते हैं । यद्यपि सविधान मे एक नागरिकता की घोषणा की गई है, परन्तु फिर भी प्रान्तीयता की भावना ने लोगो पर इस तरह

कब्जा जमा रखा है कि वे प्रान्त के सकुचित हितो के लिये राष्ट्रीय भावना को पीछे धकेल देते हैं।

(4) **भाषावाद**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भाषावाद के आधार पर हमारे देश का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन के बाद देश मे इस कदर दगे हुए कि उनके कारण हमारा सर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है। बम्बई मे गुजराती-मराठी दगे हुये, जिसमे सैकडो व्यक्ति मारे गये। तेलगू भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये श्री रामालू ने उपवास किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और आन्ध्र प्रदेश का निर्माण करना पडा। मास्टर तारासिंह ने पजाबी-भाषी क्षेत्र के लिए आन्दोलन किया और उन्होने भी उपवास किया। राष्ट्र भाषा के प्रश्न को लेकर अभी हाल मे मद्रास मे जो उपद्रव हुये है, उनसे यही प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि मे हम अब भी बहुत पिछडे हुए है।

(5) **नैतिकता का अभाव**—नैतिकता की कमी के कारण भी राष्ट्रीय एकता मे बाधा आ पडती है, क्योकि नैतिकता की कमी होने के कारण लोग अपने सकुचित स्वार्थो के लिये धर्म, जाति, प्रान्त, भाषा आदि का सहारा लेने लगते है। यह नैतिकता के अभाव का ही परिणाम है कि व्यक्ति किसी अधिकारी से यह सिफारिश करता है कि वह उसी के धर्म का अनुयायी है, उसी के प्रान्त का है, उसी की जाति का है या उसी की भाषा बोलता है और इसलिए उसे इस आधार पर कुछ सुविधाएँ या प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीय एकता लाने के उपाय

(1) **सुशिक्षा**—आज अनपढ और पढे-लिखे दोनो ही व्यक्तिवाद, प्रान्तीयतावाद के शिकार हो रहे हैं। अत यह कहा जा सकता है कि हमारी शिक्षा राष्ट्रीय एकता लाने के लिए सक्षम नही है। राष्ट्रीय एकता लाने के लिए शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना होगा, जिससे शिक्षित व्यक्ति जो आगे चल कर समाज का नेतृत्व करेंगे अपने

को हिन्दू या मुसलमान, राजस्थानी या गुजराती अनुसूचित या सवर्ण हिन्दू न समझ कर अपने को भारतीय समझें ।

(2) राष्ट्रीय जनमत का निर्माण—आज देश मे यह भावना ही नही है कि सकुचित स्वार्थो की दृष्टि से कार्य करना राष्ट्रीयता के प्रति अपराध है, बल्कि ऐसा करने वाले को लोग आदर की दृष्टि से देखते है । यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के लोगो को नौकरी मे सुविधा देता है तो जाति या जनमत उसका बहिष्कार करने के बदले उसको आदर की दृष्टि से देखता है । उसके विषय मे कहा जाता है कि वह बडा आदमी है जो बिरादरी का ख्याल रखता है । जब तक हम इस भावना से परे नही उठ जाते, तब तक राष्ट्रीय एकता स्वप्न मात्र ही है ।

(3) स्वस्थ राजनैतिक वातावरण का निर्माण—राजनैतिक दलो को इस तरह का कोई काम नही करना चाहिये जिससे पृथकता के तत्वो को कोई सहारा मिले । उन्हे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जाति, प्रान्तीयता, धर्म, भाषा आदि के आधार पर अपील नही करनी चाहिए, चाहे उनके दल का उम्मीदवार चुनाव मे हार जाय या जीत जाय ।

(4) गरीबी और बेकारी की समाप्ति—हमारे देश मे गरीबी और बेकारी का प्रकोप है । एक गरीब और बेकार आदमी, जिसके लिए यह समस्या है कि आज रोटी मिलेगी या नही, अथवा बीमार पत्नी और बच्चे के लिए दवा कैसे आवेगी, जातिवाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता किसी भी तत्व के नाम पर अपना काम बनाने की चेष्टा करेगा और यह उसके लिये स्वाभाविक भी है । कोई भी व्यक्ति ऐसे समय मे नैतिकता की दुहाई देकर हाथ पर हाथ रख कर नही बैठ सकता ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 भारत मे राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर एक छोटा निबन्ध लिखिए ।



भाग 2

हमारे संविधान की सामान्य रूपरेखा

अध्याय 3

भारतीय संविधान के मुख्य पक्ष

(1)
सविधाननेत्री सभा तथा संविधान का निर्माण

गाँधीजी के नेतृत्व मे भारत का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता गया और 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश पूर्णत स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण ध्येय यह भी था कि भारतवासियो को अपने ऊपर न केवल शासन करने का अधिकार हो अपितु उन्हे उस शासन की रूपरेखा तथा उसकी प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार प्राप्त हो। शासन की रूप-रेखा एव प्रणाली देश के सविधान मे वर्णित की जाती है। अत देश के सविधान का निर्माण स्वय देश के निवासी ही करें, यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक विशेष सिद्धान्त था। वास्तव मे स्वतन्त्रता मिलने से कुछ पहले ही 9 नवम्बर, 1946 ई० को सविधान निर्माण करने हेतु एक सविधान सभा का गठन किया जा चुका था। सविधान सभा मे उस समय के भारतीय राज्यो (प्रान्तो) की विधान सभाओ ने प्रतिनिधियो को चुनकर भेजा था जिन्होने 26 नवम्बर, 1949 ई० को भारत के लिए नया सविधान प्रस्तुत किया। 26 जनवरी, 1950 ई० को भारत इसी सविधान के अन्तर्गत लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। इस सविधान का भली प्रकार अध्ययन करना स्वतन्त्र भारत के नागरिक की हैसियत से हर विद्यार्थी का कर्तव्य है ताकि वह प्रशासन की उस रूपरेखा एव प्रणाली से परिचित हो सके जिसके

अन्तर्गत उसके देश की सरकार चलाई जाती है। सविधान का अध्ययन सुचारु रूप से करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि पहले हम उसके मुख्य लक्षणो की ओर ध्यान दें। भारतीय सविधान के मुख्य लक्षणो अथवा विशेपताओ का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्पको के अन्तर्गत कर सकते हैं।

(2)

सविधान की प्रमुख विशेषताएँ

सविधान की विशेपताओ का उल्लेख निम्न शीर्पको के अन्तर्गत करना अधिक सरल एव उपादेय रहेगा —

(1) सविधान एक प्रलेख के रूप मे।

(2) सघीय सविधान।

(3) लचीले एव अपरिवर्तनशील सविधानो का समन्वय।

(4) न्यायालय की स्वतन्त्रता।

(5) मौलिक अधिकारो का उल्लेख।

(6) राज्य की नीतियो का निर्देशन।

1 सविधान एक प्रलेख के रूप मे

(अ) लिखित सविधान— भारत का सविधान लिखित है। इसका निर्माण एक विशेप रूप से सगठित सविधान सभा द्वारा हुआ है। सविधान निर्माताओ ने विश्व के अन्य सविधानो का गहन अध्ययन करके प्रत्येक की अच्छी बातो का भारतीय सविधान मे समावेश करने का सफल प्रयत्न किया है। स्वभावत ही सविधान का आकार इस कारण बडा हो गया है। इसीलिए इसको विश्व के सबसे अधिक विस्तृत सविधान की सज्ञा दी गई है।

(ब) राज्य के रूप की व्याख्या—हमारे सविधान मे केवल सरकार के गठन और उसके अधिकारो एव कार्य-क्षेत्रो का वर्णन ही नहीं है बल्कि इसमे इस बात का भी उल्लेख है कि भारत मे स्थापित राज्य का

स्वरूप क्या होगा ? संविधान के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की सरकार भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उसी के द्वारा चुनी जायेगी। सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का अर्थ यह है कि संविधान के अनुसार भारत अपनी नीति निर्धारित करने मे किसी बाहरी शक्ति की राय से बाध्य नही होगा। अपनी नीतियो के लिए वह स्वय जिम्मेदार होगा। गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत का अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति वंशगत न होकर चुना हुआ होगा। लोकतन्त्रात्मक राज्य से यह मतलब निकलता है कि भारतीय जनता स्वय अपनी शासक है। भारतीय सरकार का निर्माण स्वय जनता करती है जिसके लिए उसे मत देने का अधिकार मिला हुआ है। प्रत्येक पाँच वर्ष बाद भारत मे चुनाव करके जनता के प्रतिनिधि चुने जाते है। बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री नियुक्त किया जाता है जो कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियो मे से अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है। स्वय राष्ट्रपति जैसा कि पहले बताया जा चुका है, चुना जाता है। उसके चुनाव की प्रणाली का अध्ययन अन्य अध्याय मे किया जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान की यह एक विशेषता अथवा मुख्य लक्षण है कि इसमे भारत मे स्थापित राज्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस स्वरूप का संविधान मे उल्लेख किया जाना एक विशेष महत्व रखता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन मे इस बात पर बल दिया गया था कि भारतवासियो को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था जिसमे जनता जनार्दन के हाथो मे अथवा उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियो के हाथो मे सत्ता हो, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था कहलाती है, और वह राज्य जहाँ का उच्चतम अधिकारी वंशगत अथवा स्वय-निर्मित अधिनायक न होकर निर्वाचित किया गया हो गणतन्त्र कहलाता है। भारतीय संविधान मे यह दोनो मुख्य लक्षण विद्यमान है।

2 सघीय सविधान

भारतीय सविधान के अन्तर्गत एक सघ की स्थापना की गई है। भारत 16 राज्यो का एक सघ है। सविधान मे केन्द्र और राज्यो के कार्य-क्षेत्रो और उनके अधिकारो की सीमाओ का विस्तृत वर्णन किया गया है। सविधान मे उन विषयो का उल्लेख किया गया है जो केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। राज्यो की सरकारो के अन्तर्गत आने वाले विषयो का उल्लेख एक अलग सूची मे किया गया है। एक तीसरी सूची मे उन विषयो का उल्लेख है जिन पर केन्द्र और राज्य दोनो की सरकारे कानून वना सकती है। इस प्रकार सविधान मे केन्द्र और राज्य की सरकारो के कानून वनाने के क्षेत्रो का वर्णन किया गया है। यद्यपि सविधान के अनुसार राज्यो को उन विषयो पर कानून वनाने का अधिकार है जो राज्य की सूची मे दिए गये है फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से केन्द्र की सरकार को अधिक महत्त्वपूर्ण विषयो पर कानून वनाने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य की सरकारो से अधिक शक्ति है और इसीलिए कुछ आलोचको के अनुसार भारत मे सघीय प्रणाली वास्तव मे सघीय प्रणाली नही है। राज्यो को सघ से सम्वन्ध-विच्छेद करने का अधिकार नही है।

3 लचीलेपन एव अपरिवर्तनशीलता मे समन्वय

भारतीय सविधान की एक मुख्य विशेषता यह है लिखित होते हुए भी इसमे परिवर्तन आसानी से किये जा सकते है। लिखित और विस्तृत होने के फलस्वरूप इसमे उतना लचीलापन नही है जितना कि ग्रेट ब्रिटेन के सविधान मे पाया जाता है। फिर भी हमारा सविधान इतना अपरिवर्तनशील भी नही है कि समय आने पर इसमे सशोधन करना मुश्किल हो जाये। हमारे सविधान मे लचीले एव अपरिवर्तनशील सविधानो की विशेषताओ का सुन्दर सम्मिश्रण है।

4 न्यायालय की स्वतन्त्रता

लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की विशेपता यह भी है कि उसमे

न्यायालय स्वतन्त्रतापूर्वक काम करे। विशेषकर सघीय सविधानो मे न्यायालय का कार्य और वढ जाता है। केन्द्र और राज्यो के कार्य-क्षेत्रो का एक दूसरे द्वारा उल्लघन यदि हो जाय तो झगडे का निवटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सघीय सविधानो मे सविधान ही सर्वोच्च माना जाता है और सविधान की प्रतिष्ठा कायम रखने तथा सरकार द्वारा उसके उल्लघन के प्रति सजग रहते हुए सविधान की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसीलिए सघीय प्रणाली मे न्यायालय की स्वतन्त्रता पर इतना वल दिया जाता है। भारतीय सविधान मे भारतीयो को इसीलिए ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है।

5. मौलिक अधिकारो का उल्लेख

न्यायालयो की सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता का महत्त्व भारतीय सविधान मे इसलिए और भी वढ गया है क्योकि इसमे नागरिको को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है, जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी न्यायालयो पर है। मौलिक अधिकारो का उल्लेख स्वय ही भारतीय सविधान की विशेषता है। यह अधिकार भारत के नागरिक को क्या प्रदान करते है, यह हम आगे चलकर देखेगे। यहाँ यह लिखना ही पर्याप्त होगा कि भारतीय सविधान मे मौलिक अधिकारो का उल्लेख उसका एक मुख्य लक्षण है।

6 राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

भारतीय सविधान मे केवल नागरिको के मौलिको अधिकारो का ही वर्णन नही है वल्कि इसमे राज्य के लिए कुछ नीति सम्वन्धी निर्देशन भी दिये गये हैं। दूसरे शब्दो मे हम कह सकते है कि हमारे सविधान मे नागरिको के अधिकार के साथ-साथ राज्य के कर्तव्यो का भी उल्लेख किया गया है। यह नीति-निर्देशक तत्त्व क्या है, इसका वर्णन आगे किया जायेगा। नीति-निर्देशक तत्त्वो के अन्तर्गत सविधान ने राज्य और राज्य की सरकार के सम्मुख कुछ ध्येय रखे है जिनको प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यतः सविधान ने राज्य का यह कर्तव्य वताया

है कि वह जनता की भलाई के लिए एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करे ।

7 धर्म निरपेक्ष राज्य

हमारे सविधान की एक विशेपता यह है कि इसके अन्तर्गत एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई है, जो किसी धर्म विशेप पर आवारित नही है । इसमे सभी धर्मो को समान स्थान और आदर प्रदान किया गया है । धर्म को राजनीति से अलग रखकर सविवान ने एक ऐसे राज्य की स्थापना का उल्लेख किया है जो धर्म निरपेक्ष हो ।

(3)
मूल अधिकार

सविधान की विशेपताओ का उल्लेख करने के पश्चात् उन मौलिक अधिकारो का विस्तृत वर्णन करना अत्यन्त आवश्यक है जिनकी प्राप्ति के लिए स्वतत्रता आवश्यक होती है और जो हमारे मविवान के अन्तंगत हमे मिले है । अविकारो के प्रति पूर्ण सचेत रहना इसलिए और भी आवश्यक है कि इनकी जानकारी हमे उस सविघान की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य के प्रति हमे जागरूक करती है, जिसके अन्तर्गत हमे यह अविकार मिले हैं । अधिकार की रक्षा मविवान की रक्षा में ही निहित है । तो वे अधिकार क्या हैं ?

1 समता का अधिकार

मविधान के अनुसार भारन का प्रत्येक नागरिक समान है । न कोई वडा है और न कोई छोटा । कानून की दृप्टि मे मव वरावर हैं । सवको वरावर अवमर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है । जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद अथवा अन्य किमी अन्तर के फलम्वरूप भारतवामियो के वीच भेदभाव का वर्ताव नहीं किया जा मकता । इम अविकार का उल्लघन चाहे वह गजय की ओर मे हो अथवा किमी व्यक्ति अथवा ममुदाय की ओर मे, मविधान के अनुमार ऐसा गैर-कानूनी होगा ।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार

स्वतन्त्रता का अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विदेशी शासन से स्वतन्त्र हो जाना ही काफी नहीं है। इस स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए नागरिक को अन्य स्वतन्त्रताओं की आवश्यकता होती है जिसे प्राप्त करना एक स्वतन्त्र नागरिक का अधिकार है। संविधान के अन्तर्गत भारतीय नागरिक को विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता, संगठन करने की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतन्त्रता, सम्पूर्ण देश में बिना रोक-टोक आने-जाने की स्वतन्त्रता आदि कई स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं।

3 शोषण के विरुद्ध अधिकार

संविधान के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को अवैध ठहराया गया है। नागरिक को अधिकार है कि वह शोषण का विरोध करे और बिना उचित पारिश्रमिक के काम करने से इनकार कर दे।

4 धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

संविधान के अन्तर्गत धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को यह अधिकार प्राप्त है। राज्य किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करेगा।

5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार

भारत में विभिन्न भाषा-भाषी लोग बसते हैं। यहाँ केवल भाषाएँ ही अलग-अलग नहीं हैं बल्कि भारत के निवासी विभिन्न संस्कृतियों के अनुयायी हैं। संविधान ने सबको यह अधिकार दिया है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि का संरक्षण करें और उसे बढ़ावा दें।

6 सम्पत्ति का अधिकार

प्रत्येक भारतवासी को सम्पत्ति रखने का अधिकार है। राज्य बिना

उचित मुआवजे के किसी व्यक्ति अथवा सस्था की सम्पत्ति पर अधिकार नही कर सकता।

7 मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए सवैधानिक उपचारो के प्रयोग का अधिकार

यदि मौलिक अधिकारो पर राज्य अथवा राज्य का कोई कर्मचारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति या सस्था कुठाराघात करता है, तो वह व्यक्ति अथवा सस्था जिसके अधिकार छिन रहे हो, सविधान द्वारा दिये गये उपचारो का प्रयोग कर मकते है। यह उपचार 5 प्रकार के होते है जो कि विभिन्न परिस्थितियो मे इस्तैमाल किये जा मकते हे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नजरबन्द कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति न्यायालय मे वन्दी प्रत्यक्षीकरण के उपचार की माँग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किमी दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रहा हो तो न्यायालय द्वारा सवैधानिक उपचारो के अन्तर्गत ऐसा करने से रोका जा सकता है।

मौलिक अधिकारो का उपरोक्त वर्णन यह स्पष्ट करता है कि सविधान ने हमे व्यापक अधिकार प्रदान किये है। इन अधिकारो के सदुपयोग मे ही इनकी उपयोगिता और सफलता निहित है।

(4)

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व

मौलिक अधिकारो के पश्चात् राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वो का उल्लेख किया जाये। जैसा कि बताया जा चुका है, सविधान मे इन तत्त्वो का वर्णन है। मविधान के प्राक्कथन मे कुछ उद्देश्यो का जिक्र किया गया है जिनके अनुमार नागरिको के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन मे न्याय प्राप्त करने के लक्ष्य को अपनाया गया है। वह लक्ष्य तभी प्राप्त किये जा मकते है जबकि राज्य एक निर्धारित नीति पर चले। इस नीति का वर्णन राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वो मे किया गया है। इन तत्त्वो के अन्तर्गत राज्य का समस्त कार्य-क्षेत्र आ जाता

हैं। संविधान ने राज्य के सम्मुख कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य रख दिये हैं जिनको प्राप्त करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान ने राज्य के लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति अनिवार्य नहीं ठहराई है, परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि राज्य इन उद्देश्यों के महत्व को समझकर इनको कार्यान्वित करने की भरसक कोशिश करेगा। उद्देश्यों की पूर्ति राज्य तभी कर सकता है जब देश की जनता इनके प्रति सजग हो। अत इन तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। यह तत्व निम्न-लिखित हैं —

1 आर्थिक न्याय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

संविधान ने राज्य के सम्मुख यह उद्देश्य रखा है कि वह ऐसे कानून बनाये एव कार्य करे जिसके फलस्वरूप धनवान और निर्धन के बीच का अन्तर कम हो और आर्थिक दृष्टिकोण मे कोई भी अन्याय का भागी न बने। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिये समान वेतन मिले, और उत्पादन के साधनों का ऐसा बन्दोबस्त हो जिससे उनका प्रयोग जन-हित मे हो सके और उनके द्वारा अर्जित धन किसी एक की तिजोरी न भरकर समस्त जनता के लिये कल्याणकारी हो सके। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सबको आराम मिल सके और जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति शिष्ट जीवन व्यतीत कर सके।

2 सामाजिक हित सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

समाज के कल्याण के लिये संविधान ने राज्य के सम्मुख महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तुत किये है। राज्य को मादक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि समाज मे प्रचलित दोषों का निराकरण हो सके। बुढापे मे पेंशन की व्यवस्था, पशुपालन मे उन्नति के साधनों की उपलब्धि आदि कई उद्देश्य राज्य के सम्मुख रखे गये है।

3 न्याय, शिक्षा और जनतन्त्र सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

भारत मे उचित और आसान न्याय व्यवस्था स्थापित करना, शिक्षा के प्रसार के लिये उचित कदम उठाना और जनतन्त्र के विकास के लिये

पचायत राज को प्रोत्साहन देना भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत आता है । राज्य को यह आदेश दिया गया है कि सविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर-अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चो को नि शुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

4 प्राचीन इमारतो की रक्षा सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

सविधान ने राज्य के सम्मुख प्राचीन इमारतो की रक्षा करने का उद्देश्य रखा है । इसके अनुसार कलात्मक प्राचीन इमारतो की कुरूपता और नष्ट होने से बचाने के लिये राज्य सक्रिय कदम उठायेगा ।

5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

सविधान ने केवल आन्तरिक विषयो से सम्बन्धित नीति-निर्देशक तत्वो का उल्लेख ही नही किया है अपितु उसके अनुसार भारत की सरकार को विदेश-नीति मे भी कुछ उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कदम उठाने होगे । भारत का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी विदेशी नीति अपनाये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का विकास हो तथा राष्ट्रो के बीच न्यायपूर्ण और आदरणीय सम्बन्ध स्थापित हो । राष्ट्रो के बीच झगडे शातिपूर्ण बात-चीत द्वारा सुलझाये जायें ।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो के उपरोक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि हमारा सविधान केवल राज्य की रूपरेखा और सरकार के ढाचे के वर्णन तक ही सीमित नही है बल्कि वह राज्य का उसके कार्यो मे पथ-प्रदर्शन भी करता है । ऐसा विस्तृत तथा सम्पूर्ण सविधान अन्य देशो मे नहीं मिलता । यह भारत के सविधान की मुख्य विशेषता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 सविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ ? सक्षेप मे लिखिये ।
2 सविधान की मुख्य विशेषताओ का वर्णन करिए ।

3. मूल अधिकार किसे कहते है ? वे कितने प्रकार के होते है ? सक्षेप मे वर्णन करिए ।
4 राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो के बारे मे आप क्या जानते है ?
5 राज्य के नीति-निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं ? लिखिये ।

अध्याय 4

केन्द्रीय सरकार

जैसा पिछले अध्याय मे वताया जा चुका है कि भारत मे सघीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश मे ससदीय सरकार की स्थापना की गई है। ससदीय सरकार का अर्थ है कि यहाँ वास्तविक सत्ता ससद के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ मे होती है। राष्ट्रपति अथवा राज्य का अध्यक्ष केवल वैधानिक कार्यपालिका होता है। इस अध्याय मे हम वतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का सगठन किस प्रकार होता है और उसके क्या अधिकार हैं ?

(1)

राष्ट्रपति (वैधानिक कार्यपालिका)

भारत का राष्टपति राज्य का प्रधान होता है जिसके नाम से केन्द्रीय सरकार के सारे काम किये जाते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिये वही व्यक्ति चुनाव लड सकता है जिसमे निम्नलिखित योग्यताएँ हो —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) उसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे ऊपर हो।

(3) वह उन सभी योग्यताओ से परिपूर्ण हो जो कि ससद का सदस्य वनने के लिए आवश्यक है।

(4) वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।

अव प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ? राष्टपति के चुनाव मे जनता स्वय मतदान नही करती है वल्कि उसके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि इस कार्य को सम्पन्न करते हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मण्डल होता है जिसमे केन्द्रीय समद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विधान मभाओ के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सदम्य अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करके राष्ट्रपति का चुनाव करते है। इम चुनाव मे आनुपातिक प्रतिनिधित्व एव एकल-मक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। इस वात का ध्यान रखा गया है कि ससद के सदम्य और विधान सभा के सदस्य के मतो की सख्या मे मतुलन स्थापित हो। इसके लिए एक विशेप प्रकार की मतदान सख्या स्थापित करने की प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य की विधान मभा के प्रत्येक मदस्य का मत राष्ट्रपति के चुनाव मे कितने मतो के वरावर होगा, यह पता चलाने के लिए राज्य की जनमख्या को विधान सभा के निर्वाचित सदम्यो की सख्या से भाग दिया जाता है और इम प्रकार जो भजनफल आता है उसे 1000 से पुन विभाजित करते हैं। इस तरह जो भजनफल निकलता है वह उस राज्य की विधान सभा के मदम्यो के मत की मख्या के वरावर समझा जाता है, अथवा प्रत्येक मदस्य का एक मत उम सख्या के वरावर होता है। इम तरह प्रत्येक राज्य मे विधान सभा के सदस्यो के मतो का हिसाव लगाया जाता है।

समद के सदस्यो के मतो की मख्या निकालने के लिए पहले तो समस्त राज्य की विधान मभाओ के सारे निर्वाचित सदम्यो की कुल मत-सख्या उपरोक्त विधि से निर्धारित कर ली जाती है। इस प्रकार जो मख्या प्राप्त होती है उसमे ममद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्यो की कुल मख्या से भाग दे दिया जाता है और इमके फलस्वरूप जो भजनफल निकलता है वही ममद के प्रत्येक सदम्य की मत-सख्या के वरावर होता है।

राष्ट्रपति का कार्य-काल

राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रथा यह है कि एक व्यक्ति दो वार से अधिक राष्ट्रपति न चुना जाये। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर

राजेन्द्र प्रसाद दो वार राष्ट्रपति चुने गये थे। सविधान मे ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही है जिसके अनुसार राष्ट्रपति दो वार से अधिक चुनाव न लड सके। राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी अवधि समाप्त हाने से पूर्व ही पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव रखने का अधिकार ससद के दोनो सदनो को प्राप्त है। प्रस्ताव रखन से पूव दो शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। प्रथम तो यह कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए और उस प्रस्ताव पर लोक सभा अथवा राज्य सभा (जिसमे भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने वाला हो) की कुल सदस्य सख्या के एक-चौथाई सदस्यो के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव वहस के पश्चात् कम से कम कुल सदस्य सख्या के दो-तिहाई मतो से स्वीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को फिर दूसरे सदन मे विचार के लिए भेजा जाता है। वहाँ भी उसे स्वीकृति के लिए $\frac{2}{3}$ मत प्राप्त होना आवश्यक ह।

राष्ट्रपति को 10,000 रु० मासिक वेतन मिलता है जिस पर कोई आय कर नही लगता। इसके अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त मकान तथा अन्य भत्ते आदि मिलते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य

सविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ मिली हुई है। राष्ट्रपति इन शक्तियो का उपयोग मन्त्रियो की सलाह से करता है। हम राष्ट्रपति के अधिकारो का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षको के अन्तर्गत कर सकते है —

राष्ट्रपति के अधिकारो को हम मोटे रूप से दो भागो मे बाँट सकते है।

(1) साधारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति के अधिकार, और

(2) असाधारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति के अधिकार।

(1) साधारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति के अधिकार

साधारण परिस्थिति मे राष्ट्रपति के अनेक अधिकार होते है। उनमे मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अधिकार निम्न प्रकार मे दर्शाये जा सकते है —

(अ) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार—सम्पूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति मे निहित मानी गई है। राष्ट्रपति का सम्पूर्ण राज्यो के राज्यपालो को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को तथा राज्यो के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को और आडीटर जनरल आदि की नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति पहले ससद के बहुमत दल वाले नेता को प्रधान मन्त्री चुनता है। फिर प्रधान मन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति करता है। वह सम्पूर्ण देश की सेना का प्रधान है। यदि ससद की स्वीकृति हो जाय तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा कर दे या सन्धि कर ले। राष्ट्रपति सेना के कार्यो को अच्छी प्रकार चलाने के लिये नियम बनाता है। अर्थ समिति की नियुक्ति भी वही करता है।

(ब) विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति को कानून बनाने मे बहुत से अधिकार प्राप्त है। वह ससद की बैठको को बुलाता है तथा उन्हे स्थगित भी करता है। वह लोक सभा को भग भी कर सकता है। वह ससद की बैठको मे भाषण देने तथा अपना सन्देश भेजने का भी अधिकारी है। कोई भी बिल तब तक कानून का रूप धारण नही कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। वह स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा परिवर्तित करने का भी अधिकारी है। वह अर्थ विधेयक को अस्वीकार नही कर सकता है। इसके साथ ही यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर देता है परन्तु ससद उसे पुन पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नही कर सकता। यदि ससद के अधिवेशन

होने के समय आवश्यकता हो जाय तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर दे। ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है उन्हे ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इन अध्यादेशो की अवधि 6 सप्ताह तक होती है। परन्तु इसके बीच मे भी ससद को यह अधिकार है कि वह इन अध्यादेशो को रद्द कर दे।

(स) **वित्त सम्बन्धी अधिकार**—राष्ट्रपति वर्ष के आरम्भ मे आने वाले वर्ष के लिये अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करवाता है। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नही हो जाती तब तक कोई भी वित्त-विधेयक ससद के सम्मुख प्रस्तुत नही किया जा सकता।

(द) **न्याय सम्बन्धी अधिकार**—राष्ट्रपति को न्याय के सम्बन्ध मे विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये है। वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या उसके दड मे कमी कर सकता है। यदि दड ऐसे अपराध के लिये दिया गया हो जो सघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता हो। उसे फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार प्राप्त है।

(2) असाधारण परिस्थितियो मे राष्ट्रपति के अधिकार

सकटकालीन परिस्थिति मे राष्ट्रपति जिन अधिकारो का उपयोग करता है वे असाधारण स्थिति के अधिकार कहलाते है। अचानक ही किसी भी आपतकालीन परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर उस स्थिति की देख-रेख करने के लिये नियम बनाने के पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किये गये है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी ऐसी परि-स्थितियाँ है जिन्हे हम सकटकालीन परिस्थतियाँ कह सकते है। सकट-कालीन परिस्थितियाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई है जो निम्नलिखित है —

(अ) **युद्ध, आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति से उत्पन्न सकट-कालीन परिस्थिति**—सकटकालीन परिस्थिति आन्तरिक अव्यवस्था, अशान्ति और युद्ध या युद्ध की सभावना मे भी उत्पन्न हो सकती है।

ऐसी स्थिति मे हमारा सघात्मक सविधान एकात्मक सविधान के रूप मे वदल जायगा। राष्ट्रपति राज्यो को यह आदेश दे सकता है कि वे किस प्रकार से अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करे। ससद को यह अधिकार है कि ऐसे समय मे वह राज्य की सूची मे दिये गये किसी भी विषय पर कानून वनाये। ऐसी स्थिति मे नागरिको के स्वतन्त्रता सम्वन्धी मूलाधिकार स्थगित माने जाते है और किसी भी नागरिक को उन अधिकारो के सम्वन्ध मे उच्चतम न्यायालय मे अपील करने का अधिकार नही रहता। वह केन्द्र और राज्य के वीच की आय के वितरण मे परिवर्तन करने का भी अधिकारी है।

(व) राज्यो मे वैधानिक सकट से उत्पन्न सकटकालीन परिस्थिति— यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की सूचना पर या और तरह से यह यकीन हो जाय कि किसी राज्य मे सकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है और वहाँ का शासन सुचारु रूप मे चलाना असम्भव है तो वह उस राज्य के सम्वन्ध मे सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति मे उस राज्य का शासन-प्रवन्ध राष्ट्रपति अपने हाथ मे ले सकता है। राष्ट्रपति इस वात की भी घोषणा कर सकता है कि विधान-मण्डल की शक्तियो का भोग या तो ससद करेगी या ससद के अधीन रहकर किया जायेगा। परन्तु वह उच्च न्यायालय को अपने अधीन लेने का अधिकारी नही है।

(स) आर्थिक सकटकालीन अवस्था— आर्थिक कठिनाइयो के कारण भी सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति मे भी राष्ट्रपति राज्यो को उनकी कार्यपालिका-शक्ति के उपभोग के सम्वन्ध मे आदेश दे सकता है। साथ ही ऐसी परिस्थिति मे राज्य और सघ के कर्मचारियो के वेतन मे भी कमी की जा सकती है।

उपर्युक्त तीनो प्रकार की परिस्थितियो की घोषणा लगभग 2 माह तक लागू रहती है, परन्तु यदि आवश्यक हो तो इस समय ससद की स्वीकृति से इसका समय और अधिक वढाया जा सकता है।

इन समस्त अधिकारो को जान लेने के वाद यह जानना भी जरूरी है कि सकटकालीन स्थिति मे राष्ट्रपति जो भी राज्य सम्वन्धी और शासन सम्वन्धी कार्य करेगा उसके लिये वह न्यायालय के सामने किसी भी तरह का उत्तरदायी नही होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का स्थान पद, शक्ति और सम्मान तीनो से ही विभूपित है।

उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन, अधिकार और कर्त्तव्य जान लेने के वाद यह जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति की गैरहाजिरी मे उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्यो का उपयोग करेगा। उप-राष्ट्रपति ससद के दोनो सदनो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल-सङ्क्रमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जायगा। उप-राष्ट्रपति राज्य परिपद् का सभापति होता है। यह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या पदच्युत किये जाने पर उपराष्ट्रपति उसके सव कार्यो की देखभाल करेगा। राष्ट्रपति को सम्वोधित कर के उप-राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को लिख सकता है। राज्य परिपद् के अविश्वास का प्रस्ताव पास करने पर उसे अपना पद छोडना पडेगा। परन्तु राज्य परिपद् ऐसा लोक सभा की स्वीकृति पर ही कर सकती है। पद छोडने के 6 माह तक दूसरे उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी है।

(2)

प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल

जैसा कि पहले वताया जा चुका है, भारत मे ससदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ससदीय प्रणाली की विशेपता यह है कि उसमे मन्त्रिमण्डल ससद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। स्वतन्त्र भारत के नागरिक की हैसियत से हमे यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि इस मन्त्रिमण्डल का सगठन किस प्रकार होता है और इसके क्या-क्या अधिकार एव कर्त्तव्य है।

सगठन

आम चुनावो के पश्चात् ससद के निम्न सदन लोक-सभा मे जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है और फिर उसकी राय से मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यो की नियुक्ति की जाती है। सविधान मे इस बात का उल्लेख नही किया गया है कि मन्त्रिमण्डल मे कितने मन्त्री होगे। मन्त्रियो की सख्या प्रधान मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। यद्यपि राष्ट्रपति ही अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति करता है तथापि उसे प्रधान मन्त्री द्वारा बताये गये व्यक्ति को ही मन्त्री-पद की शपथ दिलानी पडती है मन्त्रियो की नियुक्ति मे इस प्रकार राष्ट्रपति स्वतन्त्र नही। उसे प्रधान मन्त्री भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही बनाना पडता है। इस प्रकार कौन प्रधान मन्त्री होगा अथवा किस दल की सरकार सत्तारूढ होगी इसका निश्चय मतदान द्वारा होता है, अथवा नागरिक स्वय तय कर देते हैं। राष्ट्रपति केवल जनता के निश्चय को वैधानिक रूप देकर कार्यान्वित कर देता है।

मन्त्री बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति ससद के दोनो सदनो मे से किसी एक का सदस्य अवश्य हो। यदि कोई मन्त्री पद ग्रहण करते समय सदन का सदस्य नही है तो उसे पद सँभालने के पश्चात् छ माह के अन्दर-अन्दर लोक सभा अथवा राज्य सभा का सदस्य होना चाहिये। और यदि वह इसमे असमर्थ रहता है तो उसे मन्त्रि-पद से त्यागपत्र देना होगा। मन्त्रिमण्डल के कुछ मन्त्री केबिनेट (मन्त्रि-परिषद) के सदस्य होते हैं। मन्त्रि-परिषद वास्तव मे मन्त्रिमण्डल की नीति निर्माण करने की सस्था होती है। प्रत्येक मन्त्री के अन्तर्गत एक अथवा एक से अधिक विभाग होते हैं। मन्त्री को उसके विभाग के नाम से ही जाना जाता है जैसे शिक्षा विभाग का मन्त्री शिक्षा मन्त्री कहलाता है।

सामूहिक उत्तरदायित्व

प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रूप से प्रधान मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि सवैधानिक रूप से प्रत्येक मन्त्री के अपने-अपने क्षेत्र मे समान

अधिकार है। मन्त्रियो का राष्ट्रपति से सम्वन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा ही होता है। प्रधान मन्त्री ही राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है। सरकार की मुख्य नीतियो का निर्देशन प्रधान मन्त्री ही करता है। मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व सामूहिक है। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल सयुक्त रूप से सरकार की नीतियो के लिये जिम्मेदार है। "सव प्रत्येक के लिये और प्रत्येक सव के लिए" की नीति का पालन करते हुए मन्त्रिमण्डल सम्पूर्ण लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। लोक सभा किस प्रकार इस उत्तरदायित्व का पालन मन्त्रिमण्डल से कराती है, उमका वर्णन ससद की व्यास्या के अन्तर्गत किया जायेगा। यहाँ यह कहना ही पर्याप्त होगा कि मन्त्रि-मण्डल का अस्तित्व लोक सभा के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर है।

कार्य-काल, वेतन आदि

मन्त्रिमण्डल का कार्य-काल जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है लोक सभा के विश्वास पर निर्भर है, फिर भी यह कहना उचित होगा कि मन्त्रिमण्डल लोक सभा मे वहुमत दल द्वारा वनाया जाता ह और जव तक यह वहुमत कायम है मन्त्रिमण्डल पर आँच नही आ सकती। इसलिये मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल अनिश्चित होते हुए भी स्थाई है। इसका मतलव यह हुआ कि चुनाव मे प्राप्त वहुमत के वल पर मन्त्रिमण्डल का स्थायित्व निर्भर है। अन्यथा कार्य-काल वही होता है जो कि लोक सभा का, यानी 5 वर्ष। मन्त्रियो के वेतन ससद निर्वारित करती है।

वैठकें

मन्त्रिमण्ल की वैठकें प्रधान मन्त्री वुलाता है और उनमे अध्यक्षता करता है। इन वैठको मे सरकार की नीतियाँ निर्वारित की जाती हैं। मन्त्रिमण्डल की वैठको की सभी वाते गुप्त रखी जाती हैं। इन वैठको मे विचार-विमर्श के पश्चात् निर्वारित नीतियो से सम्वन्धित विधेयक सरकार ससद के समक्ष पेश करती है। विचार-विमर्श के समय प्रत्येक

मन्त्री को अधिकार है कि वह उन नीतियो को माने अथवा न माने। परन्तु मन्त्रिमण्डल मे तय की गई नीतियो को तमाम मन्त्रियो को मानना आवश्यक होता है।

अधिकार और कर्त्तव्य

मन्त्रिमण्डल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे। संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति का परामर्शदाता है। परन्तु वास्तव मे वह उन सभी अधिकारो का प्रयोग करता है जो राष्ट्रपति मे निहित है। राष्ट्रपति के अधिकारो का वास्तविक भोगी मन्त्रिमण्डल है। इसका यह अर्थ हुआ कि व्यावहारिक रूप मे मन्त्रि-मण्डल वह सारे कार्य करता है जो राष्ट्रपति के हैं, यद्यपि सारे काम उसी के नाम से किये जाते हैं। संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उसमे इस बात का जिक्र नही है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परन्तु परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने मे इन्कार नही कर सकता। अत मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। सारे शासन की बागडोर ही उसी के हाथ मे है।

अब हम यह देखेंगे कि मन्त्रिमण्डल के क्या-क्या कार्य हैं।

नीति-निर्माण

सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नीति निर्धारित करना मन्त्रिमण्डल का मुख्य कार्य एव कर्त्तव्य है। देश की उन्नति, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य देशो के साथ सम्बन्धो के विषय मे नीति मन्त्रिमण्डल ही बनाता है। युद्ध की घोषणा और उसमे सन्धि करना, दूसरे देशो से राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना, योजनाओ की रूपरेखा तैयार करना, यह सब मन्त्रिमण्डल के ही कार्य है। संकटकालीन अवस्था मे समस्त अधिकारो का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से मन्त्रिमण्डल ही करता है।

विधि निर्माण

मन्त्रिमण्डल के मुख्य कार्यों मे विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य विशेष महत्व रखते है। ससद मे कौन से विधेयक प्रस्तुत किये जाते है, इसका निश्चय मन्त्रिमण्डल ही करता है। मुख्य सरकारी विधेयक मन्त्रियो द्वारा ससद मे पेश किये जाते है।

वजट का निर्माण

देश की आर्थिक अथवा वित्तीय नीति का निश्चय करना भी मन्त्रि-मण्डल का काम है। सरकार का वजट सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल मिलकर वनाता है। सरकार के सारे विभाग अपनी आर्थिक मॉगो को वित्त मत्रालय मे भेजते है। तत्पश्चात् वित्त मत्री वजट वनाकर ससद मे पेश करता है।

उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि मन्त्रिमण्डल शासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अग है। सम्पूर्ण शासन का उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही है।

मन्त्रिमण्डल मे प्रधान मन्त्री का स्थान

प्रधान मत्री मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है। मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के वीच सम्वन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है। वह मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के वीच की कडी है। मन्त्रिमण्डल के निर्माण मे प्रधान मन्त्री मुख्य भूमिका अदा करता है। राष्ट्रपति को अन्य कार्यो मे सलाह देना प्रधान मन्त्री का मुख्य उत्तरदायित्व है। प्रधान मन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि वह शासन और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो मे राष्टपति को सलाह दे। प्रधान मन्त्री लोकसभा मे वहुमत दल का नेता होता है। उसे अपने दल का वहुमत प्राप्त होता है और इसलिए वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल की वैठको मे सभापति होता है। राष्ट्र की नीति निर्धारित करने मे उसका महत्वपूर्ण हाथ है। प्रधान मत्री ही मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गये निर्णयो को राष्ट्रपति तक पहुँचाता है। राष्टपति, उच्च अधिकारियो राजदूतो

आदि की नियुक्ति करने में प्रधान मन्त्री की सलाह से काम करता है प्रधान मन्त्री, मन्त्रिमण्डल का नेता है और इसलिए समस्त शासन व्यवस्था पर उसका व्यापक प्रभाव है। सरकार की ओर से मुख्य बात पर प्रधान मन्त्री ही वक्तव्य इत्यादि देता है। वास्तव में सरकार की कार्यकुशलता और सफलता प्रधान मन्त्री की योग्यता पर निर्भर है।

मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति

जैसा बताया जा चुका है कि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के अधीन एक संस्था है। यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह मन्त्रिमण्डल की राय माने अथवा न माने, परन्तु संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत दल का होता है, अत राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए व्यावहारिक रूप में बाध्य है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की नीतियों को प्रभावित अवश्य कर सकता है।

मन्त्रिमण्डल और संसद

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होता है मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित कोई विधेयक उस समय तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक उसे संसद स्वीकार न कर ले। संसद मन्त्रिमण्डल पर प्रश्न पूछ कर, वित्तीय माँगों में कटौती करके और अविश्वास का प्रस्ताव लाकर, नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व लोक सभा के विश्वास पर निर्भर है। परन्तु व्यावहारिक रूप में यदि देखा जाय तो संसद में मन्त्रिमण्डल के दल का बहुमत होने के फलस्वरूप संसद को मन्त्रिमण्डल की नीतियों को स्वीकार करना पड़ता है। यदि मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत खो बैठे तो उसे त्यागपत्र देना होता है।

मन्त्रिमण्डल वास्तव में उस सूर्य के समान है जिसके चारों ओर समस्त शासन-यन्त्र चक्कर लगाते हैं। वही प्रशासन की आत्मा है।

(3)

ससद

हमारा सविधान प्रजातन्त्रीय है यही उसकी मुख्य विशेपता है। जिसमे प्रजा राजमत्ताधारी होती है और जनता के ही प्रतिनिधि उसमे काम करते हैं। इस प्रकार स्वय जनता ही अपने भाग्य का निर्माण करती है। हमारे सविधान द्वारा केन्द्र मे एक व्यवस्थापिका सभा (कानून वनाने वाली) का निर्माण किया गया है जिससे प्रजातन्त्र को क्रियात्मक रूप प्राप्त होता है। इसी व्यवस्थापिका सभा का नाम ससद है क्योकि यह जनता के प्रतिनिधियो की सभा होती है अत यह जनता के राज सत्ताधारी होने का चिन्ह भी है। यह जनता के हितो की वृद्धि करती है और उनका सरक्षण भी करती है। जनता के हितो की वृद्धि हो और उनका भली प्रकार सरक्षण हो सके इसके लिए ससद राष्ट्र-कल्याण सम्वन्धी विधि निर्माण करती है। भली प्रकार राष्ट्र का कल्याण हो मके इसलिए यह मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण भी रखती है ताकि लगन से राष्ट्र की सेवा सम्भव हो सके।

केन्द्र मे व्यवम्थापिका सभा के दो मदन होते हैं। पहला लोक सभा और दूसरा राज्य परिपद्। इन्ही दोनो सभाओ को सामूहिक रूप से ससद के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रपति सविधान का आवश्यक अग है ऐसा सविवान मे लिखा गया है। समद की वैठको को वुलाना, विसर्जित करना और लोक सभा को भग करना आदि मभी कार्य राष्ट्रपति करता है। विना राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुए कोई भी विवेयक कानून का रूप वारण नही कर सकता। अत यदि हम विना राष्ट्रपति के ममद की कल्पना करे तो वह निरर्थक प्रतीत होती है। हम अव अलग-अलग लोक सभा और राज्य परिपद् का अध्ययन करेगे।

लोक सभा

लोक मभा के सदस्यो की मख्या अधिक मे अधिक 522 हो मकती

है । अधिकतर इस सभा के लोग राज्यो की जनता द्वारा चुने जाते है । चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन क्षेत्रो मे विभाजित कर दिया जाता है फिर वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे प्रतिनिधियो का चुनाव किया जाता है । इसके अलावा 20 प्रतिनिधि सघीय प्रदेशो से नियम के अनुसार चुने जाते हैं । इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का विचार है कि एग्लो-इण्डियन उचित मात्रा मे लोक सभा मे नही आ सके है तो उसे यह अधिकार है कि वह दो सदस्य एग्लो-इण्डियन के लोक सभा मे भेजे । परन्तु सविधान मे यह लिखा है कि उपर्युक्त समस्त बातो को ध्यान मे रखते हुए ससद को यह अधिकार है कि वह प्रतिनिधित्व प्रणाली को निश्चित करने के लिए कानून का निर्माण करे । वर्तमान लोक सभा मे राज्यो और सघीय प्रदेशो से 500 सदस्य हैं जिनकी तालिका निम्न प्रकार दी जा सकती है

राज्य अथवा प्रदेश का नाम			सदस्यो की सख्या
1.	आध्र	(राज्य)	43
2.	आसाम	(„)	12
3	बिहार	(„)	53
4	गुजरात	(„)	22
5	केरल	(„)	18
6.	मध्य प्रदेश	(„)	36
7	मद्रास	(„)	41
8.	महाराष्ट्र	(„)	44
9	मैसूर	(„)	26
10	उडीसा	(„)	20
11	पजाब	(„)	22
12	राजस्थान	(„)	22
13	उत्तर प्रदेश	(„)	86

14	पश्चिमी वगाल	(राज्य)	36
15	जम्मू तथा काश्मीर	(,)	6
16	दिल्ली	(प्रदेश)	5
17	हिमाचल प्रदेश	(,,)	4
18	मनीपुर	(,,)	2
19	त्रिपुरा	(,,)	2
			500

इसके अलावा 5 सदस्य गष्टपति द्वारा नामजद किये गये हैं। जिनमे 2 आग्ल-भारतीय जाति के हैं। 3 मे से असम जन-जातियो व अडमान निकोवार, लकाद्वीप, मिनिकाय और अमिनद्वीप से लिये गये है। इस प्रकार लोक सभा के समस्त सदस्यो की सख्या 505 है।

मतदाताओ की योग्यताएँ

यह ऊपर कहा जा चुका है कि लोक सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जायगा। वही व्यक्ति लोक सभा के सदस्यों को चुन सकते हैं जिनकी निम्नलिखित योग्यताएँ हो

(1) उनकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(2) जो पागल, कोढी, दिवालिया न हो तथा जिसने कोई अपराध न किया हो।

लोक सभा के सदस्यो की योग्यताएँ तथा उनकी कार्यविधि

लोक सभा के पद पर खडे होने के लिए निम्न योग्यताएँ जरूरी है

(1) व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम नही होनी चाहिए

(3) उसके पास उन समस्त योग्यताओ का होना जरूरी है जो ससद नियम के अनुसार जारी करे।

(4) उसके लिये यह जरूरी है वह न कि तो सघीय सरकार मे कोई लाभ का पद धारण किये हो और न राज्य की सरकार मे।

(5) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोपित न कर दिया गया हो।

(6) वह दिवालिया न हो।

लोक सभा का कार्य-काल 5 वर्प तक होता है परन्तु इसके बीच मे भी राष्ट्रपति के कहने पर इसे भग किया जा सकता है। आपत काल मे ससद एक वर्प के लिये उसका समय बढा सकती है परन्तु जब सकट-कालीन परिस्थिति समाप्त हो जाती है तो वह समय 6 माह से अधिक बढा हुआ नही रह सकता।

लोक सभा के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी

राष्ट्रपति लोक सभा की बैठको को बुलवाता है तथा विसर्जित करता है। बैटको की पहली तथा दूसरी सभा मे 6 माह से अधिक अन्तर नही होना चाहिए। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले अधिवेशन मे राष्ट्रपति को भाषण देना होता है।

लोक सभा मे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जो लोक सभा के सदस्यो द्वारा ही चुने जाते हैं। इनका कार्य-काल भी 5 वर्प होता है परन्तु बीच मे भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि वे निष्पक्ष होकर अपना काम नही करते या सविधान की अवहेलना करते हैं तो लोक सभा के सदस्य बहुमत मे उन्हे पदच्युत कर सकते हैं। परन्तु पदच्युत करने के लिए 14 दिनो का नोटिस जरूरी है।

लोक सभा के पदाधिकारियो के अधिकार

लोक सभा के सदस्यो को सविधान द्वारा अग्रलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं

(1) लोक सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सभा मे शान्ति और सुव्यवस्था रखे तथा उस पर अनुशासन भी करे।

(2) अध्यक्ष सभा के सदस्यो के नियमो का सरक्षण करता है और

इस बात की ताकीद रखता है कि कोई उन नियमो का उल्लघन न करे ।

(3) अध्यक्ष लोक सभा के क्या और कैसे नियम हैं उन पर व्याख्यान भी देता है । यदि अध्यक्ष को यह शका हो जाय कि अमुक विपय के सम्बन्ध मे नियम क्या है तो वह नियम की व्याख्या कर सकता है या अमुक विपय के सम्बन्ध मे अमुक नियम अनिश्चित है तो ऐसी स्थिति मे वह नियम का निर्माण कर सकता है । नियमो के सम्वन्ध मे वह जो घोपरणा करता है उसे सभी सदस्यो को मानना पडता है ।

(4) लोक सभा का अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कौन सदस्य किस समय किस विपय पर वोलेगा ।

(5) वही किसी विपय की मत-गणना करवाता है और उसका परिणाम भी वही घोपित करता है ।

(6) कोई भी विधेयक अर्थ विधेयक है या नही इसका निश्चय अध्यक्ष ही करता है ।

ऊपर लिखे अधिकारो से हमे यह मालूम होता है कि लोक सभा मे अध्यक्ष का पद वडा ही महत्वपूर्ण है । जव अध्यक्ष सभा मे उपस्थित नही होता तो उसका सारा कार्यभार उपाध्यक्ष ही सँभालता है और उसके वे सभी अधिकार होते हैं जो कि अध्यक्ष के होते हैं ।

राज्य परिषद्

मसद का द्वितीय मदन राज्य परिपद् है जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार मे कर सकते हैं —

राज्य परिपद् का सगठन

राज्य परिपद् के सदस्यो की सख्या अधिक से अधिक 250 होगी । जिनमे मे 238 निर्वाचित मदस्य होंगे और 12 मनोनीत किये हुए होंगे । 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे । इनमे वही मदस्य होंगे जो साहित्य, कला और विज्ञान का अच्छा अनुभव रखते हो और ज्ञाता भी

हों। शेष 238 सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप मे चुनेंगे। एकल-सक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इनका चुनाव किया जायेगा। अभी तक राज्य परिषद् मे 220 सदस्य हैं, जिनकी तालिका निम्न प्रकार से दी जा सकती है —

	राज्य अथवा प्रदेश का नाम		सदस्यों की संख्या
1	असम	(राज्य)	7
2	उड़ीसा	(,,)	10
3	पंजाब	(,,)	11
4	पश्चिमी बंगाल	(,,)	16
5	बिहार	(,,)	22
6	मद्रास	(,,)	17
7.	मध्य प्रदेश	(,,)	16
8	महाराष्ट्र व गुजरात	(,,)	27
9	उत्तर प्रदेश	(,,)	34
10	आन्ध्र	(,,)	18
11	केरल	(,,)	9
12	मैसूर	(,,)	12
13	राजस्थान	(,,)	10
14	जम्मू तथा कश्मीर	(,,)	4
15	हिमाचल प्रदेश	(प्रदेश)	2
16	दिल्ली	(,,)	3
17	मनीपुर	(,,)	1
18	त्रिपुरा	(,,)	1
			220

उपर्युक्त राज्यो व प्रदेशो मे कुल 220 सदम्य हं और 12 सदम्य राप्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये है। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्य परिपद् मे 232 सदस्य हैं।

राज्य-परिपद् के सदस्यो की योग्यताएँ तथा उनका कार्य-काल

राज्य-परिपद् के सदस्यो की वही सव योग्यताएँ होनी जरूरी है जो कि लोक सभा के सदस्यो के लिए निश्चित की गइ हैं। परन्तु राज्य परिपद् का सदस्य 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही हो सकता है। कोई व्यक्ति लोक सभा और राज्य परिपद् दोनो का एक साथ सदस्य नही हो सकता।

राज्य-परिपद् एक स्थाई सस्या है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल 6 वर्प होता है क्योकि प्रत्येक 2 वर्प के वाद एक तिहाई सदस्यो को अपना पद छोडना पडता है।

राज्य-परिपद् के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी

राप्ट्रपति ही लोक सभा की भॉति राज्य परिपद् के अधिवेशन वुलाता है, व उन्हे विमर्जित करता है।

राज्य परिपद् मे सभापति ओर उप-सभापति दो अधिकारी होते हैं। उप-राप्ट्रपति राज्य परिपद् का सभापति होता है और उप-सभापति स्वय परिपद् के सदस्य अपने मे से ही चुनते हैं। उप-सभापति सभापति की अनुपस्थिति मे या सभापति के पद ग्रहण करने से पूर्व उसका कार्य-भार सँभालता है। राज्य परिपद् के सभापति के वही कार्य होते है जो लोक सभा के अध्यक्ष के होते हैं। परन्तु अन्तर यह है कि लोक सभा के अध्यक्ष की भॉति राज्य परिपद् का सभापति यह निश्चित नही करता कि कौनसा विधेयक अर्थ विधेयक है।

ससद के सदस्यो के विशेप अधिकार

ममद के मदम्यो को म्वतन्त्रतापूर्वक और प्रभावपूर्वक अपने कतव्यो का मचालन करने के लिए मविधान ने कुछ विशेप अधिकार प्रदान किये

है। समद के सदस्यो को मसद मे भापरण देने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। जो भापरण सदस्य देते हैं उसके लिए उन सदस्यो पर मुकदमा नही चलाया जा सकता और न ही उनके वक्तव्य पर जो छापा जाता है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा ससद के और भी कार्य हैं जिनका वर्णन हम निम्न प्रकार करेंगे —

ससद के कार्य

(1) विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य—प्रारम्भिक रूप से ससद कानून बनाने वाली सम्था है। राष्ट्र की उन्नति के लिए विधि का निर्माण करना ससद का मुख्य ध्येय है। अर्थ विधेयको को छोडकर कोई भी सदस्य किसी भी भवन मे विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु व्यावहारिक रूप मे महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रियो द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं जो समद विधेयको को स्वीकार तथा अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध मे लोक सभा और राज्य परिषद् मे कोई मतभेद पैदा हो जाय तो दोनो सदनो की एक सामूहिक बैठक बुलाई जाती है।

(2) अर्थ सम्बन्धी कार्य—बजट पास करना ससद का मुख्य कार्य है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति की आज्ञा से करो के आय-व्यय का व्यौरा लोक सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोक सभा धन की माँगो को कम कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है परन्तु बढा नही सकती। जब यह व्यौरा लोक सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर इसे बजट कहते है और फिर यह राज्य परिषद के विचार के लिये भेजा जाता है। राज्य परिषद् 14 दिन मे बजट पर अपनी सिफारिश भेज देती है। लोक सभा इन सिफारिशो को मजूर भी कर सकती है और नामजूर भी।

(3) सविधान मे सशोधन सम्बन्धी अधिकार—ससद सविधान मे सशोधन कर सकती है कोई भी भवन सशोधन के प्रस्ताव को रख

सकता है। जब तक सदस्यो का दो-तिहाई मत सशोधन को स्वीकार नही करता तब तक वह सशोधन प्रस्तुत नही हो सकता।

(4) **प्रशासन सम्बन्धी अधिकार**—ससद को प्रशासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। मन्त्रिमण्डल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सभा को यह अधिकार है कि यदि मन्त्रिमण्डल उचित रूप से कार्य को न सँभाले तो वह उसे पद से हटा दे। ससद मन्त्रिमण्डल से प्रश्न पूछकर नीतियो की व्याख्या करती है और उसकी नीति की आलोचना भी करती है। उसे स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती है। ससद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाये, सधियो पर स्वीकृति दे तथा राष्ट्रपति की सलाह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को पद से हटा भी सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से हमे यह भली-भांति प्रतीत होता है कि लोक सभा का स्थान राज्य परिषद् से अधिक महत्व का है। अर्थ विधेयक तो केवल लोक सभा मे ही प्रस्तुत होते है। किसी भी विधेयक पर 14 दिन मे अपनी अनुमति राज्य परिषद् को देनी होती है। लोक सभा किसी विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। यदि 6 माह मे ज्यादा समय लगता है तो राष्ट्रपति दोनो भवनो की सामूहिक बैठक बुलाता है जिसमे लोक सभा का ही मत मान्य होता है क्योकि राज्य परिषद् के सदस्य लोक सभा के आधे भी नही होते। कहने का अर्थ यह है कि सब तरह से लोक सभा राज्य परिषद् से ऊँची है। ससद के अधिकारो को जानने के बाद यह जरूरी है कि विधेयक पास करने की प्रक्रिया को समझे। इस प्रक्रिया का हम आगे वर्णन करते है।

विधि निर्माण करने की प्रक्रिया

विधेयक वह मसविदा है जिसमे कानून की रूपरेखा है तथा जिसे ससद के विचार करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है। ससद और राष्ट्रपतिद्वारा मसविदे के पास होने पर इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया

जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम साधारण विधेयक और द्वितीय अर्थ विधेयक।

साधारण विधेयक निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया—साधारण विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु जिन विधेयको का महत्त्व ज्यादा है उन्हे मन्त्री ही प्रस्तुत करते है। पहले भवन का सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है। फिर इसके तीन वाचन होते है। प्रथम वाचन में विधेयक का शीर्षक पढा जाता है और भवन मे उसके प्रकाशन की स्वीकृति दी जाती है। फिर निश्चित दिन द्वितीय वाचन होता है। इस समय विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त पढे जाते है। जब वे सिद्धान्त स्वीकृत हो जाते है तो फिर विधेयक को किसी समिति मे भेजा जाता है। समिति उसकी प्रत्येक धारा और स्वरूप पर विचार करती है और यह चेष्टा करती है कि उसका स्वरूप अति उत्तम हो। इसीलिए समितियाँ विधेयक मे परिवर्तन भी करती है। समिति से वापस फिर भवन मे ही विधेयक आता है। परन्तु भवन को उन परिवर्तनो को मानने या न मानने की स्वतन्त्रता होती है। इसके बाद तृतीय वाचन होता है जिसमे भवन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करता है। उपर्युक्त क्रिया के एक भवन मे समाप्त होने पर फिर विधेयक दूसरे भवन मे जाता है। दूसरा सदन अगर इसे पास नहीं करता या इसमे बडा परिवर्तन करता है या 6 माह तक इसे पास नही करता तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो सदनो की बैठक बुलाता है और इस बैठक मे पास हुआ विधेयक दोनो सदनो मे पास माना जाता है।

दोनो सदनो मे पास होकर बिल को तब तक कानून नही कहते जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। राष्ट्रपति बिल को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या पुन संशोधन के लिए वापस कर सकता है। परन्तु यदि संसद दूसरी बार भी उसे पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पडता है। अत स्पष्ट है कि

विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नही कर सकता ।

अर्थ विधेयको के निर्माण की प्रक्रिया—अर्थ विधेयक भी साधारण विधेयको की प्रक्रिया से ही पास होते है परन्तु इसमे कुछ विशेप अन्तर होता है जो कि निम्नलिखित है —

(1) पहला अन्तर यह है कि अर्थ विधेयक लोक सभा मे ही प्रस्तुत होते है राज्य परिपद् मे नही । परन्तु राज्य परिपद् मे विचार के लिये इन्हे भेजा जाता है ।

(2) दूसरे अर्थ विधेयक मे अनुदान की मांगे विना राष्ट्रपति की स्वीकृती के नही रक्खी जा सकति ।

(4)

उच्चतम न्यायालय

हमारे देश मे न्याय-व्यवस्था मे उच्चतम न्यायालय का विशेप स्थान है । राज्यो के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के अधीन होते है । अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दें तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते हैं । उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयो की अपीलें ही नही सुनता वरन् उसका स्वय प्रारम्भिक कार्य-क्षेत्र भी है, अर्थात् पहले भी मुकदमा उसमे शुरू किया जा सकता है । वह सविधान का सरक्षण भी करता है और मूल अधिकारो की रक्षा भी करता है । सन् 1950 से लेकर अब तक थोडे-से ही समय मे उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है ।

उच्चतम न्यायालय का सगठन तथा न्यायाधीशो की योग्यताएँ

सविधान मे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय मे एक मुख्य न्यायाधीश तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते है । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशो

की नियुक्ति करना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को —

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयो मे वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, अथवा

(4) राष्ट्रपति की निगाह मे वह उच्चकोटि के कानून का जानने वाला हो।

न्यायाधीशो की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते

65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है परन्तु बीच मे भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र देकर वह अपने पद को छोड सकता है। इसके अलावा यदि ससद के दोनो भवनो को समस्त बहुमत मे न्यायाधीश को अयोग्य और दुराचारी सिद्ध कर दे तो ऐसी दशा मे वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते है कि वे इस न्यायाधीश को पद से हटा दे।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रु० और अन्य न्यायाधीशो को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा। समय-समय पर ससद उनके वेतन, कार्य-काल और अधिकारो मे कमी कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कर्त्तव्य

उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके फैसले देश की सभी अदालतो को मान्य होते है। इसके अधिकारो को हम तीन भागो मे विभाजित कर सकते है।

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—प्रथम बार ही उच्चतम न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये मुकदमे इस अधिकार-क्षेत्र मे आते हैं। इसके सम्बन्ध

विवेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नही कर सकता ।

अर्थ विवेयको के निर्माण की प्रक्रिया—अर्थ विवेयक भी सावारण विवेयको की प्रक्रिया से ही पास होते है परन्तु इसमे कुछ विशेप अन्तर होता है जो कि निम्नलिखित है —

(1) पहला अन्तर यह है कि अर्थ विवेयक लोक सभा मे ही प्रस्तुत होते हैं राज्य परिपद् मे नही। परन्तु राज्य परिपद् मे विचार के लिये इन्हे भेजा जाता है।

(2) दूसरे अर्थ विधेयक मे अनुदान की माँगे विना राष्ट्रपति की स्वीकृती के नही रक्खी जा सकति ।

(4)

उच्चतम न्यायालय

हमारे देश मे न्याय-व्यवस्था मे उच्चतम न्यायालय का विशेप स्थान है। राज्यो के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के अवीन होते हैं। अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दे तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयो की अपीलें ही नही सुनता वरन् उमका स्वय प्रारम्भिक कार्य-क्षेत्र भी है, अर्थात् पहले भी मुकदमा उसमे शुरू किया जा मकता है। वह मविवान का सरक्षण भी करता है और मूल अधिकारो की रक्षा भी करता है। सन् 1950 से लेकर अब तक थोडे-मे ही समय मे उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिप्ठा को प्राप्त कर लिया हैं।

उच्चतम न्यायालय का सगठन तथा न्यायाधीशो की योग्यताएँ

मविधान मे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय मे एक मुख्य न्यायावीश तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह मे अन्य न्यायावीशो

की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को —

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों मे वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, अथवा

(4) राष्ट्रपति की निगाह मे वह उच्चकोटि के कानून का जानने वाला हो।

न्यायाधीशो की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते

65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है परन्तु बीच मे भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र देकर वह अपने पद को छोड सकता है। इसके अलावा यदि ससद के दोनो भवनो को समस्त बहुमत मे न्यायाधीश को अयोग्य और दुराचारी सिद्ध कर दे तो ऐसी दशा मे वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वे इस न्यायाधीश को पद से हटा दे।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रु० और अन्य न्यायाधीशो को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा। समय-समय पर ससद उनके वेतन, कार्य-काल और अधिकारो मे कमी कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कर्त्तव्य

उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके फैसले देश की सभी अदालतो को मान्य होते है। इसके अधिकारो को हम तीन भागो मे विभाजित कर सकते है।

(1) **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार**—प्रथम बार ही उच्चतम न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये मुकदमे इस अधिकार-क्षेत्र मे आते है। इसके सम्बन्ध

के मुकदमे किसी अन्य न्यायालय मे नही सुने जा सकते। इस अधिकार-क्षेत्र मे दो प्रकार के मुकदमे आते है। यदि सघीय और राज्य की सरकार मे सवैधानिक प्रश्न पर कोई मतभेद हो जाय इसके अलावा यदि सघ मे किन्ही दो या दो से अधिक राज्यो मे किसी वैधानिक प्रश्न पर कोई झगडा हो जाय। इस प्रकार के फैसले उच्चतम न्यायालय ही करता है। इन दोनो स्थितियो का मुकदमा कोई भी अन्य न्यायालय नही सुन सकता।

(2) **अपीलीय क्षेत्राधिकार**—इसमे उच्चतम न्यायालय अपने अधीन न्यायालयो के मुकदमो के फैसले की अपीले सुनता है। इसके सामने सवैधानिक, फौजदारी, दीवानी तीन प्रकार के मुकदमो की अपीले आ सकती ह।

(क) **सवैधानिक अपीलें**—उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के सम्बन्ध मे यह कहे कि इसमे सविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ के विषय मे शका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे अपीले सुनी जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय स्वय प्रार्थना-पत्र के आधार इस पर प्रकार की आज्ञा दे सकता है। दोनो ही परिस्थितियो मे उच्चतम न्यायालय सविधान की व्याख्या करता है।

(ख) **फौजदारी अपीलें**—तीन पकार की परिस्थितियो मे फौजदारी अपीले सुनी जा सकती ह—

(1) यदि किसी अपराधी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्यायालय उसे मृत्यु-दण्ड मे बदल दे तो इस सम्बन्ध की अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती ह।

(2) यदि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय से मुकदमा मँगाकर उसे मृत्यु-दण्ड मे बदल दे तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है।

(3) यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के बारे मे यह सिद्ध कर

दे कि इसमे कोई महत्त्वपूर्ण कानूनी ममस्या पेश की गई है त
मुकदमे के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती

(ग) **दीवानी मुकदमे सम्बन्धी अपीलें**—दीवानी मुकदम
सम्वन्व मे दो प्रकार की अपीले उच्चतम न्यायालय मे की जा स
है। यदि कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर दे कि अमुक मुकद
राशि का मूल्य 10000 रु० मे अधिक है तो ऐसी स्थिति की
उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय यह
णित करे कि अमुक मुकदमा वहुत महत्त्वपूर्ण है तो ऐसे मुकद
अपील उच्चतम न्यायालय मे हो सकेगी।

(3) **मूल अधिकारो के सरक्षण का अधिकार**—मूल अधि
की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का मुख्य कर्त्तव्य है। यदि राज्
या केन्द्र की मरकार किमी नागरिक के मूल अधिकारो का अप
करती है तो निर्देश लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय इन्हे पुन स्थ
कर सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय यह तय करे कि स्वतन्त्र
सम्वन्व मे राज्य द्वारा लगाये गये प्रतिवन्ध उचित है या नही।
यह हर्ष की वात है कि अभी तक मूल अधिकारो के सम्वन्व मे उच
न्यायालय ने वडी ही निष्पक्षता और निर्भीकता से कार्य किया है।

(4) **परामर्श सम्वन्धी अधिकार**———अत मे उच्चतम न्याय
का यह अविकार हे कि वह राष्ट्रपति के किसी सवैधानिक माम
राय पूछने पर अपना मत दे परन्तु इमको मानना न मानना राष्
पर निर्भर है।

उपर्युक्त अधिकारो के विवेचन मे हमे ज्ञात हुआ है कि उच्च
न्यायालय का शासन पद्धति मे उच्च स्थान है। यह देश का
न्यायालय ही नही साथ ही मविधान और मूल अधिकारो की रक्ष
करता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राष्ट्रपति की योग्यताएँ, कार्य-काल तथा निर्वाचन-प
ममझाइये।

2 राष्ट्रपति के क्या-क्या अधिकार ओर कर्त्तव्य हे ?

3 राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारो के सम्बन्ध मे आप क्या जानते हे ?

4 प्रधान मन्त्री का मन्त्रिमण्डल से सम्बन्ध दर्शाइए।

5 मन्त्रिमण्डल के अधिकार ओर कर्त्तव्यो की विवेचना करिए।

6 ससद किसे कहते हे ? उसके अधिकार ओर कर्त्तव्यो की विवेचना करिए।

7 लोक सभा का सगठन कैसे होता हे ? इसके सदस्यो को चुनने और चुने जाने वाले सदस्यो की क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए ? उनका कार्य-काल कितना होता हे ?

8 राज्य परिषद् का सगठन कैसे होता हे ? उसके अधिकारियो के अधिकारो को लिखिए।

9 कोई भी विधेयक कब कानून का रूप धारण करता हे ? पूर्ण पद्धति लिखिए। साधारण विधेयक ओर अर्थ विधेयक मे क्या अन्तर हे ?

10 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए किन-किन योग्यताओ का होना जरूरी हे ? उनके कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते के बारे मे आप क्या जानते हे ?

11 उच्चतम न्यायालय के अधिकारो तथा कर्त्तव्यो की विवेचना करिए।

अध्याय 5

राज्यों की सरकार

केन्द्र की तरह राज्य की शासन-व्यवस्था का आधार संसदीय है। अत राज्यो की शासन-व्यवस्था समझने मे पहले यह जानना जरूरी है कि संसदीय शासन-व्यवस्था किसे कहते है? इस प्रकार की शासन-व्यवस्था मे कार्यकारिणी व्यवस्थापिका मे चुनी जाती है और सर्वदा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी तभी तक अपने पद पर काम कर सकती है जब तक व्यवस्थापिका का इसमे विश्वास हो। इसमे वैधानिक और वास्तविक दो प्रकार की भी कार्यपालिका होती है। वैधानिक कार्यपालिका केवल नाममात्र की होती है। सभी शक्तियाँ मन्त्रि-परिषद् मे निहित होती है। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि इस नाममात्र की वैधानिक कार्यपालिका की जरूरत ही क्यो पडती है। इसके कई कार्य है जैसे प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करना, उसे मन्त्रि-मण्डल बनाने का आदेश देना तथा व्यवस्थापिका सभा को आमन्त्रित करना, रोकना और उसे भग करना। जब एक मन्त्रि-परिषद् अपने पद से त्यागपत्र दे देती है तो फिर वैधानिक कार्यपालिका को नवीन मन्त्रि-परिषद् का निर्माण करना पडता है। उस काल मे यह वैधानिक कार्यपालिका शासन की संरक्षिका बन जाती है। इसी भूमिका के आधार पर ही हम राज्यपाल के पद को भलीभाँति समझ सकते है।

(1)

राज्यपाल

राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। जिस प्रकार सघ मे राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य मे राज्यपाल। राज्यपाल

मे सम्पूर्ण व्यवस्थापिका शक्ति निहित मानी जाती है। उसी के नाम से शासन चलता है। वह विधान-मण्डल का जरूरी अग है। परन्तु जब हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो हमे मालूम होता है कि उसका स्थान केवल वैधानिक अध्यक्ष-मात्र का ही होता है। मन्त्रि-परिषद् उसकी सब शक्तियो का भोग करती है। राज्यपाल वास्तव मे केन्द्र और राज्य के शासन को जोडने वाली कडी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। अब राज्यपाल वैधानिक या नाममात्र की कार्यकारिणी है और मन्त्रि-परिषद् वास्तविक है।

राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसका कार्य-काल

राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहकर ही कार्य करता है। उसका कार्य-काल 5 वर्ष होता है परन्तु वह इस अवधि के पहले भी अपने स्थान से राष्ट्रपति को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। 5 वर्ष का काल समाप्त हो जाने के बाद भी राज्यपाल अपने स्थान को तब तक नही छोड सकता जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर नही आ जाता। इस समय राजस्थान मे राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द हैं।

राज्यपाल होने की योग्यताएँ

राज्यपाल के पद पर खडे होने के लिए किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यताओ का होना बहुत जरूरी है —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) उसकी आयु 35 साल तक हो।

(3) और जो न तो संसदीय संसद और न ही राज्य के विधान मण्डल का सदस्य हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधान मण्डल या संसद का सदस्य है और उसकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्त होने की तारीख मे उस स्थान की सदस्यता को छोड देना होगा।

राज्यपाल का वेतन तथा अन्य भत्ते

राज्यपाल के वेतन के सम्बन्ध मे जब तक संसद निश्चित नही कर

देती उसे 5000 रु० वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे। साथ ही उसे रहने के लिए मकान भी दिया जायेगा। राज्यपाल का वेतन तथा उसके अन्य भत्ते उसके कार्य-काल में कम नहीं किये जा सकते।

राज्यपाल के अधिकार और कर्त्तव्य

जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उस समय तक 'क' श्रेणी के राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल और 'ख' श्रेणी के राज्य का अध्यक्ष राजप्रमुख कहलाता था। इन दोनों पदों के कार्यों और अधिकारों में कुछ भी अन्तर नहीं होता था। पुनर्गठन में अब राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। प्रारम्भिक रूप में राज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। सब शासन उसी के नाम से चलाया जाता है। व्यवस्थापन और न्याय-क्षेत्र में भी राज्यपाल के कार्य विस्तृत हैं। इस प्रकार वह विधान मण्डल का जरूरी भाग माना गया है। जब तक राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। उसे क्षमा करने का अन्तिम अधिकार प्राप्त है। केवल असम के राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने का अधिकार है। परन्तु वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी अवश्य होता है। राज्यपाल को अपने अधिकारों के उपभोग की पूरी स्वतन्त्रता है। उसे अपने अधिकारों के उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता है। वह अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राज्यपाल की सहायता और परामर्श के लिए एक मन्त्रि-परिषद् का निर्माण किया गया है परन्तु यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है कि वह मन्त्रि-परिषद् की राय माने या न माने। वैसे तो सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जाता है कि मन्त्रि-परिषद् के परामर्श से राज्यपाल कार्य करेगा परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा करने से राज्यपाल के अधिकार-कर्त्तव्य मन्त्रि-परिषद् के अधिकार-कर्त्तव्य हो जायेंगे। उपर्युक्त बातों के आधार पर हम राज्यपाल के कार्यों का विभाजन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं जिनके आधार पर उसकी स्थिति का हमें भली-भाँति पता चलता है।

(1) **कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार**—ऊपर भी कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष है। अत कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार उसी के हाथो मे होते है जिनका भोग वह स्वय करता है या उसके पदाधिकारी करते हैं। जिन विषयो मे राज्य का विधान मण्डल कानून बनाता है उसकी कार्यपालिका शक्ति वही तक फैली हुई है। राज्यपाल को मुख्यमत्री की नियुक्ति करके उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति करनी पडती है, राज्यपाल केवल स्वीकार करता है। परन्तु जैसा ऊपर देखने मे मालूम होता है कि राज्यपाल मुख्य मन्त्री की नियुक्ति मे उतना स्वतन्त्र नही है क्योकि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसी के नेता को उसे मुख्य मन्त्री बनाना होता है। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आ जाय जिसमे किसी दल का बहुमत न हो और कई व्यक्ति मुख्य मन्त्री का पद चाहते हो तो इस अवस्था मे राज्यपाल की इच्छा से ही नियुक्ति की जायेगी। मुख्य मन्त्री की सलाह अन्य मन्त्रियो की नियुक्ति मे ली जाती है। यदि राज्यपाल उसे नही मानता तो मुख्य मन्त्री त्यागपत्र दे देता है। अत राज्यपाल को इस स्थिति मे सम्भव हो सकता है त्यागपत्र देना पडे। राज्यपाल लोक-सेवा आयोग की भी नियुक्ति करता है। मन्त्रियो के कार्य का बटवारा करना तथा शासन सचालन के नियम बनाना आदि इसी का काम है।

(2) **व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार**—राज्यपाल विधान मण्डल का एक अग है। उसे अधिकार है कि वह विधान मण्डल की बैठक बुलाये, उन्हे स्थगित करे, विघटित करे तथा विधान मण्डल मे भाषण दे और सदेश भेजे। विधान मण्डल मे पास होकर बिल जब तक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नही होता वह कानून का रूप धारण नही कर सकता। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह बिल को अस्वीकार कर दे, समाप्त कर दे या राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोके रखे। यदि विधान मण्डल उसे पुन उसी रूप मे राज्यपाल के पास भेजता है तो उसे पास करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल कानून समाप्त नही कर

सकता उसे रोके रख सकता है । राज्यपाल को उस समय जब कोई अधिवेशन न हो रहा हो अध्यादेश पास करने का अधिकार है । इन अध्यादेशो का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि विधान मण्डल के कानून का होता है । परन्तु यह जरूरी है कि प्रत्येक अध्यादेश विधान मण्डल के आगामी अधिवेशन मे प्रस्तुत किए जायँ । विधान मण्डल को उन अध्यादेशो के स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है । यदि विधान मण्डल उन्हे पास कर देता है तो वे कानून बन सकते है । इन अध्यादेशो का समय 6 हफ्ते होता है । परन्तु विधान मण्डल मध्य मे ही इन्हे समाप्त कर सकता है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि राज्यपाल का व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधिक महत्वपूर्ण है ।

(3) **आर्थिक अधिकार**—राज्यपाल को बजट से सम्बन्धित अधिकार भी होते हैं । प्रत्येक वर्ष का बजट विधान सभा मे राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होता है । इस बजट मे उस वर्ष की आय का अनुमान मे ब्यौरा तैयार किया जाता है । बिना राज्यपाल की आज्ञा के किसी भी मद की माँग विधान मण्डल से नही की जा सकती । राज्यपाल बचे हुए खर्च की माँगो को भी कारण बता कर प्रस्तुत कर सकता है । विधान मण्डल इन माँगो को कम कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है परन्तु बढा नही सकती ।

(4) **न्यायिक अधिकार**—विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानूनो के अनुसार ही राज्यपाल दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा उसे स्थगित भी कर सकता है ।

राज्यपाल के अधिकारो को जान लेने के बाद यह कहना आवश्यक ही है कि राज्यपाल का स्थान प्रभाव और वैभव का है शक्ति का नही है । क्योंकि वह अपने बहुत से अधिकारो का भोग मन्त्रि-मण्डल और विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होकर करता है । शासन पर उसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित है । राज्यपाल के स्थान की महत्ता तो इसी से ज्ञात हो जाती है कि किसी भी न्यायालय मे उसके कार्यो के विरुद्ध कार्यवाही नही की जा सकती ।

(2)

मन्त्रि-परिषद् तथा मुख्य मन्त्री

प्रत्येक राज्य मे एक मन्त्रि-परिपद् होती है। वैसे तो राज्यपाल की सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल मे निहित मानी गई है परन्तु व्यवहार मे मन्त्रि-परिपद् ही इन अधिकारो का उपभोग करती है।

मन्त्रि-परिपद् का सगठन, अवधि तथा योग्यताएँ

सघीय शासन की ही भाँति राज्य मे मन्त्रि-परिपद् का सगठन किया जाता है। मन्त्रि-परिपद् का नेता मुख्य मन्त्री होता है। राज्य की विधान सभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्य मन्त्री बनाता हे, ओर मुख्य मन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्री चुनता है। मन्त्रियो की सख्या कितनी हो इस सम्बन्ध मे सविधान कुछ नही कहता। यह सख्या मुख्य मन्त्री राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकारी काम और राजनीतिक स्थिति को ध्यान मे रखकर करता हे। इस समय राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल मे कुल 18 सदस्य हे। 8 केबिनेट मन्त्री (जो प्रथम श्रेणी के मन्त्री होते है) ओर 10 उप-मन्त्री। इन मन्त्रियो का कार्य-काल मुख्य मन्त्री की इच्छा पर निर्भर हे। वैसे व्यवहार मे मन्त्रि-परिपद् तब तक अपने पद पर आरूढ रहती हे जब तक विधान मन्डल का उसमे विश्वास हो। जब विधान मण्डल का विश्वास उन पर से उठ जाता हे तो या तो स्वय मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता हे या राज्यपाल उन्हे उनके पद से हटा देता हे।

मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को विधान मण्डल का सदस्य होना जरुरी हे। अगर कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डल का सदस्य हो जाय और वह विधान मण्डल का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अन्दर ही उसका सदस्य बन जाना होगा। विधान मण्डल मन्त्रिमण्डल के सदस्यो के वेतन को निश्चित करता है।

मन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाली

मुख्य मन्त्री की सलाह से राज्यपाल मन्त्रियों के काम का बँटवारा करता है। एक मन्त्री एक या एक से अधिक विभागों का सदस्य हो सकता है। मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सब मन्त्री मिलकर किसी एक नीति का समर्थन करते हैं।

मन्त्रि-परिषद् के अधिकार और कर्त्तव्य

यद्यपि राज्यपाल सम्पूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का अधिकारी है परन्तु वह उसका प्रयोग मन्त्रि-परिषद् द्वारा करता है। मन्त्रि-परिषद् उसे उन मामलों में सलाह देती है जो कि विधान से अलग आते हैं। परन्तु व्यवहार में अगर देखा जाय तो हमें ज्ञात होता है कि मन्त्रि-परिषद् सम्पूर्ण काम राज्यपाल के नाम से करती है। परन्तु असम सीमा के प्रदेश में यह बात लागू नहीं होती। व्यवहार में राज्यपाल के अधिकार मन्त्रि-परिषद् के अधिकार हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य का विधान मण्डल कानून बनाता है। उनका कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्य वहीं तक सीमित है। विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य-क्रम बनाना, उनके पक्ष में बोलना, विधान मण्डल में अपने बहुमत से उन्हें स्वीकृत कराना ये सब मन्त्रि-परिषद् के ही काम हैं। मन्त्रि-मण्डल को विधान मण्डल के प्रश्नों का तथा आलोचना का जवाब देना होता है तथा साथ ही विधान मण्डल में अपनी नीति की व्याख्या उसे करनी पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि इन सब बातों से यह निश्चय है कि मन्त्रि-परिषद् राज्य की सरकार का बहुत ही आवश्यक अंग है।

मुख्य मन्त्री

चूँकि मन्त्रि-परिषद् का मुख्य, मुख्य मन्त्री ही होता है अतः इसके सम्बन्ध में थोड़ा अलग से ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि मुख्य मन्त्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, परन्तु यह याद

रहे कि विधान सभा मे जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी के नेता को राज्यपाल मुख्य मन्त्री बनाता है। श्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्य मन्त्री थे। उनके बाद श्री जयनारायण व्यास को यह पद मिला, अब इस पद पर श्री मोहनलाल जी सुखाडिया है। मुख्य मन्त्री की सलाह से ही अन्य मन्त्रीगण चुने जाते है। उसमे राज्यपाल का कोई हाथ नही होता। परन्तु मुख्य मन्त्री को अन्य मन्त्रियो के चुनते समय कुछ बातें ध्यान मे रखनी पडती हैं। जैसे उसे अपने दल के प्रभावशाली नेताओ को मन्त्रिमण्डल मे लेना जरूरी होता है। साथ ही उसे यह भी ख्याल रखना पडता है कि मन्त्रिमण्डल मे अल्पसख्यको जैसे मुसलमान, परिगणित जाति आदि के प्रतिनिधि भी आये। इन्ही सब बातो को ध्यान मे रखकर राजस्थान का मन्त्रि-मण्डल बनाया गया है। मन्त्रि-परिषद् के सदस्यो की कितनी सख्या हो यह निश्चित करना भी मुख्य मन्त्री का ही काम है।

(3)

विधान मण्डल

सविधान मे कहा गया है कि प्रत्येक राज्य मे एक विधान मण्डल होगा। यह विधान मण्डल राज्यपाल, एक या दो सदनो से मिलकर बनेगा (क्योकि कुछ राज्यो मे एक सदन है कुछ मे दो सदन हैं अत ऐसा कहा गया है) जहाँ पर दो सदन होते है वहाँ निम्न सदन को विधान सभा और उच्च सदन को विधान परिषद् के नाम से पुकारा गया है। राज्यो के पुन सगठन के बाद निम्नलिखित राज्यो मे दो सदनो का निर्माण किया गया है

1 आन्ध्र
2 बिहार
3 मद्रास
4 महाराष्ट्र

5 उत्तर प्रदेश
6 पश्चिमी बगाल
7. पजाब
8 मैसूर
9 मध्य प्रदेश
10 जम्मू तथा काश्मीर

विधान परिषद् के निर्माण तथा तोडने की विधि

सविधान मे यह लिखा है कि यदि किसी राज्य मे विधान परिषद् नही है, सरकार वहाँ (उस राज्य मे) इसका निर्माण करना चाहती है, तो वह विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत से विधान परिषद् बना सकती है। इसके विपरीत यदि कही विधान परिषद् है और वहाँ से उसे हटाना है, तो भी उसे विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से पास होने पर हटाया जा सकता है। अब हम नीचे यह बतायेंगे कि विधान मण्डल के दोनो सदनो का कैसे निर्माण किया जाता है और उनके कार्य क्या है ? पहले हम विधान सभा को ही लेंगे।

विधान सभा

विधान सभा की निर्वाचन विधि तथा सदस्यो की सख्या

विधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जायेगा। अर्थात् वह व्यक्ति जो कि 21 वर्ष का हो तथा उस पर कोई भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी कार्यवाही का आरोप न हो, विधान सभा के सदस्यो को चुन सकता है। सविधान मे कहा गया है कि यह प्रयत्न रहना चाहिए कि सारे देश के प्रतिनिधित्व का अनुपात समान हो। विधान सभा का निर्वाचन सयुक्त निर्वाचन प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप मे जनता द्वारा होगा। अर्थात् हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब अलग-अलग अपनी-अपनी जाति को नहीं वरन् सब मिलकर सबका निर्वाचन करेंगे।

विधान सभा के सदस्यो की सख्या कितनी होगी यह राज्यो की आबादी पर निर्भर होगा। राज्यो के पुन सगठन होने के बाद विधान सभा के सदस्यो की सख्या निम्नलिखित रूप मे दिखाई गई है —

राज्य का नाम	विधान सभा के सदस्यो की सख्या
1 आन्ध्र	301
2 असम	108
3 बिहार	318
4 गुजरात	154
5 मध्य प्रदेश	288
6 मद्रास	205
7 महाराष्ट्र	264
8 मैसूर	208
9 पजाब	154
10 राजस्थान	176
11 पश्चिमी बगाल	252
12 जम्मू तथा कश्मीर	75
13 केरल	126
14 उडीसा	140
15 उत्तर प्रदेश	430
16 नागालैंड	(अन्तरिम परिषद्)

विधान सभा के सदस्यो की योग्यताएँ, कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

विधान सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को यह जरूरी है कि—

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो।

(3) वह विधान मण्डल द्वारा निर्धारित सब योग्यताएँ पूरी करता हो।

(4) वह किमी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो ।

(5) वह पागल, कोढी या दिवालिया न हो ।

विधान सभा के सदस्यो का कार्य-काल 5 वर्ष होता है । सकट-कालीन अवस्था मे ससद उनका कार्य-काल एक समय मे एक वर्ष वढा सकती है । विधान मण्डल द्वारा ममय-समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते विधान सभा के मदस्यो को दिये जायेंगे ।

विधान सभा के सदस्यो के अधिकार

विधान मभा के मदस्यो को कुछ विशेप अधिकार मिलते हैं । इन सदस्यो को यह अधिकार है कि वे मदन मे भापरण दें और अपने विचारो को प्रकट करें । इन मदनो मे जो सदस्य अपने विचार प्रकट करते है किमी भी न्यायालय मे उनकी कोई भी कार्यवाही नही की जा सकती ।

राजस्थान विधान सभा की कुल सदस्य मख्या 176 है । 1962 मे मम्पन्न हुए तृतीय आम चुनावो के पश्चात् काग्रेस पार्टी को वहुमत मिला । विधान मभा मे विभिन्न दलो की स्थिति निम्न प्रकार है —

काग्रेस	88
माम्यवादी	5
स्वतन्त्र पार्टी	36
जनमघ	15
प्रजा-समाजवादी	2
अन्य	30

विधान परिषद्

विधान परिपद् का चुनाव तथा उसके सदस्यो की सख्या

विधान परिपद् का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप मे जनता के प्रतिनिधियो के निर्वाचन-मण्डल द्वारा किया जाता है । यह निर्वाचन-मण्डल चार प्रकार के होते है जो इमे चुनते हैं —

(1) स्थानीय मम्थाओ जैसे नगरपालिका, जिला वोर्ड तथा वे

स्थानीय कर्मचारी जिन्हे ससद द्वारा निर्वाचन-मण्डल मे शामिल होने की आज्ञा है, विधान परिषद् के सदस्यो मे से $\frac{1}{3}$ भाग चुनेगे।

(2) एक ऐसा शिक्षित व्यक्तियो का मण्डल जो उस राज्य का निवासी हो तथा जो बी० ए० की परीक्षा तीन वर्ष पहले पास कर चुका हो वह कुल सदस्यो का $\frac{1}{12}$ वा भाग चुनेगा।

(3) ऐसे अध्यापको का निर्वाचन-मण्डल जो कि किसी माध्यमिक पाठशाला तक ही पढाते हो, सदस्यो का $\frac{1}{12}$ वाँ भाग चुनेगा।

(4) राज्य की विधान सभा का स्वय निर्वाचन-मण्डल होगा जो परिषद् के सदस्यो का $\frac{1}{3}$ भाग चुनेगा।

(5) विधान परिषद् के $\frac{1}{6}$ सदस्यो का चुनाव राज्यपाल द्वारा होगा। राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान आदि के ज्ञाता को ही इसका सदस्य बनायेगा।

यहाँ पर यह नही भूलना चाहिए कि वह निर्वाचन-मण्डल एकल-सक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा परिषद् के सदस्य चुनता है। विधान परिषद् के सदस्यो की सख्या विधान सभा के सदस्यो की $\frac{1}{3}$ होनी चाहिए परन्तु यह सख्या 40 से कम न हो। इस समय उत्तर-प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यो की सख्या 108 है। अत भिन्न-भिन्न राज्यो मे इस सख्या को कैसे रखा गया है इसे नीचे दिखाया जाता है।

राज्य का नाम	परिषद् के सदस्यो की सख्या
आन्ध्र	90
बिहार	96
महाराष्ट्र व गुजरात	108
मद्रास	63
मध्य प्रदेश	90
जम्मू तथा कश्मीर	36
मैसूर	63

उत्तर प्रदेश	108
पश्चिमी बगाल	75
पजाब	51

विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को निम्न योग्यताएँ पूरी करनी चाहिए —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) 30 वर्ष से कम उम्र न हो।

(3) वह उन सब योग्यताओं को पूरी करता हो जो विधान मण्डल द्वारा निश्चित की गई हैं।

(4) वह पागल, कोढी, दिवालिया और अपराधी न हो।

विधान परिषद् एक स्थाई सम्था है, वह पूर्णत भग नही होती। प्रति दो वर्ष के बाद इसके एक-तिहाई सदस्य अपना पद छोडते हैं और उसके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते है। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल 6 वर्ष कहा जा सकता है। विधान परिषद् को विधान मण्डल द्वारा निश्चित किये वेतन और भत्ते दिये जाते है।

विधान परिषद् के अधिकारी तथा अधिकार

परिषद् के सदस्य अपने सदस्यो मे से एक सभापति और एक उप-सभापति चुनते है। विधान सभा के समस्त अधिकारो का उपभोग विधान परिषद् के सदस्य करते हैं।

(राजस्थान राज्य मे यद्यपि विधान-परिषद् नही है, फिर भी विद्यार्थियो के ज्ञान के लिए विधान-परिषद् का विवरण दिया गया है।)

विधान मण्डल के अधिकार

हम यह कह सकते है कि विधान मण्डल के वही अधिकार हैं जो कि

ससद को सघीय विपयो मे मिले हुए है। इनका वर्णन हम निम्न शीर्षको मे करेगे —

(1) **विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकार**—कानून वनाना विधान मण्डल का प्रमुख काम है। राज्यो की सूची मे दिये गये सभी विपयो के सम्बन्ध मे विधान मण्डल कानून वनाता है। उसे समीपवर्ती सूची के विपयो पर भी कानून वनाने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस क्षेत्र मे यदि राज्य और ससद के कानूनो मे कोई विरोध होता है तो वह कानून लागू नही किया जायेगा। साधारण परिस्थिति मे विधान मडल स्वतन्त्र ह, परन्तु सकट-काल मे उमके अधिकारो मे राप्ट्रपति तथा ससद दखल दे सकता है।

(2) **आर्थिक अधिकार**—विधान मडल का दूसरा मुरय काम वजट पास करना है। प्रति वर्प विवान सभा मे आय-व्यय का व्योरा राज्यपाल की सम्मति से पेश किया जाता है। विवान मडल इसमे कमी कर सकता हे, और अस्वीकृत भी कर सकता है, परन्तु उसे वढाने का अविकार नही है। विवान सभा के निर्णय वजट के वारे मे अन्तिम होते हैं, परन्तु विवान परिपद् के पास यह विचार के लिए अवश्य भेजा जाता है।

(3) **शासन-सम्वन्धी अधिकार**—विवान मण्डल मन्त्रि-परिपद् को नियन्त्रण मे रखकर उसे जन-कल्याण मे लगाती है। विवान मण्टल को यह अधिकार हे कि वह मन्त्रि-परिपद् से प्रश्न पूछे या उमकी नीति की आलोचना करे। विधान मण्डल यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मन्त्रि-मण्डल को त्यागपत्र देना पडता हे।

इस प्रकार मे हम देखते है कि विवान मण्डल पर शासन के नियन्त्रण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

(4)
उच्च न्यायालय

राज्य का सबसे मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य मे एक उच्च न्यायालय होता है। यह उच्चतम न्यायालय के अधीन

होता है। जो निर्णय उच्चतम न्यायालय देता है उसे उच्च न्यायालय को मानना पडता है। परन्तु उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए वाध्य नही है। यह उस निर्णय को वदल सकता है। वैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की भांति नागरिको के मताधिकारो का सरक्षण करता है।

उच्च न्यायालय का सगठन व न्यायाधीशो की योग्यताएँ

एक उच्च न्यायायल मे एक मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश होते है। इन न्यायाधीशो की सख्या कितनी होगी वह राष्ट्रपति ही निश्चित करता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर मे है। इसमे मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश हैं।

किसी भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने से लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जरूरी होता है —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी न्याय सम्वन्धी पद पर रहा हो, या,

(3) राज्यो के उच्च न्यायालयो मे लगभग 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशो का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

60 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है। परन्तु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग-पत्र दे सकता है। यदि ससद के दोनो भवनो के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई वहुमत मे किसी न्यायाधीश को दुराचारी सिद्ध करते है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4000 रु० वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य न्यायाधीशो को 3500 रु० वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते हैं। यह वेतन और भत्ते उनके कार्य की अवधि मे कम नही किये जा सकते।

उच्च न्यायालय के अधिकार

प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार होते है—

(1) न्याय सम्वन्वी अविकार, और

(2) प्रवन्व सम्वन्वी अधिकार ।

1 न्याय सम्वन्धी अधिकार—न्याय सम्वन्वी अधिकारो को दो भागो मे बाँटा जा सकता है—

(क) (प्रारम्भिक क्षेत्राविकार, और (ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार ।

(क) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारी—कौन कौन मे मुकदमे उच्च न्यायालय सुनेगा, इनका जिक्र सविवान मे नही किया गया है। परन्तु सविवान वनने के पहले कलकत्ता, वम्वई, मद्रास के उच्च न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारो का भोग करते थे, वैसा अब भी होता है। इस क्षेत्र मे वे दीवानी मुदकमे होते है जिनको खफीफा अदालतो मे पेश नही किया जा सकता और वे फौजदारी मुकदमे आते है, जिनका फैसला सेशन जज की अदालत मे नही होता । मूल अधिकार सम्वन्वी मुकदमे विशेप रूप से उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार मे आते है । मुकदमे या तो उच्च न्यायालय सुनता है या उच्चतम न्यायालय । व्यवहार मे उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही सुनता है ।

(ख) अपीलीय क्षेत्राविकार—इस अविकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्वन्वी सभी प्रकार के मुकदमो की अपील सुनता है । इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मँगाकर उसकी छानवीन करे ।

2 प्रवन्ध सम्वन्वी अधिकार—उच्च न्यायालयो को यह अधिकार होता है कि वे अपने पास के न्यायालयो का उचित रूप से प्रवन्ध करे तथा उनके कार्यो का निरीक्षण करें । उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीको से उनका निरीक्षण करता है —

(1) उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से किसी भी मुकदमे के कागज मँगाकर उसकी जाँच कर सकता है ।

(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के लिए ऐसे नियम बनाये जिससे उनका काम आसानी से चल सके।

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में भी नियम बना सकता है कि किसी भी न्यायालय को किन मुकदमों का रिकार्ड रखना चाहिए।

(4) उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, उनके वेतन में कमी और छुट्टी आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का अधिकारी है।

(5) उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह एक न्यायालय का मुकदमा दूसरे न्यायालय में भेज दे।

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकारों को पुन स्थापित करने हेतु राज्य के कर्मचारियों को अपना आदेश दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी ढग से जेल में बन्द कर दिया गया हो तो उसे वह छुड़वा सकता है।

(7) कोई भी न्यायालय बिना उच्च न्यायालय की आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को फाँसी की सजा नहीं दे सकता।

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारों के कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र में रखता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राज्यपाल किसे कहते हैं ? राज्यपाल का पद प्राप्त करने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है ?

2. राज्यपाल के अधिकारों की संक्षिप्त विवेचना करिए।

3 मन्त्रि-परिषद् का सगठन कैसे होता है ? इसमें मुख्य मन्त्री की क्या स्थिति होती है ?

4 मन्त्रि-परिषद् के कार्यों की विवेचना करो।

5 विधान मण्डल का निर्माण कैसे होता है ? उसके दोनो सदनो के बारे मे सक्षेप मे बताओ ।

6 विधान मण्डल के कार्यो की विवेचना करिए ।

7 उच्च न्यायालय का सगठन कैसे होता है ? न्यायाधीशो मे किन योग्यताओ का होना जरूरी है ?

8 उच्च न्यायालय के अधिकारो की सक्षिप्त विवेचना करिए ।

भाग 3

राजस्थान तथा उसका प्रशासन

भारत के अन्य भागो की तरह यहां कृपि आदि की सुविधा है। राजस्थान का पूर्वी प्लैटो वेतवा नदी के वर्पा वाले क्षेत्र मे पडता है और यहाँ पर काफी वर्पा भी होती है।

(2) **जनसख्या**—सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे आवादी 2,01,55,602 है। 1951 की जनगणना के अनुसार 26 20 प्रतिशत जनमस्या मे वृद्धि हुई है। वैसे राजस्थान की जनसख्या सन् 1901 से निरन्तर वढ रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकडो से स्पप्ट है

वर्ष	जनसख्या (लाखो मे)
1901	102
1911	109
1931	127
1941	138
1951	159
1961	202

राजस्थान की 2,01,55,602 की आवादी मे 1,05,64,082 पुरुप और 95,91,520 स्त्रियां हैं। राजस्थान की जनसख्या मे यौन अनुपात 1,000 908 का आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुपात पिछले 60 वर्पो मे इमी प्रकार चला आ रहा है।

(3) **राजस्थान का एकीकरण**—आज का राजस्थान इतिहास मे पहली वार अपने इम वर्तमान स्वरूप मे आया है। इमके पहले यह विभिन्न राज्यो एव जागीरो मे वँटा हुआ था जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद मिलाकर एक किये गये हैं।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व राजस्थान 'वी' श्रेणी का राज्य था और यहां पर महाराजप्रमुख, राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख के पद थे। राज्यो के पुनर्गठन के वाद राज्यो का यह वर्गीकरण समाप्त हो गया और राजस्थान भी अन्य राज्यो की भांति भारतीय सघ का एक राज्य वना

दिया गया और महाराजप्रमुख, राजप्रमुख, उप-राजप्रमुख आदि के पदों को समाप्त कर दिया गया और अन्य राज्यों की भाँति राष्ट्रपति, गवर्नर (राज्यपाल) की नियुक्ति करने लगा।

यह जानना बहुत ही उपयुक्त होगा कि वर्तमान राजस्थान कैसे बना ? सर्वप्रथम (सबसे पहले) अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर 18 मार्च, 1948 को मत्स्य संघ (यूनियन) बनाया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री (वर्क्स, माइन्स एण्ड पावर्स) श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। इसके एक सप्ताह बाद राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ जिसमे बाँसवाड़ा, बूँदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक शामिल थे। इसके तीन दिन बाद उदयपुर के महाराणा ने भी इस संघ मे सम्मिलित होने के लिए सहमति प्रकट की और नवीन राजस्थान यूनियन बनाया गया। इसकी राजधानी उदयपुर थी। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल, 1948 को प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने किया। मार्च,1949 मे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर वृहत् राजस्थान संघ बनाया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन ग्रह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, 1949 को किया। 15 मई, 1948 को मत्स्य संघ का शासन भी राजस्थान को सौंप दिया गया। सिरोही राज्य को जनवरी, 1950 मे दो भागो मे बाँट दिया गया। आबू और दिलवाडा के ताल्लुके बम्बई को दे दिये गये और बाकी हिस्सा राजस्थान को दे दिया गया। छः वर्षो के बाद सन् 1956 मे राज्य पुनर्गठन के बाद अजमेर, जो 'सी' श्रेणी का राज्य था, राजस्थान मे मिला दिया गया तथा साथ ही आबू, जो कि बम्बई मे मिला दिया गया था और मध्यप्रदेश का टप्पा सुनैल राजस्थान मे मिला दिया गया। इसके बदले मे सिरोंज का इलाका राजस्थान से हटाकर मध्यप्रदेश को दे दिया गया।

यह है हमारे राजस्थान के निर्माण की कहानी। वर्तमान राजस्थान छोटी-बड़ी 22 भूतपूर्व देशी रियासतो को मिलाकर बना है।

(4) **सामाजिक एव आर्थिक दशा**—सामाजिक दृष्टि से राजस्थान का इलाका स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय मे ही काफी पिछडा हुआ था। इसका कारण यह था कि राजस्थान के बहुत बडे भू-भाग मे आवागमन की सुविधा नही थी, लोगो को पढने लिखने के साधन प्राप्त नही थे। जागीरदारी प्रथा के कारण गरीबी भी थी। इसके अलावा यह इलाका बहुत से छोटे-छोटे राज्यो मे बँटा हुआ था जो कि सामाजिक उन्नति के लिए अधिक कुछ कर सकने मे असमर्थ थे। किसान गरीब थे क्योंकि बहुत बडे भू-भाग मे वर्षा की कमी के कारण उन्हे अपनी फसलो के लिए प्राकृतिक साधनो पर ही निर्भर रहना पडता था। यह दूसरी बात है कि इस इलाके के लोगो ने भारत के औद्योगीकरण मे प्रमुख भाग लिया है। मारवाडी पूँजीपतियो ने कलकत्ते और बम्बई मे कारोबार स्थापित किये है और देश के आर्थिक विकास मे सहयोग दिया है। देश के अनेक सफल पूँजीपति राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आये है।

राजनीतिक दृष्टि से भी राजस्थान पिछडा हुआ था क्योकि यहाँ के राजा और जागीरदार अपनी सत्ता के विरोध मे या आलोचना के रूप मे कुछ भी सुनना नही चाहते थे। राजनीतिक जाग्रति थोडी-बहुत ब्रिटिश भारत के सम्पर्क मे आने से हुई थी क्योकि राजस्थान के अनेक लोग ब्रिटिश भारत मे व्यापार और नौकरी के सिलसिले मे आया-जाया करते थे। परन्तु वह जाग्रति उन्ही तक सीमित थी। प्रान्त के आन्तरिक भागो मे रहने वाली जनता तक शायद यह भावना नही पहुँच पाती थी।

कुछ बडे राज्यो मे शासन प्रबन्ध काफी ठीक था, लोगो के विचार जानने के लिए राजा प्रयत्नशील भी थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राज्यो मे लेजिसलेटिव एसेम्बली भी थी जो जनता के विचारो का प्रतिनिधित्व करती थी, परन्तु छोटे राज्यो मे ऐसा नही था। वहाँ जागीरदार या राजा का हुक्म ही कानून होता था और उपेक्षा करने वालो को कठोर दण्ड दिया जाता था।

राजस्थान की जनसंख्या को दो भागो मे बाँट सकते है—ग्रामीण

और शहरी जनता। यहाँ जनसंख्या का 47 6 प्रतिशत ही खेती पर निर्भर करता है। यहाँ के काफी लोग (राजपूत, गूजर, जाट) भारतीय सेना मे सैनिक और अधिकारी के रूप मे काम करते रहे हैं। बहुत सारे दूसरे लोग देश के अन्य भागो मे नौकरी आदि करते हैं। इस तरह यह कह सकते है कि राजस्थान की जनता आर्थिक दृष्टि से उतनी पिछडी हुई नही है जितनी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या आसाम, बगाल आदि मे है।

आज राजस्थान ने अँगडाई ली है और परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आज राजस्थान प्रकृति से झगड कर अपनी सत्ता स्थापित करने को उतारू हो रहा है। विज्ञान की सहायता से हजारो एकड रेगिस्तानी इलाके अब कृषि योग्य बनाये जा रहे है। खेती के पुराने तरीको का स्थान नये वैज्ञानिक ढग ले रहे है। बहुत जल्दी ही राजस्थान भारत सघ का एक उन्नतिशील राज्य हो जायेगा।

(5) **राजस्थान की साहित्य-परम्परा**—राजस्थान बाहर वालो के लिए सदैव से ही आकर्षण का केन्द्र रहा है। आज भी राजस्थान मे काफी तादाद मे बाहर से पर्यटक आते है। राजस्थान का अपना स्वय का एक इतिहास है और इसकी अपनी एक परम्परा है। भारतीय इतिहास राजस्थान के वीरो की अनेक ऐसी कहानियो से भरा पडा है जो राजपूतो की वीरता एव शौर्य की अटूट शृखला का निर्माण करती है। राजस्थान के राजभवन, गढ और पुराने किले पर्यटको के लिए विशेष आकर्षण के केन्द्र है।

साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी साहित्य बडा समृद्ध है। पृथ्वीराज रासो की रचना राजस्थान मे हुई थी। डिगल और पिगल का हिन्दी साहित्य मे अपना विशिष्ट स्थान है। मीराबाई की रचनायें भी राजस्थानी मे ही हैं। राजपूतो ने समय-समय पर भारत के इतिहास मे भाग लेने का प्रयत्न किया है, यह दूसरी बात है कि किन्ही विशेष कारणो-

वश उन्हे सफलता न मिल सकी। यदि 1163 मे पृथ्वीराज शाहबुद्दीन गोरी से हार नही जाता तो भारतीय इतिहास की रूपरेखा दूसरी होती। इसी तरह यदि राणा सांगा खनवाहा की लडाई मे हार नही जाता तो फिर एक बार इतिहास बदल जाता। अकबर के समय मे एक बार फिर से मेवाड के शासको ने स्वतन्त्रता स्थापित करने की चेष्टा की और बहुत हद तक सफल भी हुए।

आज हमारा नया राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है। यह तरक्की हर दिशा मे हो रही है—राजनीतिक, सामाजिक एव आर्थिक। राजनीतिक दृष्टि से हमने सबसे पहले लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया है। वैसे यह कहा जा सकता है कि उसमे हम कहाँ तक सफल हुए है परन्तु परिश्रम का श्रेय हमे है ही। राजस्थान मे जहाँ किसी समय जागीरदारी का बोलबाला था वहाँ प्रजातन्त्र और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण अवश्य ही महत्त्वपूर्ण कदम है। सामाजिक क्षेत्र मे नई उन्नति हो रही है। सामाजिक कुरीतियो का अन्त किया जा रहा है। पर्दा-प्रथा कम हो रही है। मृतक भोज मे अब पहले जैसा उत्साह नही दिखाया जाता। प्रान्तो के आन्तरिक भागो मे लडके, लडकियो के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। औद्योगिक विद्यालयो का निर्माण किया जा रहा है। लडकियो के लिए कालेज खुल रहे है। यह सब विकास के ही तो प्रमाण है।

आर्थिक दृष्टि मे राजस्थान के पूँजीपतियो ने अब राजस्थान की ओर भी फिर कर देखा है और नये-नये कल-कारखाने राजस्थान मे स्थापित किये जा रहे हैं। राजस्थान नहर बन जाने के बाद राजस्थान के एक बहुत बडे भू-भाग मे पानी की कमी दूर हो जायगी और यह भू-भाग भी उतना ही विकसित और समृद्धिशाली हो जायगा जितना कि आज गगानगर का इलाका है।

(ग) सामाजिक सेवायें—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान की सामाजिक सेवाओ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। छोटी रियासतो

के शासक इतना धन सामाजिक सेवाओ पर व्यय भी नही कर सकते थे क्योकि उनकी आय सीमित थी। दूसरे उनमे सामाजिक सेवाओ को उपलब्ध करने की भावना का भी सर्वथा अभाव था। आज हमारे राज्य मे शहरी क्षेत्र मे 165 अस्पताल है जहाँ कि 7,739 रोगियो को भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो मे 90 सरकारी अस्पताल है जहाँ कि 857 रोगियो को भर्ती किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त राज्य मे 249 डिस्पेन्सरियाँ (औषधालय) भी है जिनमे 82 शहरी क्षेत्र मे और 167 ग्रामीण क्षेत्र मे है। इनके अतिरिक्त विशेष रोगो की चिकित्सा के लिए राज्य मे 39 अस्पताल (चिकित्सालय) है, जहाँ कि 465 रोगियो को भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार 41 औषधालय (डिस्पेन्सरियाँ) भी है जिनमे से 73 शहरी क्षेत्रो मे और 4 ग्रामीण क्षेत्रो मे है। राजस्थान के धन सम्पन्न सेठो ने भी चिकित्सालय आदि बनवाने मे उचित उत्साह दिखलाया है। कुछ चिकित्सालय तो सर्वथा निजी धन से ही चलाये जाते है और कुछ मे सरकारी और गैर-सरकारी धन का सहयोग रहता है। राज्य मे ऐसे 25 चिकित्सालय है जो या तो गैर-सरकारी है या सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से चलाये जाते है इन चिकित्सालयो मे 1,414 रोगियो की चिकित्सा का प्रबन्ध है। इसी प्रकार राज्य मे 40 औषधालय भी सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से चलाये जा रहे है जिनमे 26 शहरी इलाको मे और 14 ग्रामीण इलाको मे स्थित है।

राज्य मे डाक्टरो की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है। जयपुर मे मेडीकल कालेज मे सीटो की संख्या बढा दी गई है। बीकानेर मे दूसरा मेडीकल कालेज खोला गया है। दोनो जगहो मे मिलाकर प्रति वर्ष 220 विद्यार्थी डाक्टरी शिक्षा के लिए भर्ती किये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्य मे चेचक उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन तथा अन्य रोगो के उन्मूलन के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे

है। नर्सो, प्रशिक्षित दाइयो आदि की कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जागीरदारी उन्मूलन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन् 1952 मे जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया गया। परन्तु सन् 1954 तक जागीरदारी उन्मूलन का काम पूरा नही हो सका। अब ऐसे धार्मिक जागीरदारो को छोडकर जिनकी आय 1,000 रुपये से कम है, सभी जागीरे समाप्त कर दी गई है और इन जागीरदारो को मुआवजा दे दिया गया है जो कि 15 वार्षिक किश्तो मे जागीरदारो को दे दिया जायगा। इसी तरह विस्वादारी और जमीदारी की प्रथाओ का भी अन्त कर दिया गया है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार जो भी रैयत जमीन जोत रहा था वह अब जमीन का मालिक हो गया है।

जागीरदारी उन्मूलन एक बडा महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है क्योकि राजस्थान की कृषक जनता जागीरदारो के अत्याचारो से अत्यन्त ही पीडित थी। कोई भी किसान अपनी भूमि का मालिक नही हो पाता था, फलस्वरूप भूमि की उपज को बढाने के लिए वह पैसा खर्च करना नही चाहता था क्योकि उसे सदैव ही यह भय बना रहता था कि जागीरदार उसे हटा देगा। अब राजस्थान मे किसान अपनी भूमि का मालिक है। वह अब इस विश्वास के साथ उस पर पैसे खर्च कर सकता है कि इसका फल उसे और उसके बाल-बच्चो को ही मिलेगा।

(घ) सामाजिक समानता—राजस्थान मे सामन्तशाही और जागीरदारी के कारण सामाजिक असमानता बहुत ही अधिक थी। जागीरदारो की कोठियो के आगे छतरी लगा कर निकलना या किसी सवारी पर बैठ कर निकलना मना था। अनुसूचित जातियो और जन-जातियो के साथ काफी अत्याचार किये जाते थे। भारतीय संविधान के अनुसार अब छुआछूत एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और सामाजिक समानता को मौलिक अधिकारो मे सम्मिलित कर लिया गया है। यही

नही पिछडी हुई जातियो को आगे बढाने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियो मे, विधान सभाओ मे, ससद मे, उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। उनके लिए शिक्षण-सस्थाओ मे विशेष छात्र-वृत्तियो का प्रवन्ध भी किया जाता है।

यह कहना अनुचित होगा कि राजस्थान मे अव सामाजिक समानता स्थापित हो गई है और छुआछूत आदि का अन्त हो गया है। राज्य की जनता का बहुत बडा भाग गाँवो मे रहता है और वहाँ अभी भी छुआछूत की प्रथा चालू है। यह दूसरी बात है कि शिक्षित युवक और युवतियाँ इसमे विश्वास न करे, परन्तु घरो मे उनका व्यवहार भी प्राय उसी प्रकार का होता है जैसा कि उनके माता-पिता या अन्य वयोवृद्ध लोगो का होता है। यह इसलिए होता है कि छुआछूत को लोग अव भी घृणास्पद नही समझते इसलिए इसके उन्मूलन के लिए जो भी कदम उठाया गया है यह जनता की वास्तविक माँग न होकर उन पर थोपी गई वस्तु-सी हो गई है।

(ङ) **अनुसूचित जातियाँ या जन जातियाँ**—राज्य मे प्राय 23 लाख के लगभग अनुसूचित जातियो और जन-जातियो के लोग रहते हैं। यदि सारे पिछडे वर्गों को देखा जाय तो इनकी सख्या प्राय 68 लाख के करीव हो जायगी, इन लोगो की आर्थिक दशा अत्यन्त ही दयनीय है। इसमे दो बातें पैदा हो जाती हैं। पहली तो यह कि वे राज्य को कर (टैक्स) नही दे सकते अत राज्य की आय कम हो जाती है और दूसरी यह कि राज्य को इनके लिए शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी सुविधाओ को उपलब्ध करना पडता है।

राज्य इन लोगो की सहायता देने के लिए कई प्रकार से काम करता है, जैसे उनके विद्यार्थियो के लिए छात्रवृत्ति का प्रवन्ध, छात्रालयो (होस्टलो) का प्रवन्ध, आश्रम, स्कूल आदि। ऐसी सस्थाओ को सहायता दी जाती है जो कि अनुसूचित जातियो के बीच काम करती हैं। बहुतो के पास भूमि नही है उन्हे भूमि पर बसाने का प्रवन्ध किया जाता है।

सिचाई और पीने के पानी के लिए कुए खुदवाये जाते है। 1962-63 मे राज्य सरकार ने 13 05 लाख रुपया अनुसूचित जातियो एव जन-जातियो की उन्नति के कार्या पर खर्च किए।

आर्थिक

(क) सिचाई एव जल-विद्युत—राजस्थान के आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ होने का एक कारण यह भी है कि राज्य के वहुत वडे भाग मे सिचाई की व्यवस्था नही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद राजस्थान मे कई वडे-वडे वॉध और नहरे आदि वनाने की योजनाएँ वनाई गई है जिसमे राजस्थान की विजली और पानी की कमी पूरी की जा सके। इस सम्वन्ध मे चम्वल योजना, राजस्थान नहर योजना आदि का नाम विशेप रूप से लिया जा सकता है। यदि ये सव योजनाएँ पूरी हो जाए तो राजस्थान खाद्यान्न की दृष्टि से केवल आत्म-निभर ही नही हो जायगा वलिक यहाँ से खाद्यान्न दूसरे राज्यो मे भेजा भी जा सकेगा।

आर्थिक दृष्टि मे राजस्थान खेती पर ही निर्भर करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 70 प्रतिशत लोग खेती पर ही निर्भर करते है। राज्य के क्षेत्रफल का 88 प्रतिशत भू-भाग अभी केवल वर्पा पर ही निभर करता है। राजस्थान सरकार खेती को विशेप महत्त्व देती है। नहर और सिचाई योजनाओ के अलावा यन्त्रीकृत फार्म (मेकेनाइज्ड फाम) की भी स्थापना की गई है। सूरतगढ मे सोवियत सघ से सहायता के रूप मे प्राप्त मशीनो की सहायता से 30 हजार एकड का एक फाम खोला गया है।

(ख) कल-कारखाने—स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से कल-कारखानो और उद्योग-धन्धो को भी प्रोत्साहन देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। पूँजीपतियो को इस वात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे राजस्थान मे अपनी पूँजी लगाये। राजस्थान वित्त-निगम (राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन) मध्यवर्गीय और छोटे उद्योगो को आर्थिक सहायता भी देता है। छोटे-छोटे उद्योगो के लिए स्मार्ल स्केल सर्विस

इन्स्टीट्यूशन की स्थापना भी की गई है जहाँ पर छोटे उद्योगपतियो को वैज्ञानिक और दूसरी प्रकार की जानकारी दी जाती है। कुटीर-उद्योगो की भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

वैसे उद्योग की दृष्टि से राजस्थान पिछडा हुआ प्रान्त रहा है। क्योकि आवागमन के साधनो का पूर्ण विकास न होने के कारण यहाँ के पूँजीपति अपनी पूंजी दूसरी जगहो पर ही लगाते थे, फिर यहाँ पर पानी और सस्ती बिजली की भी कमी थी। इस समय राजस्थान मे प्राय 800 फैक्टरियाँ है जिनमे प्राय 55 हजार लोगो को रोजगार मिलता है। इनमे 125 फैक्टरियो को बडी फैक्टरियो की गिनती मे रखा जा सकता है। राज्य मे चीनी, कपडे और खनिज उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय उन्नति कर रहे है।

सरकारी सहायता के फलस्वरूप द्वितीय पचवर्षीय योजना मे प्राय 2,000 छोटे उद्योग-धन्धे चालू किये गये। उसमे से 640 इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, 62 नान-फैरस मेटल इण्डस्ट्रीज, 150 केमीकल इन्डस्ट्रीज और 1,100 से ऊपर साबुन, बालो के तेल आदि के कारखाने खोले गये है।

तृतीय पचवर्षीय योजना मे 260 86 लाख रुपया इन उद्योगो के विकास पर खर्च किया जायगा। इसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है —

	(लाख रुपयो मे)
हैण्डलूम और ऊन (हाथ कर्घा और ऊन)	22 41
ट्रेनिग, कर्ज, सहायता आदि	161 35
खादी और ग्रामोद्योग	10 00
एग्रीकल्चर	1·00
हैण्डीक्राफ्ट (हस्तकला)	6 50

(ग) सहकारिता—सन् 1953 मे राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट बना, जिसमे सारे राज्य मे सहकारिता के लिए एक-सा नियम बनाया गया। पिछले दस वर्षों मे सहकारी आन्दोलन ने राजस्थान मे

काफी तरक्की की है। क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) समितियाँ, सहकारी बैंक, औद्योगिक (इण्डस्ट्रीयल) सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार (कन्जूमर स्टोर्स) आदि सहकारिता के आधार पर खोले गये हैं। राजस्थान मे सहकारिता के आन्दोलन की सफलता का अदाज इससे लगाया जा सकता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना मे जबकि लक्ष्य केवल 6,000 सहकारी समितियो के निर्माण का था। राजस्थान के इस काल मे प्राय 7,000 सहकारी समितियो का निर्माण किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना मे 400 लाख रुपये सहकारिता पर खर्च करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सहकारिता के विकास के लिए कोआपरेटिव एक्सटेन्शन आफीसर पचायत समितियो मे भेजे गये है। सहकारिता के क्षेत्र मे प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से कोटा मे एक सस्था खोली गई है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की आवश्यकताओ को पूरा करती है। यह 1950 से काम कर रही है और अब तक प्राय 550 व्यक्ति यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राजस्थान राज्य के निर्माण का वर्णन करते हुए उसकी सामाजिक एव आर्थिक दशा का उल्लेख करिए।

अध्याय 7

राजस्थान राज्य की कार्यपालिका

राजस्थान राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल आते है। राज्य के वर्तमान राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द जी और वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाडिया है। सविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल मे निहित है, परन्तु कार्य रूप मे राज्यपाल सवैधानिक प्रधान से अधिक नही है। राज्यपाल की स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी केन्द्रीय प्रशासन से राष्ट्रपति की है। केवल एक ही अन्तर दोनो मे देखा जा सकता है और वह यह है कि जबकि राष्ट्रपति को ससद के दोनो सदन महाभियोग लगाकर हटा सकते है, राज्य की विधान सभा राज्यपाल को हटा नही सकती। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वह राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है।

शासन के सभी काम राज्यपाल के नाम से होते है, परन्तु शासन की समस्त शक्तियो का उपयोग मन्त्रिमण्डल करता है। जैसे यदि पूछा जाय तो मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी अपने अधिकारो का स्वय उपयोग न कर अपने नीचे के अधिकारियो को दे देते है। इसी तरह मन्त्रि-मण्डल के सदस्यो या राज्यपाल के नाम से अनेक कार्य होते हैं जिनका कि उन्हे पता भी नही रहता। यह ठीक उसी प्रकार की स्थिति है जिसके बारे मे लन्दन के किसी सम्राट ने कहा था कि बहुत से कामो को जो कि मैं करता हूँ मुझे तब पता चलता है जबकि मैं दूसरे दिन समाचार-पत्र पढता हूँ।

राज्यपाल

राज्य पुनर्गठन के पहले राजस्थान मे राज्यपाल का पद नही था। यहाँ पर राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और महाराजप्रमुख के पद थे। अब अन्य राज्यो की भाँति राजस्थान मे भी राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी है। वर्तमान राज्यपाल राजस्थान के दूसरे राज्यपाल है। पहले राज्यपाल श्री गुरुमुख निहालसिंह थे। राज्यपाल की योग्यताए, वेतन तथा भत्ते एव अधिकार आदि पर विस्तार से वर्णन राज्यो की सरकार वाले अध्याय मे कर दिया है।

राज्यपाल की स्थिति

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, परन्तु राज्य का प्रमुख शासक नही होता। वर्तमान सविधान मे उसकी स्थिति एक सवैधानिक प्रमुख से अधिक नही है। यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है फिर भी अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधान सभा के बहुमत दल के नेता से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता हो अन्यथा उसका राज्यपाल पद पर बना रहना सम्भव नही हो सकता। वैसे भी वर्तमान सविधान मे ऐसी शक्तियाँ जिनमे कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम करे, बहुत ही कम है। उसका कार्य मन्त्रिमण्डल की सलाह से होना चाहिए जो कि राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य विधान सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल अपना उत्तरदायित्व तभी निभा सकता है जबकि राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल सके। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय जबकि राज्य विधान सभा मे किसी एक दल का प्रत्यक्ष बहुमत न हो तो उस दशा मे राज्य-पाल कुछ अधिक शक्तिशाली बन सकता है। यदि सवैधानिक सकट की रिपोट राष्ट्रपति का भेजनी हो तो वह अपने स्वविवेक से ही काम करेगा।

राज्यपाल कभी भी एक स्वेच्छाचारी शासक नही बन सकता। शान्तिकाल मे उसे अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह से कार्य करना पडेगा

ओर यदि सकटकालीन अवस्था आ गई है तो उसे राष्ट्रपति और केन्द्रीय ससद की सलाह पर काम करना पडेगा।

मन्त्रिपरिपद् ही राज्य की वास्तविक कार्यकारिणी होती है। इसमे विधान सभा के बहुमत वाले राजनैतिक दल के सदस्य होते हैं। मन्त्रि-परिपद् का कोई निश्चित कार्यकाल नही होता, यह विधान सभा के प्रासाद काल पर्यन्त शासन का भार सभालती है। मन्त्रि-परिपद् को हम एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली समिति कह सकते हैं, जिसने कि विधान सभा के सारे अधिकारो को अपने हाथो मे ले लिया है और जो राज्य की सर्वोच्च प्रशासकीय सस्था बन गई है।

मन्त्रिमण्डल

मन्त्रिपरिपद् मे एक मुख्यमन्त्री व अन्य मन्त्री होते हैं। मन्त्रिमण्डल के सदस्यो की सख्या सविधान मे निर्धारित नही है, आवश्यकतानुसार मुख्यमन्त्री इसको घटा-बढा सकता है। तृतीय आम चुनाव के पश्चात् सभी राज्यो के मन्त्रिमण्डलो की सख्या मे बढने की प्रवृत्ति देखी गई थी। मन्त्रियो के अतिरिक्त उपमन्त्री भी होते हैं, जो कि मन्त्रियो की सहायता करते हैं। उपमन्त्री मन्त्रिपरिपद् के सदस्य तो होते है, परन्तु मन्त्रिमण्डल या केबिनेट के सदस्य नही होते। साधारणतया उन्हे मन्त्रिमण्डल की बैठको मे भाग लेने का अधिकार भी नही होता, परन्तु उन्हे विशेष रूप से आमन्त्रित अवश्य किया जा सकता है। राजस्थान मे आजकल मन्त्रि-परिपद् के निम्नलिखित सदस्य हैं —

मन्त्रि-गरण	विभाग
श्री मोहनलाल सुखाडिया	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, राजनैतिक नियुक्तियाँ, राजस्व, अकाल, सहायता और पुनर्वास (कोलोनाइजेशन) सहित, सहकारिता, खनिज एव खनिज सम्बन्धी उद्योग, योजना, गृह-निर्माण (हाउसिंग) एव सास्यिकी (स्टेटिस्टिक्स)।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय	शिक्षा, देवस्थान, खादी एव ग्रामोद्योग, पूर्ति-विभाग (सिविल सप्लाइज) और उद्योग (वृहद्-उद्योग एव खनिज सम्बन्धी उद्योगो को छोडकर)।
श्री मथुरादास माथुर	नियोजन, कानून, न्याय, विधान सभा, चुनाव एव प्रचार।
श्री नाथूराम मिर्धा	कृषि, पशु-पालन, वृहद् सिचाई योजनाएँ स्टेट उद्योग, खनिज उद्योग, एव खाद्य।
श्री हरिश्चन्द्र	जन-कार्य (पब्लिक वर्क्स), ट्रान्सपोर्ट, वृहद् उद्योग (यातायात), शक्ति (पावर), छापेखाने (प्रिंटिंग प्रेसेज)।
श्री बालकृष्ण कौल	वित्त, एक्साइज एव टैक्सेशन।
श्री भीखा भाई	सिचाई (वृहद् सिचाई योजनाओ को छोड कर), वन, लेबर, आयुर्वेद, समाज कल्याण, रिलीफ एव पुनर्वास, पचायतराज।
श्री बरकतुल्ला खाँ	चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एव लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट (स्वायत्त-शासन) और नगर निर्माण (टाउन प्लानिंग)।
	उपमन्त्री
श्री दौलतराम सारण	वृहद् सिचाई, स्वायत्त शासन और आयुर्वेद।
श्रीमती कमला बेनीवाल	योजना और विकास, कृषि और पशु-पालन अकाल-सहायता (फैमाइन-रिलीफ), तथा सरकारी उद्योग (स्टेट-एन्टरप्राइज)।
श्रीमती प्रभा मिश्रा	चिकित्सा, समाज-कल्याण, लॉ, जन-स्वास्थ्य।
श्री परसराम मदेरणा	सामान्य-प्रशासन, सहायता एव पुनर्वास

	(रिलीफ एव रिहेविलिटेशन), शक्ति (पावर) न्याय एव गृह-निर्माण ।
श्री रामप्रसाद लड्ढा	राजस्व, खान एव देवस्थान ।
श्री चन्दनमल वैद्य	शक्ति, नागरिक पूर्ति और उद्योग ।
श्री दिनेशराज डागी	माध्यमिक एव लघु सिचाई योजनाएँ खादी एव ग्रामोद्योग तथा लघु वचत ।
श्री निरजननाथ आचार्य	गृह, शिक्षा, वन एक्साइज एव टेक्सेशन ।
श्री भीमसिंह	गृह, यातायात एव सहकारिता ।

नियुक्ति—राज्यपाल पहले मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है । मुख्य मन्त्री की सलाह से मन्त्रियो एव उपमन्त्रियो की नियुक्तियाँ होती । राज्यपाल उसी को मुख्यमन्त्री नियुक्त करेगा जो कि विधान-मण्डल वहुमत दल का नेता होगा। अत जब तक कि ऐसी स्थिति नही हो ज है कि किसी भी दल का प्रत्यक्ष वहुमत न हो, राज्यपाल को मुख्यम या मन्त्रिमण्डल के सदस्यो के चुनाव मे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डा का अवसर नही मिलेगा । राज्यपाल की सिफारिश पर कोई व्य मन्त्रिमण्डल मे लिया जा सकता है या किसी व्यक्ति का नाम सद सूची से हटाया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने की जिम्मेदारी मुख्यम पर रहेगी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य कौन होगे इसका अन्तिम नि मुख्यमन्त्री को करना है न कि राज्यपाल को । नियुक्ति की आज्ञायें राज्य के नाम से प्रकाशित होती है और राजकीय गजट मे प्रकाशित की ज है। प्रत्येक मन्त्री और उपमन्त्री को पद ग्रहण करने के पूर्व सविा के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई जाती है ।

मुख्यमन्त्री की राय से राज्यपाल कार्य-विभाजन करता है। विभाग का अध्यक्ष एक मन्त्री होता है, यदि विभाग बडा हो तो म की सहायता के लिए उपमन्त्री आदि भी नियुक्त कर दिये जाते

दिए जाते हैं । उपमन्त्री स्वतन्त्र रूप से विभागो के अध्यक्ष नही वनाये जाते हैं, वे सदैव किमी न किसी के अधीन कार्य करते हैं ।

योग्यताएँ—मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के लिए विधान-मण्डल का सदस्य होना आवश्यक है । परन्तु ऐसा व्यक्ति भी अस्थाई रूप मे मन्त्री वनाया जा सकता है जो कि विधान सभा का सदम्य नही है । ऐसे व्यक्ति के लिए सविधान मे यह निर्देश है कि उसे 6 महीने के अन्दर विधान सभा का सदस्य चुन लिया जाना चाहिए । यदि ऐमा नही हो सकना तो उमे त्यागपत्र देना पडता हे । साधारणतया यह होता है कि पहले उसे मन्त्री वना लिया जाता है और उसके वाद दल का कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है और उस चुनाव-क्षेत्र से चुनाव मे ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है ।

वेतन एव भत्त—मन्त्रियो के वेतन एव भत्ते समय-समय पर विधान सभा द्वारा तय किये जाते हैं और विधान सभा उन्हे जव भी चाहे वदल सकती है । राजस्थान मे निम्नलिखित दर से इम समय वेतन दिया जाता है —

(1) मुख्य मन्त्री	1000 रु० प्रतिमाह तथा
	500 रु० ,, भत्ता
(2) अन्य मन्त्री	1000 रु० ,,
(3) उपमन्त्री	800 रु० ,,

इसके अतिरिक्त मन्त्रियो को विना किराये का निवास स्थान तथा सवारी भी राज्य की ओर से दी जाती है । यदि कोई मन्त्री राजकीय वँगले मे नही रहता है तो उसे इसके वदले मे 250 रु० प्रतिमाह का भत्ता और दिया जाता है । इसी प्रकार यदि कोई मन्त्री राजकीय सवारी का उपयोग नही करता है तो उसे 250 रु० प्रतिमाह का भत्ता दिया जाता है । इसके अतिरिक्त मन्त्रियो को दौरे आदि करने के लिए भत्ते दिये जाते हैं ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 अपने राज्य की कार्यपालिका पर एक निबन्ध लिखिए ।

अध्याय 8

राज्यस्तरीय प्रशासन

मन्त्रियो के लिए यह सम्भव नही है कि वे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य-भार सँभाल सके। इस कारण प्रशासन के विभिन्न विषयो के लिए सचिव होते है। इसी 'सचिव' शब्द से सचिवालय शब्द बना है। हर राज्य मे प्रशासन के लिए एक सचिवालय होता है जिसमे अलग-अलग विषयो के लिए या कुछ विषयो के समूह के लिए विभाग होते है। सारा सरकारी काम इसी सचिवालय मे होता है। प्रत्येक विभाग अपने-अपने विषयो के लिए नीति निर्धारित करता है और इन नीतियो को कार्यरूप मे परिणत करवाता है। अपने-अपने विषयो मे प्रगति की जिम्मेदारी इन विभागो की होती है। वास्तव मे कार्यरूप मे परिणत करने का काम डायरेक्टर और इसके अधीनस्थ अधिकारियो का होता है। उदाहरण के लिए पुलिस विभाग लीजिए। सचिवालय के स्तर पर गृह-विभाग मे पुलिस की नीति आदि निर्धारित की जाती है। इन नीतियो को कार्यरूप मे परिणत करने का काम इन्सपैक्टर जनरल ऑफ पुलिस का है। शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ शिक्षा मन्त्रालय के सचिवालय मे निर्धारित की जाती है। कार्यरूप मे परिणत करने का काम राज्य के डायरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन का है।

विभागो की व्यवस्था

प्रत्येक विभाग का प्रधान एक सचिव होता है। सचिव का यह उत्तरदायित्व होता है कि उसके अधीन विभाग की व्यवस्था सुचारु रूप से चले व कार्य की गति व कुशलता उचित हो। एक विभाग के लिए सचिव ही मन्त्री का प्रमुख सलाहकार होता है।

सचिव की सहायता के लिए उप-सचिव और सहायक-सचिव भी होते है। सहायक-सचिव उप-सचिव से छोटा होता है। साधारणतया उप-सचिव व सहायक-सचिव एक विभाग मे एक से अधिक होते ह। जैस किसी विभाग मे एक सचिव, दो उप-सचिव और तीन सहायक-सचिव हो सकते हैं। इन उप-सचिवो को कुछ भिन्न-भिन्न विषय साप दिये जाते ह, जिससे सचिव पर अधिक बोझ न पडे। इतना होने पर भी सारे विभाग के काम की जिम्मेदारी सचिव पर ही होती है। जब विषय बहुत महत्त्वपूर्ण हो और नीति से सम्बन्धित हो तो सचिव को मन्त्री के पास तक जाना पडता है। कभी-कभी उप-सचिवो को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वे सीधे ही मन्त्री से परामर्श कर सकते ह और सचिव को बीच मे छोड सकते ह। यह काम मे शीघ्रता लाने के लिए किया जाता हे। परन्तु इस रीति से कोई हानि नही होती क्योकि सचिव जब भी चाहे इस प्रकार के विषयो के बारे मे उप-सचिव से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से एक विभाग मे इन तीन प्रकार के अधिकारियो द्वारा कार्य चलता हे।

परन्तु यह बात ध्यान मे रखने की है कि एक विभाग मे दिन मे सैकडो पत्र आते ह व सब भिन्न-भिन्न समस्याओ को लिये होते ह। इन पत्रो के ऊपर विभाग मे ही निर्णय लिये जाते ह। इसके अतिरिक्त सरकारी काम इतना अधिक फैला हुआ होता ह कि केवल सचिव, उप-सचिव, और सहायक-सचिव ही वह सब कुछ नही कर सकते। इन सब की सहायता के लिए कई कर्मचारी होत ह जो कि सारे दफ्तर का काम करते ह, जैसे चिट्ठियो को रजिस्टर मे चढाना, उनको फाइल करना, उनके जवाबो को टाइप करना, उनको भेजना आदि-आदि। यह सब कर्मचारी अपने अधिकारियो के आदेशो के अनुसार ही कार्य करते हैं। एक विभाग मे बहुत-से ऐसे कमचारी होते ह और एक सचिवालय मे तो यह हजारो की सख्या मे पाये जात हैं।

प्रत्येक विभाग कुछ खण्डो (Sections) मे बटा हुआ होता है।

प्रत्येक खण्ड अलग-अलग विषयो के लिए होते है। इस प्रकार से विभाग के सारे काम को अलग-अलग खण्डो मे बाँट देने से काम अच्छी तरह हो जाता है, और कुशलता बढ जाती है। प्रत्येक खण्ड एक खण्ड-अधिकारी के नीचे होता है। एक खण्ड मे कई कर्मचारी होते हैं। मुख्यत यह दो प्रकार के होते है। एक तो अधिक योग्यता व ऊँचे पद वाले बाबू या क्लर्क और एक कम ऊँचे पद व योग्यता वाले बाबू। ऊँचे पद वाले उच्च स्तरीय कर्मचारियो को नीचे पद वाले या निम्न स्तरीय कर्मचारियो से अधिक वेतन मिलता है। एक विभाग मे साधारणतया पाँच उच्च स्तरीय कर्मचारी होते है। जिन विभागो मे पाँच से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी होते है वहाँ एक अतिरिक्त कर्मचारी भी होता है जो खण्ड-अधिकारी के नीचे होता है और क्लर्कों से ऊपर। इसको 'सहायक' कहते हैं।

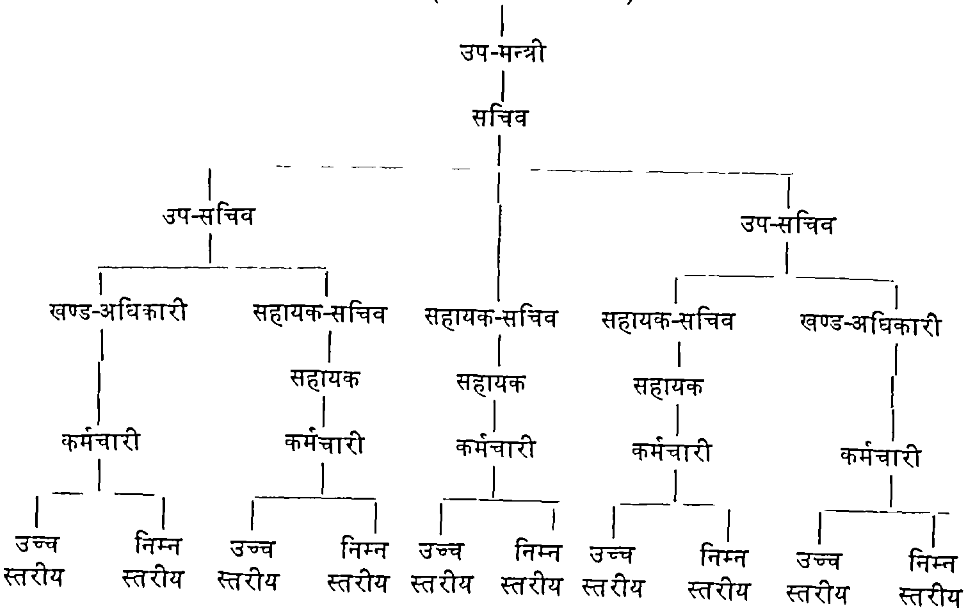
कार्य की गति शीघ्र करने के लिए एक खण्ड मे भी आजकल कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। प्रत्येक खण्ड को भी दो भागो मे बाँट दिया जाता है। एक भाग तो खण्ड-अधिकारी सँभालता है और एक सहायक-सचिव। काम बँट जाने से वह अधिक सरल हो जाता है।

यह ध्यान रखने की बात है कि पहले प्रत्येक पत्र नीचे के एक कर्मचारी से लेकर ऊपर सचिव तक जाता था, तब कही जाकर उस पर फैसला किया जाता था। आजकल यह प्रयत्न किया जाता है कि कोई भी पत्र अधिक से अधिक तीन हाथो से गुजरे और उस पर अधिक व्यक्तियो का समय नष्ट हुए बिना निर्णय ले लिया जाय।

राजस्थान मे सरकारी विभाग

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब राज्यो का अपना-अपना प्रशासन हुआ तब से शासन सम्बन्धी समस्याएँ बढती जा रही है। इस समय राजस्थान मे निम्नलिखित प्रमुख-प्रमुख विभाग है। सक्षेप मे उनके कार्यों का वर्णन इस प्रकार है —

एक विभाग की व्यवस्था



(1) **गृह विभाग**—यह राज्य का सबसे प्रमुख विभाग है। इसका कार्य राज्य मे शान्ति, न्याय एव व्यवस्था रखने का होता है। इसके अन्तर्गत कई मुख्य विषय आते है जैसे पुलिस का प्रशासन, हथियारो पर प्रतिबन्ध, मोटर यातायात, जेलें, छापेखाने, जन-सम्पर्क, सरकारी प्रकाशन, विदेशो मे जाने के लिए पासपोर्ट, राज्य की सुरक्षा आदि।

(2) **वित्त विभाग**—सारा प्रशासन धन से चलता है, इस कारण इस विभाग का बहुत महत्व है। इसके प्रमुख कार्यों मे राज्य का बजट बनाना, खर्चों का निर्णय करना, धन प्राप्ति के साधन जुटाना, कर लगाना, मुद्रा का प्रशासन करना, सरकारी खातो का बनवाना, पैसो को उधार लेने या देने सम्बन्धी बाते, सरकारी खजानो का प्रबन्ध, सरकारी बीमा व अन्य सरकारी विभागो को आर्थिक अधिकार देना आदि है।

(3) **सामान्य प्रशासन विभाग**—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस विभाग के सारे कर्तव्य प्रशासन की सामान्य समस्याओ से सम्बन्धित होते है, जैसे सरकारी काम के नियम बनाना, विभिन्न विभागो को काम करने का स्थान देना, उनके लिए भवन बनवाना, सरकारी अधिकारियो के घरो का प्रबन्ध करना, दफ्तरो मे बिजली का इन्तजाम करना, छुट्टियो के बारे मे निर्णय देना, सरकारी पुस्तकालयो का प्रबन्ध करना, जनगणना सम्बन्धी काम करने मे केन्द्र को सहायता देना आदि।

(4) **नियुक्ति विभाग**—राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियो की नियुक्ति, उनकी प्रशिक्षा (Training), उनकी तरक्की, उनमे अनुशासन आदि बातें इस विभाग के अन्तर्गत आती है। नियुक्ति के लिए यह अलग-अलग परीक्षाएँ करवाता है और अन्य नियम निर्धारित करता है। सारे सचिवालय मे काम करने वाले व्यक्तियो की भी नौकरी सम्बन्धी बातें इसी विभाग द्वारा निर्धारित होती है। जिला परिषदो और पचायत समितियो मे नियुक्तियो के लिए 'चयन आयोग' और राजस्थान का जन-सेवा आयोग जो व्यक्तियो को परीक्षाओ के द्वारा छाँटते हैं, इसी विभाग के आधीन होते हैं।

(5) **शिक्षा विभाग**—इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य मे शिक्षा की सभी समस्याओ को हल करना, शिक्षण-सस्थाओ एव विश्वविद्यालयो का प्रशासन, प्रौढ शिक्षा, कला सस्थाएँ, सैनिक शिक्षा एव यान्त्रिक प्रशिक्षा का प्रवन्ध आदि हैं। समस्त प्राथमिक पाठशालाएँ, माध्यमिक एव उच्च स्तरीय शिक्षण सस्थाएँ जिनमे सभी कालेज शामिल है, इसी विभाग की देखरेख मे काम करती है।

(6) **योजना विभाग**—भारत मे चूंकि समस्त आर्थिक विकास योजनावद्ध होता है व प्रत्येक राज्य मे भी अपनी वार्षिक एव पचवर्षीय योजनाएँ होती है, इसलिए योजना विभाग का महत्व काफी वढ गया है। इस विभाग का प्रमुख काय सारे राज्य के लिए योजना वनाना व उसको काय रूप मे वदलना होता है। इसी का कर्तव्य है कि यह देखे कि राज्य मे विभिन्न सावनो से कितना घन जुट सकता है, केन्द्र से कितना पैसा मिल सकता है व इस समस्त घन का उपयोग, उद्योग, कृषि, समाज सेवाओ, यातायात आदि मे किस प्रकार किया जाय जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक सुदृढ हो सके। इस विभाग को सचिवालय व वाहर के सभी विभागो मे सम्पर्क स्थापित करना पडता है व उनकी अपनी योजनाओ को मिलाकर राज्य स्तरीय योजना वनानी पडती है। इसका सम्वन्ध केन्द्र के योजना आयोग से वहुत निकट का है क्योकि समस्त राज्यो के योजना विभागो को योजना की नीति का पालन करना पडता है।

(7) **उद्योग एव खनिज विभाग**—इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य मे व्यापार एव वाणिज्य पर नियन्त्रण रखना, उद्योगो की वस्तुओ का उत्पादन एव वितरण, लघु कुटीर, ग्राम सहकारी उद्योग का प्रशासन, उद्योगो के विकास एव योजना का प्रवन्ध, फैक्टरियो को परमिट देना, राज्य की खानो, तेल और खनिजो पर नियन्त्रण, नमक उत्पादन, तोल और माप, भूगर्भ अन्वेषण, औद्योगिक आविष्कार एव ट्रेड मार्क आदि

है। राज्य मे औद्योगिक प्रगति एव खनिजो मे उन्नति का उत्तरदायित्व इमी पर है।

(8) राजस्व विभाग—इस विभाग के अधीन प्रमुख विपय भूमि का प्रवन्ध है। जमीन पर अधिकार, जमीन के मालिक व किरायेदारो के बीच का सम्वन्ध, कृपि योग्य भूमि का वेचना, कृपि ऋण, जागीरें, पट्टे, भूमि के लगान का निर्धारण व उसका इकट्ठा करना, वाढ और अकाल सहायता, राजस्व वोर्ड का प्रशासन आदि अन्य प्रमुख विपय भी इमी के अन्तर्गत प्रशामित होने है।

(9) वन-विभाग—इम विभाग का प्रमुख काम राज्य के वनो की सुरक्षा, उनका काटना, शिकार की जगहो का प्रवन्ध, जगली जानवरो को मुरक्षित रखना, वेकार व खतरनाक जगली जानवरो को मारने पर इनाम देना आदि मुख्य है।

(10) कर एव आवकारी विभाग—इस विभाग के प्रमुख कार्य नशीली वस्तुओं के उत्पादन एव वितरण पर प्रतिवन्ध, उनके वाहर आने-जाने पर नियन्त्रण, कोर्ट फी व अन्य टिकटो की दर निर्धारित करना, मकानो, धन्धो, व्यापारो, नौकरियो, जानवरो, सडको व नहरो द्वारा आने-जाने वाले समान, मनोरजन, जुआ, सट्टा, विक्री, कृपि-आय आदि पर कर लगाना व उमसे सम्वन्धित प्रशासनिक समस्याओ को हल करना है।

(11) कृषि-विभाग—इस विभाग मे कृपि से सम्वन्धित सभी विपय आ जाते है जैसे कृपि की शिक्षा, खोज, पौधो का सरक्षण, कृपि पदार्थो की विक्री, मछली उद्योग, घी, फल, अण्डे, मांस, सब्जियो का उत्पादन व वितरण, भूमि का कटाव, अधिक अन्न एव सब्जी उपजाओ आन्दोलन, जमीन को अधिक उपजाऊ वनाना, भेड एव ऊन उद्योग आदि।

(12) नागरिक पूर्ति (Supplies) विभाग—इस विभाग का प्रमुख काम गुड, तेल व तिलहन की कीमतो, उनका वितरण, उनके राज्य के विभिन्न भागो मे आने-जाने आदि विपयो पर नियन्त्रण रखना है।

खाद्यान्न इसी विभाग के अन्तर्गत एक अलग विभाग है जिसका काम खाद्यान्नो एव चीनी की कीमतो, राशनिग, वितरण आदि समस्याओ को सुलझाना हे ।

(13) **स्वायत्त शासन विभाग**—इस विभाग के अधीन ही समस्त नगरपालिकाओ, जिला बोर्डो, इम्प्रवमेट ट्रस्ट, एव अन्य स्वायत्त शासन सस्थाओ का प्रवन्ध एव नियन्त्रण होता हे । एक स्थानीय क्षेत्र मे विक्री अथवा उपभोग के लिए आने वाली वस्तुओ पर कर लगाना, श्मशान गृहो का प्रवन्ध करना, नगर निगमो अथवा ग्राम पचायनो के बाजारो का प्रवन्ध, ग्रामो मे पीने के पानी का प्रवन्ध, निम्न व मध्य वर्ग के मकानो का निर्माण, सफाई आदि काम इसी विभाग के अन्तर्गत ह ।

(14) **चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विभाग**—राज्य के समस्त अस्पतालो, यूनानी व आयुर्वेदिक औपधालयो, पागलखानो का प्रवन्ध इसी विभाग के अधीन होता हे । स्वास्थ्य एव चिकित्सा सेवाओ मे लगे व्यक्तियो की जरूरते पूरी करना, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का प्रवन्ध करना, शिक्षण-सस्थाओ मे स्वास्थ्य की जाच करना, भोजन, दूध व दूध से वने पदार्थो मे मिलावट को रोकना, जन्म व मृत्यु के सम्वन्ध मे आकडे इकट्ठे करना, एव 'रेड क्रास' के कार्यो पर नियन्त्रण रखना आदि कुछ अन्य प्रमुख विपय ह जो इस विभाग के क्षेत्र मे आते ह ।

(15) **जन-निर्माण विभाग**—राज्य की भूमि एव भवन का प्रवन्ध, सडको, पुलो, आन्तरिक जल यातायात, नगरो मे जल का प्रवन्ध, सरकारी वाग आदि कार्य इस विभाग के अधीन आते है ।

(16) **श्रम विभाग**—सरकारी अथवा व्यक्तिगत उद्योगो, व्यापारो अथवा सेवा मे लगे सभी कर्मचारियो की समस्याए इसी विभाग के अन्तर्गत आती है । मजदूरो की भलाई की योजनाएँ, उनके काम करने के घण्टे व स्थान, काम करते समय शारीरिक चोट लगने अथवा मृत्यु होने पर हर्जाना, औरतो व बच्चो से काम कराना, वृद्धो

को पेंशन देना, खानो मे सुरक्षा का वातावरण करवाना, मजदूरो को उनके काम के लिए प्रशिक्षा देना, समाज कल्याण, सामाजिक वीमा, मजदूरो के सगठन, औद्योगिक झगडे, वेतन का भुगतान आदि प्रमुख विपय इसी विभाग के अन्तर्गत हे।

(17) चुनाव विभाग—इस विभाग का काम राज्य विधान सभा व लोक सभा के लिए राजस्थान से चुनावो का प्रवन्ध करना है।

(18) शक्ति विभाग—विद्युत, जल विद्युत एव इन्जीनियरिग मे खोज इस विभाग के अधीन आने वाले विपय है।

(19) सहकारिता विभाग—ग्राम निर्माण एव सहकारी सस्थाओ का प्रवन्ध इस विभाग की जिम्मेदारी है। राज्य मे सहकारिता आन्दोलन इसी आधार पर आगे वढता है।

(20) सहायता एव पुनर्वास विभाग (Relief and Rehabilitation Department)—इस विभाग का कार्य पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियो को आर्थिक रूप से सहायता देना, उनके लिए मकान वनवाने के लिए ऋण देना आदि है। ज्यो ही शरणार्थियो की समस्या हल हो जायगी, इस विभाग का वन्द कर दिया जायेगा।

(21) न्याय विभाग—राज्य मे न्याय का प्रशासन, न्यायालयो की व्यवस्था, कोर्ट फीस, सव प्रकार के कानून वनवाना व उनको कार्य रूप मे परिणत करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है।

इसी विभाग की दूसरी शाखा कानून विभाग है जिसका कार्य विधान सभा के सामने कानून वनाने के लिए विल तैयार करना, राजस्थान विधान सभा की व्यवस्था करना, समस्त कानूनो को समय-समय पर सशोधित करना व राजस्थान के गजपत्र (Gazette) मे समस्त कानूनो को छपवाना है।

(22) विधि वोधक कार्यालय एव विधि विभाग (Legal Remembrancer's Office and Legal Affairs Department)—इस

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागो द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलो की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य है।

(23) **पशु-पालन एव समाज कल्याण विभाग**—पशुओ की नस्ल को उन्नत करना, जानवरो की सुरक्षा, पशु रोगो की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (Dairies) का प्रशासन एव समाज-सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रो की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय है।

(24) **पचायत एव विकास विभाग**—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एव अन्य विकास योजनाओ को सगठित करना, पचायतो की समस्याओ का हल, उनका प्रशासन एव अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर नियन्त्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय है।

(25) **राजस्थान नहर योजना विभाग**—पजाब व राजस्थान मे आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो मे आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-सन्धि का प्रशासन एव राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) **मन्त्रि-परिषद् सचिवालय (Cabinet Secretariate)**—राजस्थान सचिवालय मे इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग मे सरकारी कार्यो मे अधिक सगठन एव कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की समस्त सभाएँ, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यो व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन से सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियो की नियुक्ति सम्बन्धी बाते, क्षेत्रीय परिषदो की प्रशासन सम्बन्धी बातें, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियो एव मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसख्या, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बातो के बारे मे आकडे इकट्ठे करना,

मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर बातो के बारे मे जानकारी देना, दफ्तर के काम मे सगठन एव व्यवस्था (Organisation and Methods) का प्रबन्ध करना जिससे काम शीघ्र हो सके, सरकारी रिपोर्टों को तैयार करना तथा अन्य अधिकारियो की रिपोर्टों का अध्ययन करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। प्रशासन की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राज्य के प्रशासन मे विभागो की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।

2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय सरकारी विभागो का वर्णन करिए।

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागो द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलो की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य है।

(23) **पशु-पालन एव समाज कल्याण विभाग**—पशुओ की नस्ल को उन्नत करना, जानवरो की सुरक्षा, पशु रोगो की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (Dairies) का प्रशासन एव समाज-सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रो की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय है।

(24) **पचायत एव विकास विभाग**—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एव अन्य विकास योजनाओ को सगठित करना, पचायतो की समस्याओ का हल, उनका प्रशासन एव अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर नियत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय है।

(25) **राजस्थान नहर योजना विभाग**—पजाव व राजस्थान मे आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो मे आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-सन्धि का प्रशासन एव राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) **मन्त्रि-परिषद् सचिवालय** (Cabinet Secretariate)—राजस्थान सचिवालय मे इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग मे सरकारी कार्यो मे अधिक सगठन एव कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की समस्त सभाएँ, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यो व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन से सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियो की नियुक्ति सम्बन्धी बातें, क्षेत्रीय परिषदो की प्रशासन सम्बन्धी बाते, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियो एव मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसख्या, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बातो के बारे मे आकडे इकट्ठे करना,

मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर बातों के बारे में जानकारी देना, दफ्तर के काम में संगठन एवं व्यवस्था (Organisation and Methods) का प्रबन्ध करना जिससे काम शीघ्र हो सके, सरकारी रिपोर्टों को तैयार करना तथा अन्य अधिकारियों की रिपोर्टों का अध्ययन करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। प्रशासन की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 राज्य के प्रशासन में विभागों की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।

2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय सरकारी विभागों का वर्णन करिए।

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमो का लडना, विभिन्न विभागो द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलो की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(23) **पशु-पालन एव समाज कल्याण विभाग**—पशुओ की नस्ल को उन्नत करना, जानवरो की सुरक्षा, पशु रोगो की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (Dairies) का प्रशासन एव समाज-सेवाएँ जिनमे पिछडी जातियो व उनके क्षेत्रो की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय है।

(24) **पचायत एव विकास विभाग**—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एव अन्य विकास योजनाओ को सगठित करना, पचायतो की समस्याओ का हल, उनका प्रशासन एव अन्य स्थानीय विकास कार्यो पर नियत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं।

(25) **राजस्थान नहर योजना विभाग**—पजाव व राजस्थान मे आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रो मे आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-सधि का प्रशासन एव राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) **मन्त्रि-परिषद् सचिवालय** (Cabinet Secretariate)—राजस्थान सचिवालय मे इस विभाग का वहुत महत्व है। इस विभाग मे सरकारी कार्यो मे अधिक सगठन एव कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की समस्त सभाएँ, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यो व केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन से सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियो की नियुक्ति सम्बन्धी बातें, क्षेत्रीय परिषदो की प्रशासन सम्बन्धी बातें, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियो एव मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसख्या, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बातो के बारे मे आकडे इकट्ठे करना,

खण्ड (Sub-division) तहसीलो मे विभाजित है। प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत कई गांव शामिल हैं।

जिले के अधिकारीगण

प्रत्येक जिले मे एक उच्च अधिकारी होता है, जिसे जिलाधीश अथवा कलक्टर कहते हैं। उप-खण्डो मे सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलो मे तहसीलदार होते है। यद्यपि राजस्थान मे खण्ड-व्यवस्था को कायम रखा गया है लेकिन खण्ड-कमिश्नर (Divisional Commissioner) के पद को समाप्त कर दिया गया है। कलक्टर ही जिले का सबसे बडा अधिकारी होता है। उसका राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध होता है।

जिले का सबसे बडा अफसर होने के नाते यह कलक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह जिले मे प्रशासन की सभी शाखाओ का काम सुचारु रूप से चलाये। राजस्थान मे साधारणत अखिल भारतीय प्रशासन सेवा (I A S) के व्यक्ति कलक्टर नियुक्त किये जाते है। कलक्टर का मुख्य काम भूमि-कर सम्बन्धी झगडो के निबटारे से सम्बन्धित है। वह जिले मे शान्ति स्थापित रखता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। इसके अतिरिक्त कलक्टर को विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम भी करना पडता है और लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् वह पचायती राज सस्थाओ के लिए मित्र, दार्शनिक एव पथ-प्रदर्शक सभी कुछ है।

कलक्टर (जिलाधीश) जिला स्तर पर होने वाले सभी सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर नियुक्त अन्य अधिकारियो के बीच तालमेल रखना जिलाधीश का ही काम है। उसे जिला स्तर पर होने वाले कार्य, और कार्य करने वाले सभी पदाधिकारियो के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है। वह

इन अधिकारियो से निकट का सम्बन्ध स्थापित रखता है ताकि जिले का सम्पूर्ण प्रशासन एकबद्ध, सुचारु रूप से चल सके ।

जिले के अन्य अधिकारी

जिलाधीश के अतिरिक्त जिले के अन्य मुख्य अधिकारियो मे, सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑव पुलिस, जिले का मुख्य न्यायाधीश (District and Session Judge), मुख्य चिकित्सक (Civil Surgeon), एक्जीक्यूटिव इजीनियर तथा इस्पेक्टर आव स्कूल होते है । पुलिस का मुख्य अधिकारी सुपरिण्टेण्डेण्ट ऑव पुलिस है जो जिलाधीश के साथ कार्य करते हुए जिले मे कानूनी व्यवस्था एव शान्ति स्थापित रखने मे योग देता है । मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के अन्तर्गत कार्य करता है । मुख्य चिकित्सक के अधिकार मे जिले के सारे चिकित्सालय एव डिस्पेंसरीज होती हैं । जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसके लिए उचित व्यवस्था बनाये रखना मुख्य चिकित्सक का ही कार्य है । एक्जीक्यूटिव इजीनियर जिले मे निर्माण कार्य की देख-रेख करता है और जिला स्तर पर जन-निर्माण विभाग का कार्य सम्पादन करता है । डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर ऑव स्कूल के अन्तर्गत जिले मे स्थित सभी प्राइमरी स्कूल एव मिडिल स्कूल आ जाते हैं । इन स्कूलो का उचित प्रबन्ध बनाये रखना तथा शिक्षा प्रदान करने की इन सस्थाओ मे व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को कायम रखना इसी का काम है ।

उपरोक्त उच्च अधिकारियो के अतिरिक्त जिले मे और भी कुछ अधिकारी-गण होते हैं जैसे जिला आंकड़ा अधिकारी, खाद्य अधिकारी, उप-जिला विकास अधिकारी आदि । खण्ड विकास योजनाओ के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप बहुत से नये पदो का निर्माण किया गया है, जैसे विकास अधिकारी तथा उसके अन्तर्गत अन्य सहायक अधिकारी आदि । पचायती राज्य व्यवस्था कायम हो जाने के बाद बहुत-से गैर-सरकारी पदो का निर्माण भी हुआ । जिले के स्तर पर जिला परिषद् का निर्माण

हुआ, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। इन सस्थाओ का विस्तृत वर्णन राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत किया गया है। यहां यह कहना ही पर्याप्त होगा कि कलक्टर के हाथो मे सम्पूर्ण जिले का प्रशासन है। ये गैर-सरकारी पदाधिकारी भी जिले के कार्यो मे महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं।

कलक्टर के पद का मूल्यांकन

ब्रिटिश शासन काल मे कलक्टर राज्य-सत्ता का प्रतीक था और जिले के मुख्य अधिकारी के रूप मे वह जनता की दृष्टि मे 'मान्य' सरकार का एक अग होने के कारण डर से उत्पन्न श्रद्धा का पात्र बन गया था। जिले मे उसका प्रभाव अतुलनीय था। राज्य की सरकार के लिए जिलाधीश 'आंख और कान' की तरह था। राज्य की सरकार जिला स्तर पर जिलाधीश की मन्त्रणा से कार्य करती थी। अब जनतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना के पश्चात् जिलाधीश के पद के प्रति डर से उत्पन्न श्रद्धा का भाव प्राय नष्ट सा हो गया है। अब वह सत्ता का केवल यन्त्र न होकर विकास और साधारण जनता के हित मे अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का एक साधन बनता जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशासन की सम्पूर्ण कार्य-विधि मे एक आधारभूत परिवर्तन आ गया है। जिलाधीश, प्रमुख तथा जिले के अन्य अधिकारी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करते हुए जिला प्रशासन के इतिहास मे एक नये अध्याय की रचना कर रहे हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. जिले के प्रशासन से तुम क्या समझते हो ? जिले की शासन व्यवस्था मे कलक्टर का क्या स्थान है ?

अध्याय 10

स्थानीय प्रशासन

स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था भारत के लिए नई नही है। राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन का वर्णन करने से पहिले हमे यह जानना आवश्यक है कि यह व्यवस्था सम्पूर्ण भारत मे किस प्रकार प्रारम्भ हुई, और अब यह किस अवस्था मे पहुँच चुकी है। कहने की आवश्यकता नही कि राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसी प्रकार पनपी है जैसे कि भारत के अन्य भागो मे विशेष कर देहातो मे। पचायत प्रथा सारे भारत की तरह राजस्थान मे भी पाई जाती थी। राज्य केवल सुरक्षा और मालगुजारी वसूल करने के कार्य तक सीमित रहता था। स्थानीय शासन साधारणत स्थानीय सस्थाओ की जिम्मेदारी थी। परन्तु जमीदारी प्रथा के प्रचलन के पश्चात् विशेषकर केन्द्रित शासन व्यवस्था के पनपने के फलस्वरूप स्वशासन पिछले दो सौ वर्षो मे प्राय नष्ट हो चला था। विशेपकर इसका प्रभाव ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर पडा था।

स्थानीय स्वशासन सस्थाओ का पुन पनपना शहरो और नगरो मे आरम्भ हुआ। आरम्भ मे इन सस्थाओ का गठन सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियो द्वारा होता था। तत्पश्चात कुछ सदस्य भी चुने जाने लगे, यद्यपि जिन्हे मताधिकार दिया गया था उनकी सख्या बहुत थोडी हुआ करती थी। शनै-शनै मनोनीत व्यक्तियो का स्थान चुने हुए व्यक्ति लेने लगे और मताधिकार प्राप्त जनता की सख्या मे वृद्धि होने लगी। जहाँ तक इन सस्थाओ के अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न है, वह प्रारम्भ मे अत्यन्त सीमित था, परन्तु धीरे-धीरे इन सस्थाओ की उपयोगिता एव प्रतिनिधि

स्वरूप के विकास के साथ-साथ इनका अविकार-क्षेत्र भी विकसित होता गया। स्थानीय स्वशासन की मम्थाएँ जो उच्च स्तर पर थी और उन सम्थाओ मे जो निम्न स्तर पर कार्य करती थी कोई पारस्परिक मम्बन्ध नही था। इसका मतलव यह है कि उस ममय स्थानीय स्वशासन अलग-अलग शहरो मे अलग-अलग तरह से पाया जाता था। उनका कोई एक स्वरूप नही था। सरकार के कडे नियन्त्रण के अन्तर्गत इन्हे कार्य करना पडता था। ब्रिटिश राज्य के अन्तिम युग मे कही जाकर इन स्थानीय मस्थाओ को कुछ स्वतन्त्र विचार और कार्य करने की क्षमता मिल गई थी।

राजम्थान वनने से पहले रजवाडो मे स्थानीय स्वशासन विभिन्न रूपो मे पाया जाता था। प्रत्येक रजवाडा अथवा रियामत अपनी-अपनी व्यवम्था रखती थी। जवकि कुछ रियामतो मे कई गाँवो को मिलाकर एक पचायत तथा शहरो मे नगरपालिकाएँ थी तो अन्य कई रजवाडो मे ऐसी कोई व्यवम्था नही थी। कुछ रियासतो मे ग्रामो की म्थानीय स्व-शामन की मम्थाओ के रूप मे डिस्ट्रिक्ट वोर्ड्स भी थे। 1956 ई० मे राजम्थान पचायत एक्ट स्वीकार किया गया और उसके लागू होने के साथ-साथ मारे राजस्थान मे पचायतें स्थापित की गई। नगरपालिकाएँ भूतपूर्व रियामतो के प्रमुख शहरो मे पहले मे थी। 1951 ई० मे राज-स्थान टाउन म्यूनिमिपल एक्ट म्वीकार किया गया, जिसके अन्तर्गत वडे-वडे और प्रमुख नगरो को छोडकर अन्य कस्वो और शहरो की नगर-पालिकाएँ आ गई। इसके फलम्वरूप यह मभी नगरपालिकाएँ एक कानून के अन्तर्गत मगठित की जाने लगी और उनका स्तर ममान हो गया। 1956 ई० मे राजस्थान म्यूनिमिपल एक्ट पास किया गया और प्रमुख शहरो की नगरपालिकाएँ भी इम कानून के अन्तर्गत व्यवम्थित की गई। जनतन्त्रात्मक शामन-प्रणाली को देश मे अपनाने का यह एक स्वाभाविक नतीजा था कि स्थानीय स्वशामन की मम्थाओ को और अधिक वल मिले और उनका विस्तार किया जाये। सत्ता का विकेन्द्री-

करण जनतन्त्र को निम्न स्तर तक ले जाने का एक सही तरीका है। इसी ध्येय को दृष्टि मे रखते हुए, बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान मे 1959 ई० मे जिला परिषद् एव पचायत समिति एक्ट स्वीकार किया गया और 2 अक्तूबर, 1959 ई० को सम्पूर्ण राजस्थान मे जनतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का लागू किया गया। इस प्रकार शहरो, नगरो और गॉवो मे स्थानीय स्वशासन वास्तविक रूप मे स्थापित हुआ।

अब हम स्थानीय स्वशासन की इन सस्थाओ का सक्षिप्त वर्णन करेगे।

नगरपालिका

कस्बो और शहरो मे स्थानीय स्वशासन की सस्थाओ को नगर-पालिका, नगर परिषद् अथवा नगर निगम कहते है। राजस्थान मे प्रमुख नगरो मे नगर परिषद् है और साधारण छोटे शहरो अथवा कस्बो मे नगरपालिकाएँ। नगरपालिका एव नगर परिषद् के सगठन एव कार्य और अधिकारो मे कोई आधारभूत अन्तर नही होता। स्थानीय स्वशासन की इन सस्थाओ का नामकरण नगर की जनसख्या पर निर्भर है। 8,000 जनसख्या वाले नगर मे नगरपालिका और 50,000 से अधिक जनसख्या वाले शहर मे नगर परिषद् होती है। बहुत बडे शहरो मे निगम होते है। आइए हम नगरपालिका के सगठन एव कार्य-क्षेत्र के बारे मे विचार प्रकट करे।

सगठन- यदि किसी नगर की जनता यह मॉग करे कि उसे नगर-पालिका चाहिए, तो सरकार वहा नगरपालिका के सगठन की व्यवस्था करती है। नगरपालिका के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष चुनाव कराये जाते है। चुनाव 'गुप्त' मतदान द्वारा होता है। चुनाव के लिए नगर को वार्ड्स (क्षेत्रो) मे विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र मे से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यदि

किसी क्षेत्र मे अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित जन-जातियो का बहुमत होता है तो वह क्षेत्र इन जातियो के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्रो मे से केवल इन जातियो का प्रतिनिधि ही चुनाव लड सकता है। स्त्रियो को प्रतिनिधित्व देने के लिए यदि चुनाव मे कोई स्त्री जीतकर न आई हो तो नगरपालिका के चुने हुए सदस्य दो स्त्री सदस्यो को मनोनीत करते हैं इस प्रकार चुने हुए तथा मनोनीत सदस्य नगरपालिका सगठित करते हैं।

पदाधिकारी—नगरपालिका के सदस्य अपने आप मे से एक सदस्य को नगरपालिका का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। राज्य की सरकार नगर परिषद् के मुख्य अधिकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति करती है, नगरपालिका मे इस अधिकारी को एक्जीक्यूटिव आफीसर कहते हैं।

नगरपालिका अपने अन्य कर्मचारियो की स्वय नियुक्ति करती है।

अधिकार— नगरपालिका अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कर लगाती है। मकान-कर, सामान के आवागमन पर कर और व्यवसाय-कर नगरपालिकाओ को लगाना आवश्यक है। कुछ कर ऐसे भी हैं जिन्हे लगाना अनिवार्य नही है परन्तु यदि नगरपालिका चाहे तो ये कर लगाये जा सकते हैं। इनमे मोटरो पर कर, नावो पर कर तथा आवागमन के अन्य साधनो पर कर शामिल हैं। नगरपालिकाओ की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार ऋण और कभी सहायता के रूप मे धन नगरपालिकाओ को देती रहती है।

कार्य—नगरपालिकाओ का कार्य नगरो अथवा शहरो मे सफाई, रोशनी, पानी, स्वास्थ्य-रक्षा आदि का इन्तजाम करना है। नगरपालिका नगर की सडको को ठीक रखती है, नई सडकें बनवाती है। नगर मे बाग-बगीचे लगवाना और इनकी देखभाल करना भी नगरपालिका का

काम है। शिक्षा का प्रसार तथा उसके लिए स्कूल स्थापित करना और उन्हे चलाना भी नगरपालिका के कार्य-क्षेत्र मे सम्मिलित है। वास्तव मे नगर के सम्पूर्ण जीवन को सुचारु रूप से चलाना नगरपालिका की कार्य-कुशलता पर निर्भर है।

गांवो मे स्थानीय स्वशासन

खण्ड विकास योजनाओ के लागू होने से पहले पचायतो का कार्य-क्षेत्र स्थानीय छोटे-छोटे झगडो को सुलझाने तथा अपने अधिकार के क्षेत्र को साधारण नागरिक प्रशासन तक सीमित था। परन्तु खण्ड विकास योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए इन पचायतो का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार पचायतो के पास साधारण कानूनी अधिकारो के साथ-साथ योजनाओ को स्थानीय रूप से कार्यान्वित करने का काम भी सौंपा गया। परन्तु बलवन्त राय मेहता कमेटी रिपोट के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार एक ही सस्था के पास होने से उनका कार्य सुचारु रूप से चलना असम्भव था। इसलिए कमेटी ने राय दी कि न्यायपालिका का कार्य किसी स्वतन्त्र सस्था को सौंप देना चाहिए। पुरानी पचायते जो कि कई गांवो को मिलाकर सगठित की गई थी कमेटी की राय मे एकत्व की भावना जाग्रत करने मे असमर्थ थी। इसलिये उसने छोटी पचायते बनाने का सुझाव दिया। इस कमेटी की सिफारिशो के अनुसार राजस्थान सरकार ने छोटी पचायते बनाई और न्याय पचायतो की अलग व्यवस्था की। अब पचायतो का सगठन निम्न प्रकार है —

पचायतो का सगठन—पहले 4,000 से 8,000 तक जनसख्या के ऊपर एक पचायत होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार 1,500 से 2,000 तक जनसख्या पर एक पचायत है। एक पचायत मे पचो की सख्या 8 से 15 तक होती है। पचायतो के लिए चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष मे होते है। पचायतो का क्षेत्र जितने पच चुनते है उतने वार्डो मे विभाजित कर दिया

जाता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान विधान सभा के चुनाव-क्षेत्र का रहने वाला है जिसमे वह पचायत स्थित है, प चुनाव लड सकता है। परन्तु वह व्यक्ति मत उसी वार्ड मे दे स है जिसमे उसका घर हो। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने अधिकार है।

सरपच—प्रत्येक पचायत मे एक सरपच होता है जो कि प क्षेत्र के तमाम मताधिकारियो द्वारा चुना जाता है। सरपच पचाय बैठक बुलाता है और बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है। प के कोष के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। वही धन एकत्रित है और पचायत के निर्णय के अनुसार उसे खर्च करता है। पचाय इलाके मे योजनाओ को कार्यान्वित करना उसी की देख-रेख मे होता।

प्रत्येक पचायत मे एक सचिव होता है जो कि दफ्तर के काम देखभाल करता है।

पचायतो के कार्य—पचायत का कार्य-क्षेत्र विस्तृत है। अधिकार मे नागरिक सुधार का कार्य, प्रशासन एव विकास सम सभी कार्य आ जाते हैं। पचायत पैदावार बढाने के लिए योज बनाती है और अपने क्षेत्र मे रहने वालो के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शि आराम और सामाजिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक विकास के सुविधाएँ प्रस्तुत करती है। गाँवो मे एकत्व स्थापित करने बडे-बडे कामो मे अधिकतम नागरिको का पक्ष प्राप्त करने की आ श्यकता पर बल देते हुए इस बात की व्यवस्था की गई है कि विकास बडे-बडे कामो को हाथ मे लेने से पूर्व पचायत के क्षेत्र के निवा के $\frac{2}{3}$ व्यक्तियो का समर्थन प्राप्त किया जावे। ऐसे बडे-बडे कार्यो मे मे कुएँ खुदवाना, नई इमारतें बनवाना तथा शौचालय आदि का नि करना है।

ग्राम सभा

लोकतत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पचायत कानून के अन्तगत इस वात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पचायत वर्ष मे कम से कम दो वार अपने क्षेत्र की कुल जनसख्या की वैठक बुलाये । इन वैठको को ग्राम सभा कहते है। इन बैठको मे पचायतो के कार्यो का सिहावलोकन किया जाता है और आगामी योजनाओ की रूपरेखा पर विचार-विनिमय करके उन्हे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार पचायत के क्षेत्र मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास मे स्वय सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है।

पचायते कर लगाकर धन एकत्रित करती है। इन करो मे यातायात के साधनो पर कर, चीजो के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओ के चरागाहो पर कर, मकानो पर कर आदि सम्मिलित है।

पचायतो के पास अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था होती है। पचायत अपने कर्मचारियो की स्वय नियुक्ति करती है।

न्याय पचायत

5 से 7 पचायतो के ऊपर एक न्याय पचायत होती है। इन न्याय पचायतो का मार-पीट के झगडो से सम्बन्धित तथा माली दोनो प्रकार के मुकदमे सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। न्याय पचायत के सदस्यो का चुनाव उसके अन्तगत आने वाली पचायतें करती है। प्रत्येक पचायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। न्याय पचायत तीन-तीन सदस्यो की समितियो द्वारा काय करती है। न्याय पचायत का सरपच, उसके सदस्य आपस मे से ही किसी को चुन लेते है। राजस्थान मे इस समय 1,369 न्याय पचायते है।

मारपीट के झगडो के निपटारे मे न्याय पचायत 50 रु० तक जुर्माना कर सकती है और 250 रु० तक के माली मुकदमे उसके सामने पेश किये जा सकते है। न्याय पचायत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

यद्यपि इन फैसलो पर पुन दृष्टिपात मुंसिफ अथवा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है।

पंचायत समिति

पचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पचायत समिति का अत्यन्त ऊँचा स्थान है। पूर्व स्थित विकास खण्डो के आधार पर पचायत समितियो का सगठन किया गया है। योजनाओ और विकास के क्षेत्र मे ये पचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और योजनाओ के निर्माण मे योग देती हैं।

सगठन—एक पचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तमाम पचायतो के सरपच पचायत समिति के सदस्य होते है। उस विकास खण्ड मे रहने वाले कृषि-पडित एव कृषि-निपुण भी पचायत समिति के सदस्य होते है। इनके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पचायत समिति की सदस्य नही है तो दो स्त्रियो को सदस्य बनाया जाता है। इसी प्रकार दो अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि, दो अनुसूचित जन-जातियो के प्रतिनिधि, दो प्रशासन क्षेत्र मे निपुण व्यक्ति, एक सहकारी समितियो का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पचायत समिति के सदस्य अपनाये जाते हैं। इन सदस्यो को अपनाया जाना पचायत समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं।

प्रधान—पचायत समिति के समस्त सदस्य मिलकर अपने आप मे से एक को प्रधान चुनते है। प्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा होता है। चुनाव के समय पचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता है।

पंचायत समिति का कार्य-काल तीन वर्ष होता है।

पचायत समिति के कार्य—अपने क्षेत्र मे समस्त विकास योजनाओ को कार्यान्वित करने का भार पचायत समिति का है। पचायत समिति अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थाई समितियो

ग्राम सभा

लोकतत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पचायत कानून के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पचायत वर्ष मे कम से कम दो वार अपने क्षेत्र की कुल जनसख्या की वैठक वुलाये । इन वैठको को ग्राम सभा कहते है । इन वैठको मे पचायतो के कार्यो का सिहावलोकन किया जाता है और आगामी योजनाओ की रूपरेखा पर विचार-विनिमय करके उन्हे स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार पचायत के क्षेत्र मे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास मे स्वय सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

पचायते कर लगाकर धन एकत्रित करती हैं । इन करो मे यातायात के माधनो पर कर, चीजो के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओ के चरागाहो पर कर, मकानो पर कर आदि सम्मिलित हैं ।

पचायतो के पास अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था होती हैं । पचायत अपने कर्मचारियो की स्वय नियुक्ति करती है ।

न्याय पचायत

5 मे 7 पचायतो के ऊपर एक न्याय पचायत होती है । इन न्याय पचायतो का मार-पीट के झगडो मे सम्बन्धित तथा माली दोनो प्रकार के मुकदमे सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है । न्याय पचायत के सदस्यो का चुनाव उसके अन्तगत आने वाली पचायते करती हैं । प्रत्येक पचायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । न्याय पचायत तीन-तीन सदस्यो की समितियो द्वारा कार्य करती हैं । न्याय पचायत का सरपच, उसके सदस्य आपस मे मे ही किसी को चुन लेते हैं । राजस्थान मे इस समय 1,369 न्याय पचायतें हैं ।

मारपीट के झगडा के निपटारे मे न्याय पचायत 50 रु० तक जुर्माना कर सकती है और 250 रु० तक के माली मुकदमे उसके सामने पेश किये जा सकते हैं । न्याय पचायत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

यद्यपि इन फैसलो पर पुन दृष्टिपात मुसिफ अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कर सकता है।

पंचायत समिति

पचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पचायत समिति का अत्य ऊँचा स्थान है। पूर्व स्थित विकास खण्डो के आधार पर पचा समितियो का सगठन किया गया है। योजनाओ और विकास के क्ष मे ये पचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और योजना के निर्माण मे योग देती है।

सगठन—एक पचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तम पचायतो के सरपच पचायत समिति के सदस्य होते है। उस विक खण्ड मे रहने वाले कृपि-पडित एव कृपि-निपुण भी पचायत समिति सदस्य होते है। इनके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पचायत समिति सदस्य नही है तो दो स्त्रियो को सदस्य बनाया जाता है। इसी प्र दो अनुसूचित जातियो के प्रतिनधि, दो अनुसूचित जन-जातिये प्रतिनिधि, दो प्रशासन क्षेत्र मे निपुण व्यक्ति, एक सहकारी समिति का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पचायत सि के सदस्य अपनाये जाते हैं। इन सदस्यो को अपनाया जाना पच समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं।

प्रधान—पचायत समिति के समस्त सदस्य मिलकर अपने आ मे एक को प्रधान चुनते है। प्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान द्व होता है। चुनाव के समय पचायत समिति की बैठक की अध्यक्ष जिलाधीश अथवा उसके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता

पचायत समिति का कार्य-काल तीन वर्ष होता है।

पचायत समिति के कार्य—अपने क्षेत्र मे समस्त विकास योजन को कार्यान्वित करने का भार पचायत समिति का है। पचा समिति अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्थाई समिति

का निर्माण करती है। प्रत्येक स्थाई समिति मे सात से अधिक सदस्य नही होते। पचायत समिति अपने अधिकारो को इन समितियो को उनके कार्यो के अनुरूप सौप देती है। समितियो के निर्णय पचायत समिति के निर्णय समझे जाते है, परन्तु पचायत समिति को यह अधिकार है कि वह स्थाई समितियो के फैसलो को रद्द कर दे अथवा उनमे सशोधन कर दे।

पचायत समितियो की आय—पचायत समिति की आय भूमि-कर उद्योग पर कर, शिक्षा-कर, मेलो और उत्सवो पर कर, मनोरजन कर आदि से होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आर्थिक सहायत देती है और उन विकास योजनाओ की पूर्ति के लिए रुपया भी राज्य सरकार देती है जो पचायत समिति को सौंप दी गई हो। राज्य सरकार रुपया कर्ज भी देती है।

प्रत्येक पचायत समिति मे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विकास अधिकारी होता है जो कि प्रधान की सहायता करता है और पचायत समिति द्वारा लिये गये निर्णयो को कार्यान्वित करता है। इसके अतिरिक्त विकास कार्य मे सहायता देने अथवा निपुण सम्मति प्रदान करने के लिए कई अन्य अधिकारीगण भी होते है।

जिला परिषद्

जिले के स्तर पर जिला परिषद् होती है। इसके सदस्यो मे जिले की तमाम पचायत समितियो के प्रधान, जिले से चुने गये विधान सभा के सदस्य तथा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य होते है। इनके अतिरिक्त दो स्त्री, एक सहकारी समितियो का प्रतिनिधि और यदि उस जिले की जनसख्या 5% या उससे अधिक अनुसूचित जातियो की सख्या हो और उनका कोई प्रतिनिधि जिला परिषद् का सदस्य न बन सका हो तो उनका एक प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा सदस्य बनाया जाता है। यह मतदान जिला परिषद् के अन्य सदस्यो द्वारा किया जाता है। जिलाधीश भी जिला परिषद का सदस्य होता है परन्तु उसे मत

देने का अधिकार नही होता है। प्रत्येक जिला परिषद् मे एक सचिव होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है।

जिला परिषद् के कार्य—जिला परिषद् को कार्यपालिका के कोई अधिकार नही दिये गये है। उसका कार्य केवल पचायत समितियो के कार्यों पर निगरानी रखना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त पचायत समितियो और राज्य सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करना भी जिला परिषद् का काम है। जिला परिषद् पचायत समितियो द्वारा निर्मित योजनाओ के आधार पर सम्पूर्ण जिले के लिए योजना बनाती है।

प्रमुख—जिला परिषद् का एक प्रमुख होता है जिसका चुनाव जिला परिषद् के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते है। यह गैर-अधिकारी पक्ष का नेता होता है और पचायत समितियो से सम्पर्क स्थापित रखता है। यह लोकतन्त्र की वृद्धि के लिए अच्छी परम्पराओ को स्थापित करने मे सहायक होता है। जिला परिषद् के अध्यक्ष की स्थिति मे यह सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने मे मदद देता है। पचायत समितियो द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओ का निरीक्षण करके प्रमुख जिला परिषद् को पचायत समितियो की गति-विधि से अवगत कराता रहता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए।
2 नगरपालिकाओ का स्थानीय प्रशासन मे क्या स्थान है ?

अध्याय 11

न्यायिक-प्रशासन

भारत मे न्यायपालिका की शृंखला मे सबसे ऊँचा स्थान उच्चतम न्यायालय का है। हमारे राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन ही अपना काम करता है। अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दे तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते है। उच्च न्यायालय के दिये गये निर्णयो के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित दशाओ मे अपील सुनता है —

(क) **संवैधानिक अपीलें**—उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के सम्बन्ध मे यह कहे कि इसमे संविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ के विषय मे शंका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे अपील सुनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय स्वयं प्रार्थना-पत्र के आधार पर इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। दोनो ही परिस्थितियो मे उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है।

(ख) **फौजदारी अपीलें**—तीन प्रकार की परिस्थितियो मे फौजदारी अपीलें सुनी जा सकती है—

(1) यदि किसी अपराधी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्यायालय उसे मृत्यु-दण्ड मे बदल दे तो उस सम्बन्ध की अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है।

(2) यदि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय मे मुकदमा मँगाकर उसे मृत्यु-दण्ड मे बदल दे तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है।

(3) यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के बारे मे यह सिद्ध कर दे कि इसमे कोई महत्त्वपूर्ण कानूनी समस्या पेश की गई है तो ऐसे मुकदमे के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है ।

(ग) दीवानी मुकदमे सम्बन्धी अपीलें—दीवानी मुकदमो के सम्बन्ध मे दो प्रकार की अपीलें उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है । यदि कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर कर दे कि अमुक मुकदमे की राशि का मूल्य 20,000 रु० से अधिक है तो ऐसी स्थिति की अपील उच्चतम न्यायालय मे की जा सकती है । यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि अमुक मुकदमा बहुत महत्त्वपूर्ण है तो एसे मुकदमे की अपील उच्चतम न्यायालय मे हो सकेगी ।

उच्चतम न्यायालय सारे देश के लिए एक ही है और दिल्ली मे स्थित है ।

उच्च न्यायालय

राज्य का सबसे मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय है । प्रत्येक राज्य मे एक उच्च न्यायालय होता है । उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय भी भाँति नागरिको के अधिकारो का सरक्षण करता है ।

उच्चतम न्यायालय का सगठन व न्यायाधीशो की योग्यताएँ

एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथ दूसरे न्यायाधीश होते है । इन न्यायाधीशो की सख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति ही निश्चित करता है । राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर मे है । इसमे मुख्य न्यायाधीशो के सहित 10 न्यायाधीश हैं । इनमे 2 अतिरिक्त जज भी शामिल है ।

किसी भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जरूरी होता है जैसे—

(1) वह भारत का नागरिक हो ।

(2) कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी न्याय सम्बन्धी पद पर रहा हो, या

(3) राज्यो के उच्च न्यायालयो मे लगभग 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशो का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है। परन्तु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। यदि संसद के दोनो भवनो के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी सिद्ध करते है तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4,000 रु० वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य न्यायाधीशो को 3,500 रु० वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते है। यह वेतन और भत्ते उनके कार्य की अवधि मे कम नही किये जा सकते।

उच्च न्यायालय के अधिकार

प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के कार्य होते है—

(1) न्याय सम्बन्धी अधिकार, और

(2) प्रबंध सम्बन्धी अधिकार।

(1) न्याय सम्बन्धी अधिकार—न्याय सम्बन्धी अधिकारो को दो भागो मे बाटा जा सकता है—

(क) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, और (ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार।

(क) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—कौन-कौन से मुकदमे उच्च न्यायालय सुनेगा उसका जिक्र संविधान मे नही किया गया है। परन्तु संविधान बनने के पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते थे, वैसा अब भी होता है। इस क्षेत्र मे वे दीवानी मुकदमे होते है जिनको सफीका अदालतो मे पेश नही किया जा सकता और वे फौजदारी मुकदमे आते है, जिनका फैसला सेशन जज

की अदालत मे नही होता। मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमे विशेष रूप से उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार मे आते हैं। ये मुकदमे या तो उच्च न्यायालय सुनता है या उच्चतम न्यायालय। व्यवहार मे उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही सुनता है।

(ख) **अपीलीय क्षेत्राधिकार**—इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमो की अपील सुनता है। इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मँगाकर उसकी छानबीन करे।

(2) **प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार**—उच्च न्यायालयो को यह अधिकार होता है कि वह अपने पास के न्यायालयो का उचित रूप मे प्रबन्ध करें तथा इनके कार्यो का निरीक्षण करे। उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीको से उनका निरीक्षण करता है।

(1) उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से किसी भी मुकदमे के कागज मँगाकर उसकी जाँच कर सकता है।

(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के लिए ऐसे नियम बनाये जिनसे उनका काम आसानी से चल सके।

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध मे भी नियम बना सकता है कि किसी भी न्यायालय को किन मुकदमो का रिकार्ड रखना चाहिए।

(4) उच्च न्यायालय जिला न्यायालयो के अधिकारियो की नियुक्ति, उनके वेतन मे कमी और छुट्टी आदि के सम्बन्ध मे भी नियम बनाने का अधिकारी है।

(5) उच्च न्यायालयो को अधिकार है कि वह एक न्यायालय का मुकदमा दूसरे न्यायालय मे भेज दे।

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकार को पुन स्थापित करने हेतु राज्य के कर्मचारियो को अपना आदेश दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति

गैर-कानूनी ढग से जेल मे बन्द कर दिया गया हो तो उसे यह छुड़वा सकता है।

(7) कोई भी न्यायालय बिना उच्च न्यायालय की आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को फाँसी की सजा नही दे सकता।

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारो के कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र मे रखता है।

न्यायिक प्रशासन के लिए राज्य को 16 भागो मे विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक एक डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज (District and Session Judge) के अधीन है। ये जज दोनो प्रकार के फौजदारी एव दीवानी मुकदमे सुनते है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजो के अधीन निम्नलिखित अदालते है

(1)	डिस्ट्रिक्ट एव सेशन अदालत	16	
(2)	सिविल एण्ड एडीशनल सेशन्स कोर्ट	17+1	(अस्थायी)
(3)	सिविल जज की अदालत	28	
(4)	स्माल कौजेज कोर्ट (Small Causes Court)	4	
(5)	मुन्सिफ और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट	97+2	(अस्थायी)
(6)	स्पेशल (रेल्वे मजिस्ट्रेट)	3	
	योग=	168	

राजस्थान न्यायिक सेवा (Rajasthan Judicial Service) दो भागो मे विभक्त है। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा। राजस्थान उच्च न्याय सेवा मे 40 पद है। राजस्थान न्यायिक सेवा मे 148 पद है।

(1) सितम्बर सन् 1962 का आशिक रूप मे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का काम प्रारम्भ किया गया। एडीशनल

कलक्टर के 17 पदो के स्थान पर एक सिविल जज और तीन मुसिफ मजिस्ट्रेट की अदालते स्थापित की गई।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बाद न्याय पचायते भी बनाई गई है जो छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमो का निर्णय करती है।

माल सम्बन्धी मुकद्दमे

माल सम्बन्धी मुकदमो से लिए राज्य का बोर्ड आफ रेवेन्यू (Board of Revenue) सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके निर्णयो के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट मे सवैधानिक प्रश्नो के सम्बन्ध मे अपील की जा सकती है।

बोर्ड आफ रेवन्यू के नीचे माल सम्बन्धी मुकदमो के लिए निम्नलिखित अदालतें है —

(1) कलक्टर की अदालत—जिला स्तर पर
(2) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट—सब-डिविजन स्तर पर
(3) तहसीलदार की अदालत—तहसील स्तर पर
(4) नायब तहसीलदार की अदालत—तहसील स्तर पर

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. उच्च न्यायालय किन-किन दशाओ मे अपील सुनता है एव उसके अधिकारो का वर्णन करिए।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा पर एक टिप्पणी लिखिए।

भाग 4

राजस्थान में नियोजित विकास

अध्याय 12

राजस्थान में नियोजन

मनुष्य के सुख, शान्ति, समद्धि व सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी, बीमारी, बेकारी, अज्ञानता को दूर किया जाये। प्रत्येक राज्य का आदर्श है कि हर नागरिक को खाना, कपडा, काम, मकान व जीवन की सुरक्षा के साधन प्राप्त हो जिनसे वे अवसर प्राप्त हो जो व्यक्तिगत व सामूहिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। समाज की प्रगति, आर्थिक समानता व राजनैनिक जाग्रति के और कोई सार्थक माध्यम नही हैं। समाज की गिरी व्यवस्था व अवस्था को सुधारने का और कोई रास्ता नही है। इतना स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई व बढोतरी मे ही समाज का वैभव व राज्य का उत्कर्ष निहित है। इस दिशा मे सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव व विचारो के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए ऐसी योजना की परम आवश्यकता है जिससे विधिवत् व व्यवस्थित रूप मे सामूहिक विकास के कार्य पूर्ण किये जाये।

यह कहावत सत्य है कि चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। देश की प्रगति के लिये भी यही सत्य है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नही कि 'चादर' को बढाने का प्रयत्न ही नही किया जाये, क्योकि जितनी बडी चादर होती जायेगी उतना ही विस्तृत क्षेत्र हमे अपने पैर फैलाने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक राज्य मे अवसरो की बढोतरी होती रहे तो अवश्य ही सामूहिक विकास की भी प्रगति होगी।

जैसे—एक परिवार की समृद्धि आय और व्यय के सतुलन पर निर्भर है , उसी प्रकार एक देश की प्रगति व विकास, योजना और व्यवस्थित साधनो पर आश्रित है । आयोजित विकास जैसे एक परिवार के लिए आवश्यक है उसी प्रकार एक देश के लिए भी ।

ठीक उसी प्रकार राजस्थान की प्रगति के लिये भी आयोजन की व्यवस्था है जो भारत के योजना कार्यक्रम का ही अग है । समाज को मर्वागीण रूप से व्यवस्था मे लाने का यह उपाय अनुभव व बौद्धिक तर्क की कसौटी पर पूरा उतरता है ।

सम्पूर्ण देश की व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान मे भी प्रथम व द्वितीय पचवर्षीय योजनाओ के अनुमार विविध क्षेत्रो मे प्रगति की गई । कृपि-प्रधान राज्य होने के कारण, राजस्थान मे भी कृपि उत्पादन को वढाने को प्राथमिकता दी गई है तथा इम दिशा मे सफलता प्राप्ति के लिये चकवन्दी के कार्यक्रम को विशेप स्थान दिया गया है। पशु नस्ल सुधार, पशु भोजन व्यवस्था व वीमारी की रोकथाम के लिये प्रयाम किये गये । 1961 तक 16 आदर्श ग्राम खण्ड खोले गये और गौशालाओ व पशु-चिकित्मालयो की सम्या मे विशेप वृद्धि हुई ।

प्रथम व द्वितीय योजनाओ के कार्यक्रम के अनुमार सहकारिता के अन्तर्गत 6,000 सहकारी समितियो का गठन हुआ । 103 प्राथमिक मार्केटिग समितियाँ वनाई गई । राजस्थान वेयर हाउसिग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई व 32 वेयर-हाउस वने । 97 सयुक्त कृपि सहकारी समितियाँ वनी । सेवा सहकारी समितियो की सख्या 3,893 हो गई । छोटी समितियो की व्यवस्था मे सुधार किये गये । सार्वजनिक आर्थिक विकास व व्यवस्था के लिये राजस्थान औद्योगिक सहकारी वैंक की स्थापना की गई ।

वन-विकास व भू-रक्षण के क्षेत्र मे विशेप प्रयास किये गये । सैन्ट्रल एरिड जोन इन्स्टीट्यूट की स्थापना इस दिशा मे महत्वपूर्ण कदम है ।

मछली-रक्षा, पालन व विकास के लिये कार्य किये गये तथा सहकारी समितियो द्वारा उत्साहजनक फल प्राप्त हुए ।

राज्य की भूमि को सुधार कर, कृषि-विकास मे सहायक नहरो के विकास के लिये कदम उठाये गये । पूर्व गगा नहर, भाखरा व चम्बल की बहुउद्देशीय योजना, मध्य व छोटी सिंचाई योजनायें—सबसे राज्य को लाभ पहुँचा ।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र मे भी, इसी प्रकार, महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये जिनसे ग्रामीण जीवन मे कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, सहकारिता, भूमि-सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न उद्योग-धन्धे व यातायात के साधनो का विकास किया गया । सामूहिक विकास के लिए पचायत सहकारी समितियो, पाठशालाओ, युवक मडल, महिला मडल आदि के सार्थक माध्यम द्वारा रचनात्मक कार्य किये गये । विभिन्न स्थानो पर बिजली की व्यवस्था की गई । इस प्रकार उत्पादन की बढोत्तरी हुई ।

राज्य के विकास के साधनो मे सडको को बनाया जाना, शिक्षा एव स्वास्थ्य की सुविधायें, जल-वितरण, गृह-निर्माण योजना, समाज कल्याण, पिछडी जातियो का उद्धार और श्रमिक-कल्याण की गति-विधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

तीसरी योजना, अन्य राज्यो की ही भाँति, पहली दो योजनाओ पर काफी अशो मे निर्भर है तथा इस दिशा मे यह कहना असगत नही होगा कि जो कमियाँ पहले रह गई थी उनको पूर्ण करना है ।

तीसरी योजना की मुख्य रूपरेखा 26 जनवरी, 1960 को प्रकाशित की गई जिसका उद्देश्य लोक-तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सस्थाओ द्वारा जन-कल्याण के आदर्श को रचनात्मक रूप देना था । योजना मे प्राथमिकता, फिर एक बार, कृषि को दी गई है । तीसरी योजना के लिए 23,60,000 लाख रुपये की धनराशि का प्रबन्ध किया गया है । जिसे निम्न कार्यो मे व्यय करने की व्यवस्था रखी गयी है ।

(1) कृषि उत्पादन

अन्न की कमी को ध्यान मे रखते हुए 16 लाख टन अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इस अधिक खाद्यान्न की उपलब्धि के लिये रासायनिक खाद के उपयोग के अलावा हरी खाद का भी प्रयोग किया जायगा। इसके साथ ही साथ फसलो के सुरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश मे वर्तमान कृषि विद्यालयो मे अधिक अनुसधान तथा शिक्षा के अतिरिक्त एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान है।

तीसरी योजना मे कृषि विभाग द्वारा सचालित की जाने वाली प्रवृत्तियो के अन्तर्गत सिचाई की कुओ, नहर, नलकूप, तालाव इत्यादि के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त वर्तमान सिंचाई के साधनो को सुचारु रूप से कार्यशील रखने के लिए भी व्यवस्था है। सिचाई के अलावा खेती की चकबन्दी पर भी ध्यान दिया गया है। जोतो का विखण्डीकरण राज्य की कृषि-प्रगति मे बाधक रहा है। अत प्रदेश की 25 लाख एकड भूमि पर चकबन्दी करने का प्रस्ताव है। खेती के लिए अच्छे बैलो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदर्श ग्राम योजना खण्ड आरम्भ हो चुके हैं। हाट बाजारो को भी सगठित किया जायगा। राजकीय पशु-फार्मो का विस्तार किया जायगा और ऐसे फार्म तीसरी योजना मे और भी आरम्भ किये जा रहे हैं। पशुओ की उचित चिकित्सा के लिए प्रदेश भर मे पशु औषधालय तथा पशु चिकित्सालय खोले जायेग।

मछली पालन, वन तथा डेयरी के अलावा सहकारिता पर राज्य मे अत्यधिक जोर दिया जायगा। राज्य के प्रत्येक गाव तथा 67 प्रतिशत ग्रामीण परिवारो मे सहकारिता का प्रसार करने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा सहकारी समितिया, सहकारी कृषि समितियाँ तथा प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक खोले जायेंगे। कृषि सुधार समितियो के सदस्यो को कृषि उन्नति के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जाने का प्रावधान

लालबहादुर शास्त्री



किया गया है। इसके अलावा सम्पूर्ण राज्य मे सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने तथा इसके अन्तर्गत पचायती राज को बढावा दिया जायगा।

(2) सिचाई

वर्तमान विभिन्न सिचाई कार्यो के पूरा होने पर लगभग 11 46 लाख एकड अतिरिक्त भूमि सीची जा सकेगी। सिचाई कार्य-क्रम राज्य के सिचाई विभाग तथा राजस्थान नहर बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। राज्य मे राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण दो चरण मे होगा। पहले चरण मे राजस्थान फीडर का निर्माण किया जायगा। दूसरे चरण मे मुख्य नहर का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल सधि के अनुसार भारत को सतलज, व्यास तथा रावी नदियो से पानी मिल सकेगा। राजस्थान नहर को व्यास तथा रावी के पानी पर निर्भर रहना होगा। व्यास परियोजना मे व्यास नदी पर पोग बांध बनाना है। व्यास नियत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है जो इस बांध के निर्माण की सलाह देगा।

राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर-प्लान बना लिया गया है। इसमे सब प्रकार की विकास की प्रवृत्तियो का समावेश है।

लघु सिचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि कृषि व सिचाई विभागो द्वारा दी जाती है। कुओ के निर्माण, डीजल तेल से चलने वाले इजनो, बिजली की मोटरो के लिए, गांवो के तालावो के विकास के लिए, वर्तमान कुओ को गहरा करने तथा नल कूपो को खोदने का विस्तृत कार्यक्रम है। वर्तमान कुओ को गहरा करने, निजी व राज्य के नलकूपो का निर्माण करने व भूमि व जल मण्डल योजनाएँ अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है।

25,000 रुपये या इससे कम खर्च के जो काम पचायत समितियो द्वारा कराये जावेंगे उनके लिए तकनीकी सहायता देने को प्रत्येक जिले

मे एक इंजीनियर की नियुक्ति कर दी गई है। यह उस जिले की सभी पांचयत समितियो के संभावित कार्यो का सर्वेक्षण कर तखमीना तैयार करने मे सहायता करेंगे । तीसरी पचवर्षीय योजना-काल मे रपटो (एनीकट) के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इनके निर्माण का अभिप्राय कुओ मे जल के वर्तमान तल को ऊँचा उठाना है। क्योंकि पानी की कमी के कारण कुओ के सूख जाने की समस्या हे । सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर इसके कारणो तथा कुओ मे पानी के स्तर को बढाने के तरीको की खोज करवा रही है।

राज्य की योजनाओ मे सम्मिलित की गई योजनाओ के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सचालित सिचाई मे अनुसधान तथा प्रशिक्षण और पानी के प्रयोग की भी योजना है।

(3) विद्युत-शक्ति

राजस्थान मे उद्योग-धन्धो को चलाने और उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने मे सबसे बडी दिक्कत विद्युत के अभाव की है । लोगो के जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए नगरो मे बडे कारखाने स्थापित करने व ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटे-छोटे उद्योग चलाने की आवश्यकता है। राज्य मे पानी का बहुत गहराई पर मिलना भी एक समस्या है। वास्तव मे हमारी समस्या विद्युत शक्ति की माँग पैदा करने की नही बल्कि माग के अनुसार विद्युत उत्पन्न करने की है । उद्योग-धन्धो की दृष्टि से पिछडे हुए ऐसे राज्य के लिए जो आगे की ओर कदम बढा रहा हो, यह एक शुभ लक्षण है।

विद्युत योजना के उद्देश्य राजस्थान के पन विद्युत (हाईडल) के साधनो का पूर्ण उपयोग करना तथा तापीय विद्युत (थरमल) का आवश्यकता के अनुसार विकास करना । जहा तक पन-विद्युत का सम्बन्ध है ऊपर बताये उद्देश्य की पूर्ति का मतलब है राना प्रताप सागर परियोजना का पूर्ण होना व कोटा और माही परियोजना का

काम आरम्भ होना जिससे चौथी पचवर्षीय योजना काल मे इनसे बिजली मिल सके। भाखरा परियोजना के दाहिने किनारे के बिजली घर से उत्पन्न होने वाली विद्युत का उपयोग भी इसी उद्देश्य की ओर बढने मे सम्मिलित है।

चम्बल क्रम से कोटा डिवीजन झुनझुनू व सीकर को छोडकर सारे अजमेर डिवीजन और उदयपुर के चित्तौड, भीलवाडा व उदयपुर जिलो को विद्युत मिलेगी। पाली होते हुए जोधपुर को भी चम्बल क्रम से जोडने के प्रस्ताव है। भाखरा से बीकानेर डिवीजन को भी विद्युत प्राप्त होगी। तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए एक बहुत बडा बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राज्य के गाँवो मे बिजली लगाने के सम्बन्ध मे यह प्रस्ताव है कि 5,000 व इससे अधिक जनसख्या के गाँवो मे तीसरी योजना मे विद्युत लगाई जायेगी।

विद्युत के विकास पर तीसरी योजना मे 35 करोड रु० खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रावधान मे भाखडा नागल परियोजना, चम्बल परियोजना, तापीय बिजली परियोजना, ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम तथा विद्युत के सचरण तथा वितरण होने वाला व्यय भी शामिल है। इन सब के परिणामस्वरूप 3 51,000 किलोवाट विद्युत के उत्पादन की क्षमता की जायेगी।

(4) उद्योग-धन्धे तथा खनिज

उद्योग-धन्धे—जहाँ तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, राजस्थान भारतवर्ष के कम विकसित क्षेत्रो मे आता है। यहाँ औद्योगिक व्यवसाय, उत्पादन और रोजगारी दोनो ही दृष्टियो से कम महत्वपूर्ण है। लेकिन देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे प्रादेशिक असमानता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने मे सफलता प्राप्त नही हो सकेगी यदि देश के उद्योग की दृष्टि से पिछडे क्षेत्र पर अधिक ध्यान नही दिया गया।

राजस्थान मे औद्योगिक प्रगति के लिए कच्चे माल व खनिज सम्पत्ति की बहुतायत है किन्तु विद्युत शक्ति की कमी, आवागमन के साधन व प्रशिक्षित मानव शक्ति की सीमित मात्रा मे उपलब्धि के कारण यह सम्पत्ति पूरी तरह काम मे नही ली जा सकती है। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक ठोस व उत्साह पूर्ण नीति अपनाई है व बहुत-सी रियायतो व सुविधाओ की घोषणा की गई है। राजस्थान की ओर जहाँ कि समृद्धि-शाली उद्योगो की सभावना है धीरे-धीरे उद्योगपति भी आकर्षित हो रहे हैं।

औद्योगिक सम्पदा निर्माण के लिए 157 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान उन उद्योगपतियो को सभी सम्भव सुविधाएँ प्रदान करेगा जो निजी क्षेत्र मे उद्योग चलाने के इच्छुक है। राज्य द्वारा जहाँ तक सभव हो उचित दरो पर आवश्यक विद्युत दिलाने, शीघ्र ही भूमि प्रदान कराने तथा बिक्री-कर चुगी-कर मे छूट देने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

जिन स्थानो पर भविष्य मे औद्योगीकरण की आशा की जाती है वहाँ तीसरी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। मुख्यत जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाडा, अलवर, भरतपुर जिलो मे तीसरी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक क्षेत्रो के अत्यधिक विकास की व्यवस्था की गई। ग्राम तथा लघु-उद्योगो को भी बढावा देने के लिए योजना बनाई गई है।

प्राथमिक शिक्षा—तृतीय पचवर्षीय योजना मे प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग 10 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना कार्य-काल मे शिक्षा-प्रसार सम्बन्धी निम्न उद्देश्य है —

(1) 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओ को शिक्षा-सुविधा देना।

(2) 11 से 14 तक की आयु के वालक-वालिकाओ को शिक्षा-सुविधा देना।

दोपहर को भोजन व मुफ्त पुस्तके पाठशालाओ मे दी जायेगी। दोपहर मे स्कूल मे ही दूध देने की व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्तमान मिडिल पाठशालाओ, सीनियर बुनियादी शालाओ तथा प्रशिक्षण सस्थाओ को और मजबूत वनाया जावेगा तथा उनकी क्षमता वढाई जावेगी।

माध्यमिक शिक्षा—तीसरी योजना के अन्तर्गत 14 से 17 वर्ष की आयु के 11 3 प्रतिशत विद्यार्थियो को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान मिडिल शालाओ तथा उच्च शालाओ को उच्चतर माध्यमिक शालाओ मे परिवर्तित किया जायगा।

विश्वविद्यालय शिक्षा—इस योजना-काल मे जोधपुर मे दूसरे महा-विद्यालय की स्थापना की जायेगी। वर्तमान महाविद्यालयो मे नवीन विषय पढाये जायेंगे। विदेशी भाषाओ की शिक्षा सुविधाये देने का भी प्रस्ताव है। गुणोत्कृष्ट विद्यार्थियो को देश मे उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षा दिलाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

समाज-शिक्षा के कार्यक्रम का जिला स्तर पर समन्वय किया गया है। जिला पुस्तकालयो मे सुधार किया जायेगा। समाज शिक्षा के क्षेत्र मे प्रौढ शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जायगा। इसके अलावा सस्कृत शिक्षा, प्राचीन अभिलेखो का मुद्रण, पुरातत्व सग्रहालय तथा ललित कला अकादमियो पर ध्यान दिया जायगा।

तकनीकी शिक्षा—तीसरी योजना मे तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए 331 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना काल मे सचालनालय तकनीकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा वोर्ड को सुदृढ वनाने के प्रस्ताव हैं। वर्तमान इजीनियरिंग महाविद्यालय तथा पौलिटेकनिक के क्षमता वढाने तथा नये महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव किये गये हैं।

खनिज—खनिज की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत मे बुनियादी उद्योगो के लिए आवश्यक लोहा, कोयला आदि खनिज बहुतायत से मिलते हैं किन्तु भारत की अलौह खनिज जैसे तांबा, जस्ता, सीसा आदि की कमी को राजस्थान ही पूरा कर सकता है। तीसरी योजना मे 365 लाख रुपये उनके विकास के लिए प्रस्तावित किये गए हैं। खनिज उत्पादन मे निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसलिये छोटे खान के मालिको को 'न लाभ न हानि' के आधार पर तकनीकी सहायता व आवश्यक उपकरण देने का विचार है। प्रयोग-शाला की सुविधाएँ भी प्रयोग के लिए उपलब्ध की जायेगी।

जैसलमेर क्षेत्र मे तेल और गैस की खोज का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन ने एक फ्रांसीसी फर्म के सहयोग से आरम्भ किया है।

(5) स्वास्थ्य

तीसरी पचवर्षीय योजना मे स्वास्थ्य कार्यों के अन्तर्गत लगभग 8 करोड रु० व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय और जिला अस्पताल का निर्माण तथा वर्तमान अस्पतालो मे शैयाओ की वृद्धि का कार्य-क्रम है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र प्रत्येक खण्ड मे खोले जायेगे। बीमारियो की रोकथाम के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। प्रत्येक जिले मे टी० बी० के मरीजो को अलग रखने का प्रबन्ध किया जायगा। मलेरिया उन्मूलन कार्य-क्रम पर विशेष ध्यान दिया जायगा। रसायनिक प्रयोगशालाएँ, परिवार नियोजन केन्द्र, मातृ एव शिशु-कल्याण केन्द्र, स्थापित किये जायेगे। चिकित्सा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमो पर योजना मे विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयो को महत्व प्रदान करने के लिए सारे प्रदेश मे लगभग 300 आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालय तीसरी योजना मे खोले जायेगे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक महाविद्यालयो मे उपकरणो की संख्या बढा कर उन्हे आधुनिक बनाया जायेगा।

ग्राम जल-वितरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव मे 400 आदमियो पर एक साफ-सुथरा पानी पीने का कुआँ बनाना है। साथ ही साथ 5,000 की जन-सख्या वाले प्रत्येक ऐसे गाँव के लिए नल योजना चालू की जायगी जहाँ पानी की सतह 100 फीट गहरी हो। तीसरी योजना मे 10,000 जन-सख्या वाले सब ही नगर नल-जल वितरण योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे। प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत फिटर्स, मैकेनिक व पम्प ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(6) यातायात

सडक—यात्रियो के लिए सडक से आरामदेह, उत्तम, पर्याप्त एव कम खर्चीली यातायात सेवा को राजकीय नीति का एक आवश्यक अग मान लिया गया है। ऐसा निश्चित किया गया है कि राजस्थान मे सडक यात्री-यातायात का राष्ट्रीयकरण कार्य 'ए' श्रेणी तक ही सीमित रखा जायगा। राज्य की राजधानी को भूतपूर्व डिवीजनल मुख्यालयो तथा महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयो से मिलाने वाला मार्ग राष्ट्रीय जन-पथ, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जन-पथ तथा राज्य के बडे कस्बो को पडोसी राज्यो के मुख्य कस्बो से मिलाने वाले महत्वपूर्ण मार्गो का राष्ट्रीयकरण किया जायगा।

तीसरी योजना मे राजस्थान स्टेट रोडवेज पर किये जाने वाले खर्च के लिए धनराशि साधारण बजट मे रखी गई है। पर्यटको के लिए राजस्थान स्टेट रोडवेज पर्यटन के विकास मे महत्वपूर्ण योग देगी। पर्यटकों के लिए वातानुकूलित डीलक्स गाडियो तथा डीलक्स कारो के खरीदने का प्रावधान है।

रेलें—रेल-विकास कार्य-क्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना मे राज्य की सीमा मे से गुजरने वाली उदयपुर, हिम्मतनगर, हिन्दूमलकोट, श्री गगानगर रेलवे लाइनें बनाने का प्रावधान है। उदयपुर-गुजरात रेलवे लाइने बनाई जावेंगी। खेतडी-चूरु को सीधी लाइन द्वारा

मिला देने का काम भी तीसरी योजना मे होगा। खेतडी एक सघन खनिज क्षेत्र है।

डाक व तार—पहली दो योजनाओ मे तारघरो व टेलीफून आदि की सुविधा प्रदान करने मे महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर की टेलीफून व्यवस्था स्वचालित करने का निर्णय लिया गया है। डाकखानो की संख्या 5,000 तक बढ जायगी। तारघर 225 हो जायेंगे।

सडकें—तीसरी योजना मे सडको का कार्य-क्रम नीचे लिखे उद्देश्यो को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है —

(1) पांच हजार तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले सब गांवो को सडको द्वारा मिला देना।

(2) सडको द्वारा सब तहसील और मुख्यालयो को जिला मुख्यालयो से जोडना।

(3) नव-विकसित अथवा भविष्य मे विकास होने वाले भाखरा नहर एव राजस्थान नहर के क्षेत्रो मे उपयुक्त सडक-सुविधा देने की प्रगति को जारी रखना।

(4) धातु एव पत्थर की खानो के क्षेत्र को जोडना।

(5) राज्य मार्ग तथा जिले की मुख्य सडको पर डामर बिछाना।

(6) पुल बनाकर राज्य मार्ग और जिले की मुख्य सडको को हर मौसम योग्य बनाना।

तीसरी योजना मे इस प्रकार कुल 3,136 मील सडको का निर्माण होगा।

(7) गृह-निर्माण

तीसरी योजना मे गन्दी बस्तियो मे 1,200 मकान बनाने का विचार है। ग्रामीण गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियो को नये मकान बनाने तथा पुराने मकानो को सुधारने के लिए ऋण दिया जायगा।

योजना की अवधि मे 400 नये गांवो मे इस कार्यक्रम का सचालन विकास विभाग के ग्रामीण गृह-निर्माण कक्ष द्वारा किया जा रहा है।

औद्योगिक वस्तियाँ वसाने के लिए दूसरी योजना मे शुरू किये गये कार्यक्रमो पर कार्य जारी रहेगा तथा 90 अन्य योजनाएं तीसरी योजना के अन्तर्गत इन वस्तियो के निर्माण के लिए वनाई गई है।

प्राथमिकताओ के आधार पर निम्न कार्यो को पहले पूरा किया जायगा —

(1) राज्य की श्रम-शक्ति मे जो वढोतरी हुई है उसको कार्य मे लाना।

(2) कृपि के क्षेत्र मे विकास व समृद्धि के लिए तत्पर उपाय।
(3) सिचाई मे सावनो की उपलब्धि।
(4) विद्युत शक्ति का विकास।
(5) नि शुल्क, अनिवार्य शिक्षा की सुविवा।
(6) पीने के पानी की सुविवाजनक योजना।
(7) पशु-धन विकास।
(8) खनिज सम्पत्ति का उपयोग।
(9) तकनीकी ज्ञान का विकास।
(10) उद्योग-धन्धो का विकास।
(11) गृह-निर्माण योजनाओ को पूरा करना।
(12) यातायात के साधनो का विकास।

सक्षेप मे कहा जा सकता है कि पहली दो योजनाओ मे राजस्थान मे प्रगति के चिन्ह मिले तथा तृतीय योजना का कार्यक्रम विकास व प्रगति का प्रतीक है। व्यक्तिगत कल्याण व सामूहिक विकास क्षेत्रो मे योजनावद्ध व्यवस्थित कार्य ही सार्थक सिद्ध होंगे, इसमे दो रायें नही हो सकती। भारतवर्ष की समाजवादी समाज की धारा की रचनात्मकता केवल योजना से ही सम्भव है। यदि कुछ कमियां रह जाती है तो भी

योजना का स्थान कोई अन्य माध्यम नही ले सकता। वास्तव मे सामूहिक प्रगति के रचनात्मक माध्यम को ही हम योजनाबद्ध विकास कहते हैं।

यह सत्य है कि व्यक्तिगत विकास व सामूहिक समृद्धि रचनात्मक योजना पर आधारित है। चाहे परिवार मे, चाहे समाज मे, चाहे राज्य मे—व्यक्तिगत क्षेत्र मे, बिना योजना के किसी भी प्रकार से विकास सम्भव नही है। विशेष रूप से भारतवर्ष के लिये, जबकि हमारा इतिहास इस बात का द्योतक है कि छिन्न-भिन्न व अव्यवस्थित राजनैतिक प्रवाह कार्य रूप मे असफलता के प्रतीक हैं, यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रजातन्त्र की सफलता आयोजन पर आश्रित हो।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. नियोजन से तुम क्या समझते हो ? अपने राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर एक लेख लिखिए।

अध्याय 13

सामुदायिक विकास योजना, श्रमदान तथा सहकारी आन्दोलन

हमारा भारत पन्द्रह अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हुआ। इस प्रकार से हमारे देश ने राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त किया। परन्तु राजनीतिक स्वराज्य जिसके फलस्वरूप हम स्वय अपने देश के शासक बन गए केवल एक प्रारम्भिक कदम है। महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता सग्राम मे हमे स्वराज्य की जिस कल्पना से प्रेरित किया, वह अभी अधूरी है। उनके अनुसार हमारे देश को पूर्ण स्वराज्य उस समय प्राप्त होगा जब वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्वी हो जाए और राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही सामाजिक पिछड़ेपन से भी मुक्ति पा ले। इस प्रकार से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमारे लिए यह अनिवार्य हो गया कि हम देश के बहुमुखी विकास जिसमे स्वाभावत ही आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति का महत्वपूर्ण स्थान हो, की ओर उन्मुख हो।

ग्रामीण विकास का महत्व—देश के बहुमुखी विकास का गहरा सम्बन्ध हमारे गाँवो से है। इसके कई कारण हैं—प्रथम, हमारे देश की 80% से अधिक जनता गाँवो मे रहती है। इसीलिए महात्मा गाँधी कहा करते थे कि भारत गाँवो मे रहता है। इस प्रकार से यदि उन्नति की प्रक्रिया केवल गाँवो तक सीमित रहती है तो सम्भवत देश की विकास योजनाओ मे ग्रामीण विकास को स्वतन्त्रता के पश्चात् महत्व-पूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक ही है। द्वितीय, अंग्रेजो के शासन-काल मे गाँव के विकास की ओर विशेषकर अधिक ध्यान न दिया जा

सका । उन्होंने जो कुछ भी थोड़े वहुत कल्याणकारी काय किए वे वहुधा शहर तक ही सीमित रहे । इसीलिए गाँवो के विकास की समस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण तथा कठिन हो गई । तृतीय, हमारे देश की अधिकाश जनता के गाँव मे रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था कृपि-प्रधान हो गई । गाँवो का विकास इसी कारण और भी आवश्यक हो गया है । गाँवो के विकास के साथ हमारे देश मे उत्पादन के विकास की समस्या जुटी हुई है जिस पर खाद्य पदार्थो की उपलब्धि निर्भर है । अन्त मे, हमारे ग्रामीण भाई तथा वहिने अज्ञानता के कारण पुराने विचारो वाले हैं, वे अव भी छूत-अछूत की व्यवस्था मे विश्वास रखते है तथा स्त्रियो को पुरुषो के समान स्थान नही देते । साथ ही वे अपने वच्चो के जीवन मे शिक्षा के महत्व को भी भली-भाति नही समझते । गाँव वालो के इन प्राचीन विचारो के कारण न केवल उनके विकास मे वाधा पड़ती है वल्कि सम्पूर्ण देश के विकास-क्रम पर भी वुरा प्रभाव पड़ता है । इन सव कारणो से भारत के विकास की योजना मे ग्रामीण विकास का सर्वाधिक महत्व है ।

सामुदायिक विकास योजना—भारत ने प्रजातन्त्रीय समाजवाद के आदर्श को अपनाया और उसे प्राप्त करने के लिए नियोजित विकास का मार्ग ग्रहण किया । इस आधार पर हमारे देश मे तीन पचवर्षीय योजनाएँ वन चुकी है । दो पचवर्षीय योजनाओ की यात्रा तय करके अव भारत तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त मे है तथा चौथी योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है । हमारी तीनो ही योजनाओ मे ग्रामीण विकास को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इसके साधन मात्र सामुदायिक विकास के कार्य-क्रम को अपनाया गया जिसे अव कार्यान्वित करने के लिए पचायती राज सस्थाओ को सौंप दिया गया है ।

यहा पर यह वताना अनुचित न होगा कि सामुदायिक विकास के कार्य-क्रम की प्रेरणा हमे अमेरिका से मिली जहा यह अधिक सफल

रहा है और जहाँ पर इसने देश के कृषि सम्बन्धी विकास मे बहुत अधिक योग दिया है। इसका उद्देश्य गाँव वालो को अपने पैरो पर खडे होने के योग्य बनाना तथा उनके द्वारा गांवो मे एक ऐसी सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना था जो स्वय गाँव वालो के परिश्रम तथा स्वनिर्भरता पर आधारित हो और जिसके लिए उन्हे राजकीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का मुँह न देखना पडे। इस प्रकार से सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर ग्रामीणो तथा आत्म-निर्भर गाँवो का निर्माण करना था। इस प्रकार की आत्मनिर्भरता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना का आधार थी।

सामुदायिक विकास योजना के लागू करते समय हमारे देश के नियोजनकर्ता यह भली-भाँति जानते थे कि आत्मनिर्भर गाँव और ग्रामीणो के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति अधिक कठिन है। शताब्दियो की दासता के कारण गाँव वालो मे सरकार को माँ-बाप समझने की प्रवृत्ति विद्यमान हो गई थी और इस प्रवृत्ति को बदलने मे अधिक समय लगना स्वाभाविक है। इस कारण यह निश्चय किया गया कि प्रारम्भ मे सरकार अपने कर्मचारियो के द्वारा सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करे और इनसे प्रेरणा लेकर गाँव वाले धीरे-धीरे अपने पैरो पर आप खडा होना सीख जाएँ।

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध मे हमे यह भी ध्यान मे रखना है कि प्रारम्भ मे इसका गठ-बन्धन खाद्य पदार्थो के अधिक उत्पादन से था परन्तु जल्दी ही यह अनुभव हो गया कि सामुदायिक विकास को केवल कृषि से नही बाँधा जा सकता, उसे बहुमुखी रखना होगा। आज जब देश की खाद्य समस्या बिगड रही है तब इस कार्यक्रम को कृषि-प्रधान तो बना दिया गया है, परन्तु अब भी इसका बहुमुखी स्वरूप चल रहा है।

राजस्थान मे सामुदायिक विकास योजना—राजस्थान मे अन्य राज्यो की भाँति सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर, 1952 मे प्रारम्भ

की गई। प्रारम्भ मे सात स्थानो पर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान मे भी सरकार के पदाधिकारियो द्वारा ग्रामीणो को उनके बहुमुखी विकास की ओर उन्मुख करना रहा। आज जब कि राजस्थान मे पचायती राज की स्थापना हो चुकी है, सामुदायिक विकास योजना के द्वारा जो सामुदायिक विकास के क्षेत्र (Blocks) निश्चित हुए थे वही विकेन्द्रीकरण का आधार है। राजस्थान मे आज 232 सामुदायिक विकास से सम्बन्धित क्षेत्र है जिनमे से 23 विस्तार से पूर्व की स्थिति मे, 98 प्रथम श्रेणी मे, 91 द्वितीय श्रेणी मे और 20 पूर्व द्वितीय श्रेणी मे हैं।

सामुदायिक विकास योजना के फलस्वरूप गाँव वालो ने राजस्थान मे खेती-बाडी के नये तरीके सीखे। सिंचाई की वैज्ञानिक व्यवस्था करना सीखा। अच्छे बीज और खाद की सहायता से उपज बढाना सीखा। बच्चो की शिक्षा के महत्व को पहिचाना साथ ही जीवन मे सफाई की उपयोगिता भी जानी। इन सभी बातो मे उनका रूढिवाद कमजोर पडा। इतना सब होते हुए भी वह अपने पैरो पर स्वय खडा होना न सीख पाए और सरकार का ही मुँह ताकते रहे। इस कारण बलवन्त रे मेहता रिपोर्ट ने यह निश्चय किया कि पचायती राज के द्वारा जनता के प्रतिनिधियो को सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंप दिया जाए जिससे वे अपने प्रतिनिधियो के नेतृत्व मे रहकर अपने पैरो पर आप खडा होना सीख लें। इस प्रकार से राजस्थान, सामुदायिक विकास योजना से पचायती राज की ओर बढा।

जो कुछ भी सफलता सामुदायिक विकास योजना को पचायती राज से पूर्व हुई उसका श्रेय सरकार के उन कर्मचारियो को है जो इसे लागू कर रहे थे। इनमे से प्रमुख है विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी और ग्राम-सेवक। ये तीनो ही प्रशासकीय सगठन की दृष्टि से सामुदायिक विकास योजना के कर्णधार कहे जा सकते है। आज भी

पचायती राज मे इसी कारण इन कर्मचारियों का बहुत अधिक महत्व-पूर्ण स्थान है ।

राजस्थान मे श्रमदान—प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि केवल सरकारी धन की सहायता से ही पिछड़े हुए गांवो की दशा नहीं सुधारी जा सकती । अत गाँव वालो से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने श्रम का दान स्वय अपने विकास के सम्बन्ध मे दे । यह दान हाथ-पैर की मेहनत के रूप मे, सामग्री आदि के दान के रूप मे और रुपये के रूप मे हो सकता है । प्रारम्भ मे श्रमदान ने नागरिकों को बहुत अधिक प्रेरित किया और उन्होने बहुत अधिक सहयोग भी दिया । आज भी जबकि और क्षेत्रो मे उनका सहयोग कम होता जा रहा है, उन कार्यो के लिए जिनसे उनकी निकट की आवश्यकताओ की पूर्ति होती है, वह अब भी श्रमदान करने को तत्पर दिखाई देते है । परन्तु इस सत्य से मुँह नही मोडा जा सकता कि पहले की तुलना मे श्रमदान के लिए उत्साह कम हो रहा है । प्रथम, श्रमदान से ग्रामीण उकता से गए हैं, अब वह उन्हे भार-सा लगने लगा है । अब श्रमदान की वह नवीनता जिसने उन्हे प्रेरित्त किया था, आकर्षित नहीं करती । द्वितीय, उनमे अब यह चेतना आ गई है कि शहर वालो से श्रमदान की मांग नही की जाती, इसलिए वह भी श्रमदान नही करना चाहते । तृतीय, श्रमदान गांवो के उच्च और धनाढ्य कुल के लोगो ने नही किया और इसलिए सामान्य मनुष्य अपने सन्दर्भ मे उसे बेगार की सज्ञा देने लगे । अन्त मे, बढते हुए स्वार्थ ने भी श्रमदान के आकर्षण को कम कर दिया तथा पचायती राज के आवरण मे जो गांवो मे नेता उत्पन्न हुए वे भी स्वार्थ से ऊँचे न उठ सके । उनके शक्ति की लालसा मे लिप्त होने के कारण वे गाँव वालो को श्रमदान के लिए प्रेरित न कर सके ।

राजस्थन में सहकारी आन्दोलन

सहकारिता का अर्थ है साधारण रूप से मिल-जुल कर कार्य

करना। इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है। सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा मे सम्मिलित होता है। इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है। नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम साधन माना गया है।

आज तो ससार के सभी देशो मे, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओ मे सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। भारतीय लोकतन्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियो से बहुत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा।

भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक सयोजन को स्वतन्त्रता और लोक-तन्त्र के मूल्यो पर आधारित किया गया है और इनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हमारी इन योजनाओ का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरते अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—"समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना।" इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब खेती और उद्योगो मे हम सहकारिता को अपनाएँ। तभी हम उत्पादन को काफी बढा सकेंगे तथा धनी और निधन दोनो ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा। पहली और दूसरी योजना मे देश के विभिन्न भागो मे छोटे-बडे कार्यक्रमो द्वारा इन उद्देश्यो को पूरा करने का यत्न किया गया। तृतीय पचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य सहकारिता पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है। दूसरे शब्दो मे हम कहे तो भारत ऐसे सहकारी लोक राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमे हर व्यक्ति को पचायतो और सहकारी सस्थाओ

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी मामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा।

समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवो के क्षेत्रो मे भी सम्पत्ति और आय की विपमताओ को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। राष्ट्र-जीवन के तमाम अगो मे सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है। अव तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती मे ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अव यह पद्धति वडे-वडे उद्योगो मे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान वनाने के क्षेत्र आदि भी इसमे क्यो छूटे रहे। साराश यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रो पर लागू कर सके अवश्य करें, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओ का विशाल समाज शोपरण से वच सके।

देश को मजवूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीव से गरीव और कमजोर मे कमजोर अग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियो—का ध्यान रक्खा जाय और यह सहकारिता से ही सम्भव है।

भारतवर्ष के अन्य राज्यो की तुलना मे राजस्थान राज्य मे सहकारिता को शिशु रूप की सज्ञा दी जाय तो अनुचित नही होगा। पर फिर भी जव मे रियासतो का विघटन हुआ है, राजस्थान मे सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है। सहकारिता की, तीन पचवर्पीय योजनाओ का राज्य के लोगो को समाजवादी समाज की ओर अग्रसर करने को वहुत योगदान रहा है। प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण वनाने मे सहायता पहुँचाई। द्वितीय योजना मे सहकारिता का कार्य-

करना। इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है। सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा से सम्मिलित होता है। इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है। नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम साधन माना गया है।

आज तो ससार के सभी देशो मे, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओ मे सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। भारतीय लोकतन्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियो से बहुत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा।

भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक सयोजन को स्वतन्त्रता और लोक-तन्त्र के मूल्यो पर आधारित किया गया है और उनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हमारी इन योजनाओ का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरते अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—"समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना।" इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब खेती और उद्योगो मे हम सहकारिता को अपनाएँ। तभी हम उत्पादन को काफी बढा सकेंगे तथा धनी और निर्धन दोनो ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा। पहली और दूसरी योजना मे देश के विभिन्न भागो मे छोटे-बडे कार्यक्रमो द्वारा इन उद्देश्यो को पूरा करने का यत्न किया गया। तृतीय पचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य सहकारिता पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है। दूसरे शब्दो मे हम कहे तो भारत ऐसे सहकारी लोक राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमे हर व्यक्ति को पचायतो और सहकारी सस्थाओ

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी मामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा मकेगा।

समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवो के क्षेत्रो मे भी सम्पत्ति और आय की विपमताओ को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। राष्ट्र-जीवन के तमाम अगो मे सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है। अव तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती मे ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अव यह पद्धति वडे-वडे उद्योगो मे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान वनाने के क्षेत्र आदि भी इसमे क्यो छूटे रहे। माराश यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रो पर लागू कर सके अवश्य करे, जिमसे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओ का विशाल समाज शोपरण से वच सके।

देश को मजवूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीव से गरीव और कमजोर से कमजोर अग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियो—का ध्यान रक्खा जाय और यह महकारिता से ही सम्भव है।

भारतवर्प के अन्य राज्यो की तुलना मे राजस्थान राज्य मे मह-कारिता को शिशु रूप की मज्ञा दी जाय तो अनुचित नही होगा। पर फिर भी जव मे रियासतो का विघटन हुआ है, राजम्थान मे सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है। महकारिता की, तीन पचवर्पीय योजनाओ का राज्य के लोगो को समाजवादी ममाज की ओर अग्रसर करने को वहुत योगदान रहा है। प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा महकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण वनाने मे महायता पहुँचाई। द्वितीय योजना मे महकारिता का कार्य-

करना। इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है। सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे व्यक्ति अपने आर्थिक हितो की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा मे सम्मिलित होता है। इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है। नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम साधन माना गया है।

आज तो ससार के सभी देशो मे, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओ मे सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। भारतीय लोकतन्त्र मे इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियो से बहुत अधिक है। हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बडा योग-दान देना होगा।

भारतीय सविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक सयोजन को स्वतन्त्रता और लोक-तन्त्र के मूल्यो पर आधारित किया गया है और उनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। हमारी इन योजनाओ का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें अवश्य पूरी हो। भारतीय ससद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—"समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना।" इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब खेती और उद्योगो मे हम सहकारिता को अपनाएँ। तभी हम उत्पादन को काफी बढा सकेंगे तथा धनी और निर्धन दोनो ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा। पहली और दूसरी योजना मे देश के विभिन्न भागो मे छोटे-बडे कार्यक्रमो द्वारा इन उद्देश्यो को पूरा करने का यत्न किया गया। तृतीय पचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य सहकारिता पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है। दूसरे शब्दो मे हम कहे तो भारत ऐसे सहकारी लोक राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमे हर व्यक्ति को पचायतो और सहकारी सस्थाओ

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा।

समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवो के क्षेत्रो मे भी सम्पत्ति और आय की विषमताओ को दूर करने मे जरूरी मदद करेगा। राष्ट्र-जीवन के तमाम अगो मे सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है। अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती मे ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पद्धति बडे-बडे उद्योगो मे भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इसमे क्यो छूटे रहे। साराश यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रो पर लागू कर सकें अवश्य करे, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओ का विशाल समाज शोषण से बच सके।

देश को मजबूत नीव पर खडा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर अग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियो—का ध्यान रखा जाय और यह सहकारिता से ही सम्भव है।

भारतवर्ष के अन्य राज्यो की तुलना मे राजस्थान राज्य मे सहकारिता को शिशु रूप की सज्ञा दी जाय तो अनुचित नहीं होगा। पर फिर भी जब से रियासतो का विघटन हुआ है, राजस्थान मे सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है। सहकारिता की, तीन पचवर्षीय योजनाओ का राज्य के लोगो को समाजवादी समाज की ओर अग्रसर करने को बहुत योगदान रहा है। प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने मे सहायता पहुँचाई। द्वितीय योजना मे सहकारिता का कार्य-

क्षेत्र वढा, समितियो की सख्या मे वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम वनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था मे अन्य राज्यो के समक्ष लाकर खडा कर देते है । उसके पश्चात् तृतीय योजना मे सहकारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है। राज्य की सहकारी योजना मे इस वात का प्रयास दृष्टिगोचर होता है कि राज्य की कृषि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सहकारी आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है। इस समय तक कुल सहकारी समितियो की सख्या 20,420 है। 26,03,200 ग्रामीण परिवारो मे 8,30,412 परिवार इसके अन्तर्गत है।

सहकारिता के विकास मे कई समस्याएँ भी सामने आई है। यह निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का दायित्व पूर्ण रूप मे ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पचायत का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जव दो सक्रिय सस्थाएँ काम करती है तो चाहे लक्ष्य से सम्वन्धित न हो, व्यवहार से सम्वन्धित भेद-भाव आ ही जाता है। दोनो मे होड भी शुरु हो जाती है। आवश्यकता है दोनो को ही अपने को गाडी के दो पहिए मानने की। जिस प्रकार पचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा।

सहकारिता हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य, आवश्यक एव अधिकाधिक व्यापक आधार होता जा रहा है। सहकारिता ने राजस्थान मे न केवल आर्थिक अभ्युदय के कार्य किये है वरन् राज्य के नागरिक को और अधिक योग्य नागरिक वनाने मे सहायता प्रदान की है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समझते हो ? देश के बहु-मुखी विकास मे इसका क्या महत्व है ?

2 अपने प्रदेश मे श्रमदान एव सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर एक लेख लिखिए ।

क्षेत्र बढा, समितियो की सख्या मे वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम बनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था मे अन्य राज्यो के समक्ष लाकर खडा कर देते है । उसके पश्चात् तृतीय योजना मे सहकारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है । राज्य की सहकारी योजना मे इस बात का प्रयास दृष्टिगोचर होता है कि राज्य की कृषि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सहकारी आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है। इस समय तक कुल सहकारी समितियो की सख्या 20,420 है। 26,03,200 ग्रामीण परिवारो मे 8,30,412 परिवार इसके अन्तर्गत है।

सहकारिता के विकास मे कई समस्याएँ भी सामने आई है। यह निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का दायित्व पूर्ण रूप मे ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पचायत का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जब दो सक्रिय सस्थाएँ काम करती है तो चाहे लक्ष्य मे सम्बन्धित न हों, व्यवहार से सम्बन्धित भेद-भाव आ ही जाता है। दोनो मे होड भी शुरु हो जाती है। आवश्यकता है दोनो को ही अपने को गाडी के दो पहिए मानने की। जिस प्रकार पचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा।

सहकारिता हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य, आवश्यक एव अधिकाधिक व्यापक आधार होता जा रहा है। सहकारिता ने राजस्थान मे न केवल आर्थिक अभ्युदय के कार्य किये है वरन् राज्य के नागरिक को और अधिक योग्य नागरिक बनाने मे सहायता प्रदान की है।।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समझते हो ? देश के बहु-मुखी विकास मे इसका क्या महत्व है ?

2 अपने प्रदेश मे श्रमदान एव सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर एक लेख लिखिए ।